राजस्थान विधान सभा का कार्य-विवरण

अङ्क ६] द्वितीय विधान सभा के छठे सत्र का ग्यारवां दिवस [संख्या ७

गुरुवार, २० अगस्त, १६५६.

विधान सभा की बैठक म० पू० ११ बज कर ४ मिनट पर विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री निरंजननाथ आचार्य, उपाध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[कृषि, खाद्य, वन, सिंचाई, विद्युत, सहकारी, स्वास्थ्य यातायात, स्वायत्त शासन तथा सार्वजनिक निर्माण-विभाग]

श्री उपाध्यक्ष : तारांकित प्रश्न।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर।

मंगलूणा ग्राम पंचायत, सीकर

२०७. **श्री जगदीशप्रसाद माथुर** (सीकर) : क्या मन्त्री, स्वायत्त शासन विभाग निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:–

(क) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत मंगलूणा, जिला सीकर के भूतपूर्व सरपंच श्री लालसिंह दिनांक ६–११–५६ को भ्रष्टाचार के मामले में पकड़े गये थे ?

(ख) क्या यह सही है कि पुलिस ने विभाग से मुकदमा चलाने की स्वीकृति मांगी थी ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या हुआ ?

उपमन्त्री, स्वायत्त शासन (श्री दौलतराम सारण) :(क) जी नहीं। दिनांक ८–११–५६ को पकड़े गये थे।

(ख) पुलिस द्वारा मुकदमा चलाने की स्वीकृति नहीं मांगी गई।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : भ्रष्टाचार निरोधक विभाग ने क्या रिपोर्ट पेश की थी जांच करके आपके सामने इस मामले के सम्बन्ध में ?

श्री दौलतराम सारण : मैंने आपको बतलाया है। आपने पूछा कि मुकदमे के चालान के लिए पुलिस ने क्या स्वीकृति मांगी थी ? तो मैंने बताया कि पुलिस के द्वारा स्वीकृति नहीं मांगी गई थी।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : आपने स्वीकार किया कि पकड़े गये थे। सरपंच गवर्नमेंट सर्वेन्ट की तारीफ में आता था तो पुलिस ने क्या आपके डिपार्टमेंट को कुछ नहीं बताया ?

मन्त्री, स्वायत्त शासन (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : एक आदमी जब पुलिस के द्वारा

Page No.2

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

गिरफ्तार हुआ था तो एन्टी करप्शन डिपार्टमेंट को चाहिये था कि उस पर मुकदमा चलाये। हमारा काम सेन्क्शन देने का है अगर मुकदमा चलाने के बारे में पुलिस मांगती है तो। पुलिस ने जब कोई सेन्क्शन नहीं मांगी तो कोई कार्यवाही का सवाल नहीं है।

श्री जगदीशप्रसाद मांथुर : क्या पुलिस डिपार्टमेंट ने लिखा था आपको इसके सम्बन्ध में ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैंने बता दिया कि सेन्क्शन के लिए पुलिस ने कोई नहीं लिखा है। अगर सेन्क्शन के लिए लिखते तो विचार करते।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : यह किस तरह का भ्रष्टाचार था ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : डिटेल्स मेरे पास नहीं हैं। पुलिस अगर रिपोर्ट करती है तो पुलिस कर सकती है हरेक आदमी के खिलाफ। डिपार्टमेंट का काम तभी होता है जब कि सेन्क्शन के लिए कहते हैं कि हमको सेन्क्शन दी जाय। तब डिपार्टमेंट पिक्चर में आता है वर्ना पुलिस अपने तरीके से काम करती है।

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : क्या यह सही है कि सरपंच रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया था ?

श्री दौलतराम सारण : एक हस्ताक्षर किया हुआ १०) रु० का नोट उनके पास पकड़ा गया था, यह मामला है।

श्री दयाकृष्ण विजय : जब कि वे रैड हैन्डेड पकड़े गए तो एन्टी-करप्शन ने क्यों नहीं मुकदमा चलाया ?

श्री दौलतराम सारण : यह अलग से प्रश्न है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह क्वेश्चन आप एन्टी-करप्शन डिपार्टमेंट से पूछें।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : क्या पंचायत एक्ट में यह चीज है कि जो सरपंच भ्रष्टाचार के जुर्म में पकड़ा जाय तो डिपार्टमेंट या गवर्नमेंट खुद कोई एक्शन नहीं ले सकती है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जब कि मामला पुलिस में है और पुलिस वालों ने पकड़ा है और उन्होंने जांच की है, और अगर पुलिस केस का चालान नहीं करती है और हमसे सेन्क्शन नहीं लेती है तो हम पिक्चर में नहीं आते हैं।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : पंचायत विभाग ने उनको सस्पेन्ड क्यों नहीं किया, जब कि उनके पास १०) रु० का नोट पकड़ा था तो ?

श्री दौलतराम सारण : सस्पेन्ड करने का पंचायत एक्ट में कोई प्रावधान नहीं है।

श्री श्रीभानसिंह : सस्पेन्ड नहीं कर सकते हैं तो भ्रष्टाचारी सरपंच को डिस्क्वालिफाई करने का प्रावधान एक्ट में है या नहीं ?

श्री दौलतराम सारण : यह भूतपूर्व सरपंच की बात चल रही है।

श्री श्रीभानसिंह : भूतपूर्व ने भी भ्रष्टाचार अपने टाइम में किया था तो गवर्नमेंट ने क्यों नहीं एक्शन लिया उनके खिलाफ ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : अगर सरपंच के खिलाफ रिपोर्ट होती तो उस पर कार्यवाही करते। अगर पुलिस कहती कि प्रोसीक्यूट करने की इजाजत दी जाय तो उस मामले पर विचार कर सकते थे। उसको रिमूव कर सकते थे लेकिन अब तो वे अपने आप ही रिमूव हो गए।

श्री दयाकृष्ण विजय : क्या यह सही है कि उन्होंने दुबारा चुनाव लड़ा और उनको डिस्क्वालिफाई नहीं किया गया। वे अपने आप नहीं हटे, बल्कि जनता ने हटा दिया ?

श्री दौलतराम सारण : यह अलग प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री प्रभुलाल पुरोहित।

ग्राम सांभरिया, तहसील बसी (जयपुर) में सहकारी समिति के व्यवस्थापक के विरुद्ध बकाया रकम

२२८. श्री प्रभुलाल पुरोहित (लालसोट): क्या मन्त्री, सहकारी विभाग निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) ग्राम सांभरिया, तहसील बसी (जयपुर) में सहकारी समिति में व्यवस्थापक के स्थान पर ३० जून, ५८ से पूर्व कौन काम करता था ?

(२) क्या उस व्यक्ति की तरफ ऑडिटर ने कोई रकम बकाया निकाली है ?

(३) क्या जिस तारीख में रकम बकाया निकाली गई है उसके तुरन्त बाद की आडिट कमेटी ने भी कोई रकम बकाया व्यवस्थापक की ओर से निकाली थी ?

(४) यदि व्यवस्थापक की ओर रकम बकाया है, तो उसकी वसूली क्यों नहीं की गई ?

उपमन्त्री, सहकारी (श्री दौलतराम सारण) : (१) ग्राम सांभरिया, तहसील बसी की सहकारी समिति में ३० जून सन् ५८ से पूर्व श्री रामकिशोर पारीक व्यवस्थापक के स्थान पर काम करते थे।

(२) जी हां, २०६ रु० २ नए पैसे ऑडिटर ने श्री रामकिशोर पारीक, व्यवस्थापक के नाम बकाया निकाले थे।

(३) जी नहीं, कोई और रकम किसी अन्य ऑडिट कमेटी ने व्यवस्थापक के नाम बकाया नहीं निकाली।

(४) रकम वसूली की कार्यवाही राजस्थान सहकारी अधिनियम की धारा ५७ के अन्तर्गत दिनांक २०-६-५८ से की जा रही है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गिरधारीलाल।

डीग पावर हाऊस के सहायक अभियन्ता द्वारा सरकारी क्वार्टर का उपभोग

२२६. श्री गिरधारीलाल (नोखा) : क्या विद्युत मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सत्य है कि डीग पॉवर हाऊस के सहायक अभियन्ता, श्री मालीराम

(श्री गिरधारीलाल)

गर्ग, अप्रेल ११५८ से जनवरी, १९५९ तक सरकारी क्वार्टर में रहे ?

(२) क्या यह भी सत्य है कि उन्होंने सरकारी क्वार्टर का कोई किराया नहीं अदा किया, बल्कि गलत सर्टीफिकेट देकर कि वह किसी भी सरकारी क्वार्टर में नहीं रहते हैं, वे अपनी पूरी तनख्वाह लेते रहे हैं ?

(३) क्या यह भी सत्य है कि उन्होंने क्वार्टर में रहते हुए कई महीनों तक बिजली का मुफ्त उपभोग किया है ?

विद्युत मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) (१) जी हां ।

(२) यह प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि प्रत्येक सरकारी बिजलीघर के इन्चार्ज को जहां पर सरकारी क्वार्टर मौजूद हैं सरकार की तरफ से किराये की छूट है ।

(३) उनसे पेमेन्ट लेने की आज्ञा दिनांक ८-११-५६ को जारी हो चुकी है ।

श्री गिरधरीलाल :किराया दिया या नहीं ? छूट दी तो क्या किराया बिल्कुल माफ किया जाता है ?

श्री रामकिशोर व्यास : वह एन्टाइटल्ड है सरकारी मकान में रहने के जहां पर कि क्वार्टर एवेलेबल हो ।

श्री गिरधारीलाल : किराया बिल्कुल माफ किया जाता है या थोड़ी बहुत छूट है और कन्सेशन रेट पर मिलता है ।

श्री रामकिशोर व्यास : छूट है ।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीभैरोंसिंह

नगरपालिका भीलवाड़ा द्वारा कॉलोनीज बसाया जाना

२३०. **श्री भैरोंसिंह** (श्रीमाधोपुर) : **श्री जगदीशप्रसाद माथुर** (सीकर) द्वारा पूछा गया) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सही है कि नगरपालिका भीलवाड़ा ने भीलवाड़ा में माणिक्यनगर, सुभाष कॉलोनी तथा सिन्धी कॉलोनी बसाने के लिये प्लॉट्स बेचने के लिये एप्लीकेशन मांगी थी और प्लॉट्स की कीमत की १।४ रकम एडवान्स में जमा भी की थी ?

(ख) यदि हां, तो किस किस स्कीम के अन्तर्गत कितना २ रुपया कब २ जमा कराया गया ? उसकी तालिका सदन की मेज पर रखें ।

(ग) क्या यह सही है कि अभी तक उक्त प्लॉट्स सम्बन्धित व्यक्तियों को नहीं मिले हैं, यदि मिल गये हैं, तो किन २ को और कब कब ?

उप-मंत्री स्वायत्त शासन (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : (क) नगरपालिका भीलवाड़ा ने भीलवाडा में माणिक्य नगर, सुभाष कालोनी तथा सिन्धी कालोनी बसाने के लिये प्लाटस बेचने के लिये एप्लीकेशन्स मांगी थी, परन्तु प्लाटस की कीमत के १।४ रकम एडवान्स के केवल माणिक्यनगर व सुभाष कालोनी के लिये ही जमा की है । सिन्धी कालोनी के लिये एडवान्स में कोई रकम जमा नहीं की है ।

(श्री पूनमचन्द बिश्नोई)

(ख) तालिका सदन की मेज पर रख दी गई है।

(ग) जी हां। अभी तक किसी भी व्यक्ति को प्लोट्स नहीं दिये गये हैं।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : जब यह रकम जमा करा दी गई तो प्लोट्स क्यों नहीं दिये गये।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : एक्वीजिशन की कार्यवाही पूरी होने के कारण नहीं दिये गये।

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा): यह रकम कब जमा हुई थी ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : ३० दिसम्बर, १९५७ को।

श्री दयाकृष्ण विजय : दो साल हो गये और अब तक यह कार्यवाही क्यों नहीं पूरी हुई ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : अब तक १॥ साल ही हुआ है। एक्वीजिशन की कार्यवाही में समय लग जाता है।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : जब एक्वीजिशन की कार्यवाही पूरी नहीं हुई तो उससे पहले रुपये कैसे जमा करा लिये गये ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : लोगों को रूपये जमा नहीं कराने थे। उनको यह कहा गया होगा कि एक्वीजिशन को कार्यवाही करेंगे, इस पर ही उन्होंने रुपये क्यों जमा करा दिये ?

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : एक तरफ तो सेमी गवर्नमेंट इन्स्टीट्युशन लोगों को कहता है कि प्लोट बन गये हैं रुपये जमा कराइये दूसरी तरफ आप उल्टा कहते हैं कि लोगों को रुपये जमा नहीं कराने चाहिये।

स्वायत्त शासन मंत्री (श्रीबद्रीप्रासद गुप्ता) : म्युनिसिपल बोर्ड ने नोटिस निकाला था कि फलां फलां जगह प्लोट्स अलोट करेंगे इस पर लोगों ने एप्लीकेशन्स दीं और साथ में एक चौथाई रूपये भी जमा करा दिये। ये रुपये वोलेनटियरिली आये हैं।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : ये दान के रुपये थोड़े ही हैं। जब कभी बोली लगाई जाती है तो गवर्नमेंट का यह नियम है कि १।४ रूपये जमा कराये जाते हैं।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : नोटिस यह निकाला गया था कि कौन कौन जमीन लेना चाहता है वे एप्लाई करदें।

श्री दयाकृष्ण विजय: पहले ही आपत्ति कर देते तो लोग रूपये जमा नहीं कराते।

श्री बद्रीप्रसादगुप्ता : किसी को पट्टा नहीं दिया गया और सेल की कार्यवाही नहीं हुई ? एक्वीजिशन की कार्यवाही चालू है।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी): यह माणिक्यनगर और सुभाषनगर नामकरण सरकार की तरफ से हुए क्या ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : नामकरण भी म्युनिसिपेलिटी की तरफ से ही हुए। सरकार तो ख्वामख्वाह बीच में आ रही है।

Page No.6

श्री उपाध्यक्ष : श्री भीमसेन

राजस्थान केनाल क्षेत्र में टैक्स मालिकाना का लगाया जाना

२३१. **श्री भीमसेन** (लूणकरणसर): क्या सिचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(क) क्या राजस्थान केनाल के क्षेत्र में आने वाले गांवों के किसानों पर टैक्स मालिकान लगाया गया है ?

(ख) यदि हां तो वह कहां २, किस २ तहसील में किस तरह से लगाया गया है।

(ग) टैक्स मालिकाना की व्याख्या क्या है ?

(घ) क्या अन्य सिंचाई योजनाओं में भी ऐसा टैक्स लगाया गया है ?

सिंचाई मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न का सम्बन्ध कोलोनाइजेशन से है इसलिये इसका उत्तर रेवेन्यू मिनिस्टर साहब आयन्दा अपनी टर्न पर देंगे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह

दी जेठाना जमींदारान कोऑपरेटिव स्टोर्स लिमिटेड, जेठाना, अजमेर के अध्यक्ष द्वारा १४०० रू. का गबन

२३२. **श्री भैरोंसिंह** (श्री माधोपुर - **श्री जगदीशप्रसाद माथुर** (सीकर) द्वारा पूछा गया) : क्या मंत्री सहकारी विभाग यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) यह सही है कि दी जेठाना जमींदारन कोऑपरेटिव स्टोर्स लिमिटेड, जेठाना, अजमेर के प्रेसीडेन्ट श्री छगनलाल गेना ने इस स्टोर के १४०० रु० का गबन किया है ?

(ख) क्या यह सही है कि इस समिति के शेयर होल्डर्स ने सरकार को कई बार प्रार्थना-पत्र दिये हैं परन्तु सरकार की ओर से अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है ? यदि हां तो क्यों ?

उप-मंत्री, स्वायत शासन (दौलतराम सारण) : (क) जी नहीं, जेठाना जमींदारान कोऑपरेटिव स्टोर्स लिमिटेड के प्रेसीडेन्ट श्री छगनलाल गेना ने कोई गबन नहीं किया, वरन् श्री मानकरण मैनेजर के विरुद्ध ८०७१ रु० ४ आ० ३ पाई का गबन करना पाया गया था व छगनलाल गेनाजी क्योंकि उस स्टोर के प्रेसीडेन्ट थे इसी कारणवश उन पर भी दोषारोपण किया गया है।

(ख) जी नहीं। समिति के शेयर होल्डर्स ने सरकार को कोई प्रार्थना पत्र नहीं दिये वरन् यह गबन ओडिटर की रिपोर्ट पर पकड़ा गया था। जिस पर पंच फैसला करके एवार्ड लिया गया लेकिन श्री मानकरण ने इस एवार्ड और उसकी अपील पर सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार द्वारा दिए गए फैसले के विरुद्ध राज्य सरकार को अपील की थी जो अभी सरकार के विचाराधीन है। उस पर निर्णय शीघ्र दे दिया जायगा।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : मैनेजर और चेयरमेन की साजिश में गड़बड़ी हुई है इस सम्बन्ध में क्या लोगों ने शिकायत की थी ?

श्री दौलतराम सारण : मैंने कहा है "जी नहीं"।

Page No.7

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : गबन जब साबित हो चुका है तो राजीनामा कैसे हुआ ?

श्री दौलतराम सारण : उसकी अपील राज्य सरकार के सामने विचाराधीन है, जिसका फैसला शीघ्र ही किया जायगा।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : कब से यह अपील विचाराधीन है ?

श्री दौलतराम सारण : २–५–५८ से।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : गबन का मामला २–५–५८ से विचाराधीन है तो इसमें इतनी देरी क्यों हुई ?

श्री दौलतराम सारण : इस पर लॉ डिपार्टमेंट की राय ली जाती है, उसको भी २ महीने का टाइम देना पड़ता है, हीयरिंग का मौका देना पड़ता है। इसका फैसला शीघ्र ही किया जायगा।

श्री जगदीप्रशसाद माथुर : लॉ डिपार्टमेंट को कब भेजा और उसको सुनवाई का मौका कब दिया ?

श्री दौलतराम सारण : तारीख मेरे पास नहीं है।

डा० बहादुरसिंह (धौलपुर) : शीघ्र की सीमा निर्धारित की गई है क्या ?

श्री दौलतराम सारण : फैसले की लिस्ट पर आयगा तभी तारीख निर्धारित होगी।

डॉ० बहादुरसिंह : इसके लिए समय निर्धारित है क्या ?

श्री दौलतराम सारण : समय नहीं बतला सकता।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : नोरमेली डिस्पोजल में कितना टाइम लगता है।

श्री दौलतराम सारण : केस की स्थिति पर डिपेन्ड करता है।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : फिर आपने कहा कि ऐसा किया जाता है, वैसा किया जाता है, सरकार के पास यदि डेफिनेट इन्फॉर्मेशन नहीं है तो सदन में आ क्यों जाते हैं ?

श्री दौलतराम सारण : आपने जो पूछा वह इन्फॉर्मेशन दी है। इस संबंध में और भी प्रश्न पूछेंगे तो इन्फॉर्मेशन देने को तैयार हैं। आपने पूछा कि क्यों देरी हुई इसके बारे में बतलाया कि कई स्थितियों में से गुजरना पड़ेगा इसलिए समय लगता है।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : कौन सी स्थिति में से गुजर रहे हैं।

श्री दौलतराम सारण : मैंने कहा कि फैसला देने की स्थिति में हैं ?

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : फैसले का मतलब आपस में राजीनामा तो नहीं है।

श्री दौलतराम सारण : उपाध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर दे चुका हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री लक्ष्मीचन्द।

सांचोर तहसील की पंचायतों के चुनाव

२३३. लक्ष्मीचन्द (सांचोर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

Page No.8

(श्री लक्ष्मीचन्द)

(क) जिला जालोर की सांचोर तहसील के कौन २ सी पंचायतों के चुनाव हो चुके है, व कौन कौन सी पंचायतें हैं जिनके चुनाव नहीं हुए है ? कारण सहित तालिका सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(ख) क्या यह सही है कि इन पंचायतों में कुछ ऐसी पंचायतें हैं, जिनके बैलट्स गायब होने व वहां पर झगड़े हो जाने के कारण चुनाव स्थगित हो गये हैं ? यदि हाँ, तो वे कौन कौन सी हैं व उन पंचायतों का चुनाव कब तक सरकार कराने का विचार रखती है ।

उप-स्वायत्त शासन-मंत्री (श्री दौलतराम सारण) : (क) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(ख) ग्राम पंचायत चितलवाना एवं बिजरोल में शान्ति भंग होने से कुछ वार्डों का निर्वाचन नहीं करवाया जा सका, अब पंचायत चितलवाना के लिये निर्वाचन की तिथि ३१. ८. ५६ निश्चित की गई है । व बिजरोल के लिए २०–६–५६ निश्चत की गई है ।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिए)

श्री लक्ष्मीचन्द : शान्ति भंग होने के मुतल्लिक कोई जाँच करवाई गई थी क्या ?

श्री दौलतराम सारण : जो निर्वाचन अधिकारी थे उनकी इस बारे में रिपोर्ट थी ।

श्री लक्ष्मीचन्द : क्या उस निर्वाचन अधिकारी के खिलाफ शिकायत थी कि निर्वाचन के लिये जो टाइम दिया गया उसको चेन्ज करके १ बजे से ८ बजे तक का समय निश्चित कर दिया था ?

श्री दौलतराम सारण : मेरे पास जानकारी नहीं है ।

श्री लक्ष्मीचन्द : क्या निर्वाचन अधिकारी के खिलाफ वहाँ के एस. डी. एम. ने कोई जाँच की है ?

श्री दौलतराम सारण : मेरे पास इसकी ऐसी जानकारी नहीं है ।

श्री लक्ष्मीचन्द : क्या इस प्रकार की शिकायत चीतलवाना से आई थी ?

श्री दौलतराम सारण : मेरे पास नहीं आई ।

श्री लक्ष्मीचन्द : आपने ३ पंचायतों के बारे में यह कहा है कि इनमें कुछ वार्डों का चुनाव हो चुका है । क्या वहां पर सरपंच के वार्ड का चुनाव हो चुका है ?

श्री दौलतराम सारण : बिजरोल में सरपंच व ६ वें वार्ड का चुनाव नहीं हो सका । चीतलवाना में सरपंच, उप–सरपंच और वार्ड नं० १० का चुनाव नहीं कराया जा सका ।

श्री लक्ष्मीचन्द : जिस वक्त यह स्थिति पैदा हुई उस वक्त पुर के पोलिंग स्टेशन पर भी यह स्थिति पैदा हुई थी क्या ?

श्री दौलतराम सारण : मैंने आपको २ नाम बताये हैं बिजरोल और चितलवाना ।

श्री लक्ष्मीचन्द : आपने ५ के बारे में लिखा है ; हाडेचा, ढमाल, पुर, चितलवाना

(श्री लक्ष्मीचन्द)

और भिजरोल। पुर में भी यही स्थिति पैदा हुई थी या नहीं ?

श्री दौलतराम सारण : ग्राम पंचायत हाडेचा, दमाल व पुर पंचायतों की अवधि ३१-१२-५६ तक बढ़ाई है। इस अवधि के समाप्त होने से पूर्व चुनाव करा दिये जायेंगे।

श्री लक्ष्मीचन्द : इनकी अवधि किस कारण से बढाई गई।

श्री दौलतराम सारण : चुनाव नहीं हो सके इस कारण से।

श्री लक्ष्मीचन्द : क्या यह सही है कि पहले जो डेट मुकर्रर थी उसके अनुसार चुनाव अधिकारी वहाँ नहीं पहुँचा, इसलिये अवधि बढाई गई ?

श्री उपाध्यक्ष : इस किस्म का टंटा हुआ है क्या ?

श्री दौलतराम सारण : मुझे किसी टंटे की जानकारी नहीं है।

श्री लक्ष्मीचन्द : पुरा पंचायत की आबादी ५ हजार से ऊपर है तो फिर उसके चुनाव नहीं कराकर डेट क्यों बढाई गई ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : जहाँ की आबादी ५ हजार से ज्यादा है वहाँ पर कहीं भी चुनाव नहीं करा रहे हैं।

श्री लक्ष्मीचन्द : पुर पंचायत की आबादी कितनी है ?

श्री दौलतराम सारण : पता नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामनारायण वर्मा।

ग्राम रेल (कोटा) के पूर्व में बंधे बांध का जीर्णोद्धार

२३४. **श्री रामनारायण वर्मा** (पीपल्दा-सु०) : क्या सिंचाई मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि ग्राम रेल, तहसील दीगोद, जिला कोटा के पूर्व में बंधे बंध के टूट जाने से सारे पानी का बहाव ग्राम की ओर हो गया और इसके फलस्वरूप वर्षा में काफी पानी भर जाता है ?

(२) क्या यह भी सही है कि उक्त बंधे के टूट जाने से किसानों की काफी जमीनें खराब हो गई हैं ?

(३) यदि हां, तो क्या सरकार इस बंधे का जीर्णोद्धार करवाना चाहती है ? यदि हां, तो कब तक ?

सिंचाई मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (१) जी नहीं, इस बाँध का सम्बन्ध सिंचाई विभाग से नहीं है।

(२) प्रश्न नहीं उठता।

(३) प्रश्न नहीं उठता।

श्री उपाध्यक्ष : श्री लक्ष्मीचन्द।

धोबियों की ढाणी की समिति तहसील डीडवाना की जांच

२३५. **श्री लक्ष्मीचन्द** (सांचोर) : क्या मंत्री सहकारी विभाग यह बताने की कृपा करेंगे :—

Page No.10

(श्री लक्ष्मीचन्द)

(१) क्या डीडवाना तहसील में धोबियों की ढाणी की समिति के नाम से ३०००) रु० उठाये गये हैं ? यदि हां, तो कब व समिति के कौन कौन सदस्य हैं ?

(२) क्या यह सत्य है कि सोसाइटी के मेम्बर्स के नाम फर्जी दर्ज कर रकम उठाने की कोई शिकायत आयी थी और उस पर सब डिवीजनल ऑफिसर से तहकीकात भी कराई गई थी ? यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा ?

उपमंत्री, सहकारी विभाग: (श्री दौलतराम सारण) : (१) जी हां, दिनांक १८–१२–५७ को। समिति के सदस्यों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) जी नहीं। प्रश्न नहीं उठता।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)

श्री लक्ष्मीचन्द : क्या इस समिति के किसी मेम्बर ने आपके पास एप्लीकेशन भेजी है कि रुपया मुझे नहीं मिला है ?

श्री दौलतराम सारण : मेरे पास इस तरह की कोई एप्लीकेशन नहीं आई है।

श्री लक्ष्मीचन्द : आपके पास नहीं आपके विभाग के पास, यह कोई जरूरी नहीं कि मन्त्री महोदय को ही एप्लीकेशन भेजी जाय।

श्री दौलतराम सारण : ऐसी कोई एप्लीकेशन नहीं आई है।

श्री लक्ष्मीचन्द : मैं साफ कह दूं कि सब–डिवीजनल आफिसर ने जाँच की है और उस जांच से यह साबित हुआ है कि मेम्बर्स फर्जी बनाये गये हैं।

श्री दौलतराम सारण : मैंने तो 'जी नहीं' उत्तर दिया है।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : क्या इस समिति के सभी सदस्य धोबी हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : श्री पी. के. चौधरी।

बी. सी. जी. युनिट की गाडी का अजमेर से जयपुर तक सन् १६५८ में दौरा

२३६. श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा): Will the Health Minister be pleased to state:-

During the year 1958 how many times the B.C.G. Unit Vehicle No. RJL 438 had come to Jaipur from Ajmer ? For what works it had to come to Jaipur on each such occasion and whether the permission of the Director of Health Services was obtained for the visit and if so, when ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री चन्द्रप्रसाद गुप्ता) : The Vehicle had come to Jaipur for 13 times from Ajmer. The works for which it had come to Jaipur on each occsion are given in the statement attached. Permission from the Directorate was taken in time whenever necessary.

(कृपया परिशिष्ट ४ देखिए)

श्री पी. के. चौधरी : यह जो १३ टाइम्स विजिट किया, इसमें नोट नेसेसरी

(श्री पी० के० चौधरी)

बताया, एक बार विजिट किया उसकी परमिशन डाइरेक्टर ने दी क्या ?

गृह मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) : एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटी पर आता है तो परमिशन की आवश्यकता नहीं। आप लिस्ट देखिये।

श्री पी० के० चौधरी : आपने फरमाया कि नेसेसरी था तो परमिशन दी गई तो क्या यह माना जाय कि नोट नेसेसरी विजिट्स में बिना परमिशन आये थे ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : रोजमर्रा के रूटीन काम के लिए गाड़ी आती है तो उसमें परमिशन की आवश्यकता नहीं, स्पेशल पर्पज के लिये आती है तो परमिशन लेना जरूरी होता है।

श्री पी० के० चौधरी : क्या दूसरी विजिट्स में बगैर परमिशन के आये थे Out of 13 on 8 occasions it is written that it was not necessary.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : हां, परमिशन लेकर आये यह मैंने जवाब दिया ?

श्री पी० के० चौधरी : प्रायर परमिशन के लिये मैंने पूछा।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : परमिशन की डेट लिस्ट में दी हुई है। १७ को आये तो १६ की परमिशन है, ६ को आये तो ५ को परमिशन ली है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामनारायण वर्मा।

बीज उत्पादन केन्द्र बोरखेड़ा (कोटा) में कृषि के आधुनिक तरीकों के बावजूद कम पैदावार

२३७. **श्री रामनारायण वर्मा** (पीपल्दा—सु०) : क्या कृषि मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि बीज उत्पादन केन्द्र बोरखेड़ा (कोटा) में कृषि विशेषज्ञों द्वारा सुधरे हुए हल और बीज आदि का उपयोग करके कृषि की जाती है ?

(२) यदि हां, तो क्या यह भी सत्य है कि उक्त फार्म किसानों के पड़ोस के खेतों से भी कम पैदावार होती है ?

(३) गत वर्ष की बीघा गेहूं की पैदावार क्या हुई तथा इस वर्ष लगभग गेहूं की बीघा कितना पैदा हुआ ?

उप-मंत्री, कृषि (श्री दौलतराम सारण): (१) जी हां।

(२) जी हां, कभी कभी ऐसा भी हुआ है। क्योंकि यह फार्म ग्राम सेवकों को शिक्षा देने के काम में भी आता है।

(३) पिछले साल की उपज ६ मण प्रति एकड़ थी और इस वर्ष चाही जमीन में सी ५६१ गेहूँ १२ मन प्रति एकड़ व भावली इकपानियां बारानी जमीन में ६ मन प्रति एकड़ पैदा हुआ।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर) : आपने कहा कि ग्राम सेवकों को शिक्षा देने के काम में आता है, जिस खेत पर शिक्षा

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

देते हैं वहां पास पड़ौस के खेतों से कम पैदायश क्यों होती है ?

श्री दौलतराम सारण : क्योंकि वे इतने ट्रेन्ड नहीं होते और लेबर भी दूसरे किसानों के बराबर नहीं कर सकते हैं इसलिये उसमें कम पैदा होती है।

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : क्या यह सही है कि विशेषज्ञ थियोरेटिकल ज्ञान रखते हैं प्रेक्टिकल ज्ञान नहीं रखते ?

श्री दौलतराम सारण : प्रेक्टिकल के लिये ही तो ट्रेनिंग होती है।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : किस कारण से वहां पैदावार कम होती है, जमीन खराब है या बीज खराब है ?

श्री दौलतराम सारण : मैंने उत्तर दे दिया है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास।

दलित वर्ग एवं हरिजनों के लिए नियम

२३८. **श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर सिटी) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री निम्न-लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या सरकार ने सारे राजस्थान में दलित वर्ग व हरिजनों के लिए यह नियम बनाया है कि सन् १९५३ से पहले से वे जिन स्थानों पर रहते हैं, उन्हें वहां से हटाया जावेगा ?

(२) यदि हां, तो इस नियम के बावजूद भी राजस्थान में कहां कहां कितने परिवारों को हटाया गया ?

(३) कृपया जयपुर शहर की सूची सदन की मेज पर रखें जिसमें कि ऐसे लोगों का व्यौरा हो, जिनको कि हटाया गया है।

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (१) जी नहीं।

(२) और (३)-प्रश्न नहीं उठता।

श्री मुरलीधर व्यास : स्टेशन रोड़ के पास गणेशजी के मन्दिर के पीछे हरिजन बस्ती है, तो उन्हें हटाया गया कि नहीं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : आपने पूछा है कि आदेश दिया है कि नहीं, हमने कोई आदेश नहीं दिया।

श्री मुरलीधर व्यास : किसके आदेश से हटाया ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : कोई हटाया ही नहीं गया। आपने पूछा है, "क्या सरकार ने सारे राजस्थान में दलित वर्ग व हरिजनों के लिये यह नियम बनाया है कि सन् १९५३ से पहले से वे जिन स्थानों पर रहते हैं, उन्हें वहां से हटाया जावेगा ? मैंने उत्तर दिया कि आदेश नहीं दिया।

श्री मुरलीधरव्यास : मैंने पूछा है, नहीं हटाया जायेगा।

श्री उपाध्यक्ष : This is the mistake of the office.

श्री मुरलीधर व्यास : आपके पास यह इसे गलत रूप में आ गया पर दूसरा

Page No.13

(श्री मुरलीधर व्यास)

प्रश्न तो साफ है "यदि हां, तो इस नियम के बावजूद भी राजस्थान में कहां कहां कितने परिवारों को हटाया गया ? इससे साफ है कि नहीं हटाने का नियम है इसलिये पूछा गया है ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : पहले का उत्तर 'जी नहीं' है । इसे संशोधित करके पूछा जाय तो भी उत्तर 'जी नहीं' है ।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं लग जाय तो भी उत्तर 'जी नहीं' है । (हँसी)

श्री मुरलीधर व्यास : पुराने बसे हुओं को नहीं हटाया जायेगा तो इस आधार पर पूछता हूँ कि यहाँ हटाया गया है तो कितने घरों को हटाया गया है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : नहीं हटाया गया ।

श्री मुरलीधर व्यास : हटाया गया है । मैंने जानकारी की है कि स्टेशन रोड के पास गणेशजी के मंदिर के पीछे हरिजन बस्ती है वहाँ से ५ घरों को हटाया गया है और बाकी को नोटिस दिया गया है इसलिए जानकारी चाहता हूँ कि सरकार की क्या नीति है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : किसी पब्लिक पर्पज के लिए, रोड बनाने की बात हो तो एक्वायर किया जा सकता है, वह तो दूसरी बात है, और किसी हरिजन को बेदखल नहीं किया जायगा ।

श्री मुरलीधर व्यास : नहीं किया गया है या नहीं किया जायगा ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : नहीं किया जायेगा और न किया गया है । जो लोग ४० साल से काबिज हैं उन्हें नहीं हटाया जायगा । इस तरह की सरकार की नीति है और खास तौर से हरिजनों के बारे में यह है कि उन्हें नहीं हटाया जाय । मैंने आज जांच की है और मुझे बताया गया है कि किसी को नहीं हटाया गया है।

श्री मुरलीधर व्यास : अगर किसी को हटाया गया है तो क्या यह मान लिया जाये कि आदेश के माफिक कार्यवाही नहीं की गई है ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : आदेश यह है कि नहीं हटाया जाय और किसी को नहीं हटाया गया । पब्लिक पर्पज के लिए कोई जमीन एक्वायर की जाय तो वह बात और है पर हरिजन का प्लॉट छीन कर किसी दूसरे को दे दिया जाय, इस प्रकार की कोई योजना नहीं ।

श्री मुरलीधर व्यास : एक जगह से हरिजनों को हटाया गया है, दूसरों को मकान देने के लिए, यदि ऐसी कोई कार्यवाही हुई है तो क्या सरकार उन अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करने को तैयार है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : ऐसा कोई नहीं हुआ, आप बतायेंगे तो जांच की जायगी ।

श्री मुरलीधर व्यास : मैं बता रहा हूँ कि ५ मकानों को हटाया गया है, स्टेशन रोड गणेशजी के मन्दिर के पीछे ।

Page No.14

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : वह स्पेसिफिक केस बतायेंगे तो मैं देखूंगा कि क्यों हटाया गया है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामकरणसिंह।

तहसील कोटपुतली में सिंचाई विभाग का कार्य

२३६. **श्री रामकरणसिंह** (कोटपुतली): क्या सिंचाई मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देंगे :

(१) क्या यह सही है कि तहसील कोटपुतली में सिंचाई विभाग की ओर से राजस्थान बना तब से कोई भी काम नहीं किया गया ?

(२) क्या अब सरकार वहाँ कोई काम करने का विचार रखती है ?

(३) क्या यह सही है कि तहसील कोटपूतली में ट्यूब वैल्स के अलावा सिंचाई की कोई स्कीम कामयाब नहीं हो सकती ?

(४) यदि हाँ, तो इसके लिये क्या सरकार कोई तजवीज करेगी ?

सिंचाई मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (१) यह संपूर्णत: सही नहीं है क्योंकि उक्त तहसील में सिंचाई योजनाओं की सर्वे का कार्य निरन्तर जारी रहा है परन्तु योग्य स्थान के अभाव में कोई योजना बना कर कार्यान्वित नहीं की जा सकी।

(२) जी हां।

(३) ट्यूब वैल्स का सम्बन्ध एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से है; सिंचाई योजनाओं की कामयाबी के बारे में अनुसन्धान संपूर्ण होने पर ही बताया जा सकता है।

श्री रामकरणसिंह : आपने फरमाया है कि वहाँ सर्वे होता रहा है तो आठ, दस साल तक सर्वे ही होता रहा है कन्स्ट्रक्शन नहीं हुआ ?

श्री रामकिशोर व्यास : कोटपुतली तहसील में बंध के लिए स्कोप कम है।

श्री रामकरणसिंह : तो यह माना जाय कि आपके इन्जीनियर्स बिल्कुल असफल रहे हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास : आप जैसा मुनासिब समझें समझ सकते हैं मैंने तो फैक्ट्स रखे हैं।

श्री रामकरणसिंह : वहां डेढ़ लाख से ऊपर की दो-तीन स्कीमें हैं, जो इन्जीनियर्स भारत सेवक समाज के थ्रू गये हैं वे तो मानते हैं कि वहां स्कोप है।

श्री रामकिशोर व्यास : सर्वे जारी है, इसमें कई बातें हैं, अव्वल तो कोई स्कीम होनी चाहिए, दूसरे ऐसा उपयुक्त स्थान होना चाहिए जहाँ स्कोप हो। अभी कोई डेफिनेट योजना नहीं कह सकता, सर्वे के बाद ही डेफिनेट बात कह सकता हूं।

श्री रामकरणसिंह : सर्वे किस जगह की जा रही है, कौन सी जगह पसंद आई है ?

श्री रामकिशोर व्यास : सभी जगह सर्वे हो रही है। जगह पसंद का सवाल नहीं, सर्वे हो रही है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री भैरवलाल 'काला बादल'।

कृषि-बीज उत्पादन फार्म, झालावाड़

२४०. श्री **भैरवलाल 'काला बादल'** (अकलेरा-सु०) : क्या कृषि मंत्री यह बताने कृपा करेंगे :

(क) क्या तहसील खानपुर, जिला झालावाड़ में कृषि बीज उत्पादन फार्म खोलने की योजना है ?

(ख) क्या इस फार्म के लिये जमीन खरीद ली गई ? यदि हाँ, तो किस कीमत पर ?

(ग) क्या सरकार नहरी जमीन कम रेट मिलने पर पर भी बिना सिंचाई की जमीन अधिक रेट पर खरीदने का विचार रखती है ? यदि हाँ, तो क्यों ?

उपमंत्री, कृषि (श्री दौलतराम सारण): (१) जी हाँ।

(२) अभी तक जमीन नहीं खरीदी गई है।

(३) जी हाँ, क्योंकि जो भूमि ली जानी प्रस्तावित है वह फार्म के लिए अधिकारियों की राय में अधिक उपयुक्त है। उक्त जमीन में चांदखेरी टैंक से भविष्य में सिंचाई के लिए पानी की भी संभावना है

श्री उपाध्यक्ष : श्री भैरवलाल 'काला बादल'।

अरबन इम्प्रूवमेंट बोर्ड द्वारा आदर्शनगर, जयपुर में प्लाट देना

२४१. श्री **भैरवलाल 'काला बादल'** (अकलेरा सु०) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) आदर्श नगर, जयपुर में अरबन इम्प्रूवमेंट बोर्ड द्वारा जे नम्बर स्कीम में किस किस व्यक्ति को प्लॉट दिए गए हैं ?

(ख) जिन लोगों द्वारा प्लॉटों की रकम ३ वर्ष पूर्व जमा करा दी गई थी, उनको अभी तक प्लॉट न देने का क्या कारण है ?

उपमंत्री, स्वायत्त शासन (श्री पूनमचन्द विश्नोई) : (क) जिन व्यक्तियों को जे क्लास-प्लॉट दिये गये हैं उनकी सूची सदन की मेज पर रखवा दी गई है।

(ख) भूमि के इस प्रकार के कुछ प्लॉटों में कच्चे मकान बने हुए होने के कारण भूमि विक्रय नहीं की जा सकी। इसके लिए प्रयास जारी है।

(कृपया परिशिष्ठ ५ देखिये)

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : जिन प्लॉटों पर लोगों ने कब्जा कर रखा और पैसे जमा करा दिये उनके इम्प्रूवमेंट में कोई विचार नहीं किया ?

श्री पूनमचन्द विश्नोई : जिन्होंने पहले कब्जा कर रखा था उनका अनऑथेराइज्ड कन्सट्रक्शन है उनको हटा दिया जावेगा।

डा० बहादुरसिंह : कब तक हटा दिया जावेगा ?

श्री पूनमचन्द : प्रयास जारी है।

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट। श्रीमूलचन्द डागा।

रबी फसल के समय सरकार द्वारा अनाज की खरीद

२४२. श्री **मूलचन्द डागा** (पाली) : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(श्री मूलचन्द डागा)

इस साल रबी फसल के समय सरकार ने कितना कितना व कौन कौन सा अनाज किस भाव से किस किस मंडी से खरीद किया ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

खाद्य मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : इस साल रबी की फसल के समय सरकार ने २३,२०,५०,६३४ मन, २० सेर १२ छटांक गेहूँ गंगानगर, कोटा, भरतपुर, बूंदी व झालावाड़ जिलों से भारत सरकार द्वारा निर्धारित भाव यानी १३ रु० से १५ रु० प्रति मन से खरीदा और ६३,१२७ मन ३५ सेर चना दर १० रु० प्रति मन के हिसाब से और ८१ मन, १५ सेर जो दर ६. ५० न० पै० के हिसाब से खरीद किया है। जिसकी सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत कर दी गई है।

[कृपया परिशिष्ट ६ देखिए]

श्री मूलचन्द डागा : क्या सरकार ने इसके लिये कोई टारजेट फिक्स किया था ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : टारजेट फिक्स किया था उसी के अनुसार खरीदा गया।

श्रीमूलचन्द डागा : कितना टारजेक्ट था ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : ५० हजार का गंगानगर डिस्ट्रिक्ट का टारजेट था।

श्री मूलचन्द डागा : क्या टारजेट के अनुसार खरीद सके और नहीं तो क्यों नहीं खरीद सके ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : खरीद अभी भी चालू है।

श्री हरिप्रसाद यादव (बल्लभनगर-सु) : कितना टारजेट था, कई जिलों में गेंहूं...

श्री उपाध्यक्ष : Order, Order.

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर-सिटी) : सारे राजस्थान से कितना धान खरीदने का सरकार का टारजेट था ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : करीब १ लाख टन का था।

श्री मुरलीधर व्यास : इसमें से गंगानगर से कितना खरीदा ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैंने आपको फिगर्स दे दिये हैं। गंगानगर से विभागीय खरीद १,३२,८२७ मन व सहकारी समितियों द्वारा ६८,११४ मन खरीदा गया।

उपाध्यक्ष : नेक्स्ट। पी०के० चौधरी।

नाथद्वारा मंदिर के प्रबंध (Management) का स्वयं का पावर हाउस

२४३. श्री पी०के० चौधरी (फुलेरा) : Will the Minister incharge of Power be pleased to state:-

1. Is it correct that the Nathdwara temple management have a power house of their own to supply power to the temple ? Is it also correct that the power house authorities don't possess any licence to supply power to the genreal public in the township of Nathdwara ?

Page No.17

(श्री पी० के० चौधरी)

2. Is it correct that the power house in question is supplying power to Nathdwara township without holding a valid licence for the same ? If so, why no action is taken against the pawer house authorities or in the altternative why the authorities concerned are not made to obtain a valid licence ?

विद्युत मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) :
1. The electricity supply to the Nathdwra temple is being made by the Manager,Shri Krishna Bhandar, Nathdwara.

The Manager, Shri Krishna Bhandar, Nathdwara is supplying Power to the general public in the township of Nathdwara under sanction issued under section 28 of the Indian Electricity Act, 1910 under Govt. order.

2. The period of this sanction is valid upto 10th Nov.1959. The question of taking sanction under law does not thus arise.

श्री पी० के० चौधरी : Whether a licence was issued for supplying the electricity ?

श्री रमकिशोर व्यास : No.

श्री पी० के चौधरी : Then was it not a violation of the Act?

श्री रामकिशोर व्यास : No.

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : क्या कृष्ण भंडार कांकरोली पर भी पॉवर हाउस है ?

श्री रामकिशोर व्यास : यह तो नाथद्वारे का प्रश्न है ।

डॉ० बहादुरसिंह : क्या कांकरोली में भी पॉवर हाउस है ?

श्री रामकिशोर व्यास : मैं नहीं कह सकता ।

श्री पी० के० चौधरी : क्या इलेक्ट्रिक एक्ट में यह प्रोविजन है कि बिना लाइसेन्स के पॉवर हाउस चला सके । Supplier must hold a licence.

श्री रामकिशोर व्यास : सेक्शन २८ इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के तहत में है ।

डॉ० बहादुरसिंह : राजस्थान में कितने अनॉथोराईज्ड पॉवर हाउस हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास : यह अनथोराइज्ड नहीं है ।

डॉ० बहादुरसिंह : क्या लाइन्स लिया है ?

श्री रामकिशोर व्यास : These are two different things.

श्री पी० के० चौधरी : इसके लिए लाइसेन्स की जरूरत नहीं है क्या ।

श्री रामकिशोर व्यास : इसके लिए सेक्शन तीन और सेक्शन २८ में व्यवस्था है ।

Page No.18

श्री पी० के० चौधरी : क्या वह शर्त इसके लिए लागू नहीं होती।

श्री राम किशोर व्यास : गवर्नमेंट सैंक्शन होती है।

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री गिरधारीलाल।

बीकानेर वन विभाग की ओर से कजोड़ बीड़ नामक स्थान पर नया वन

२४४. **गिरधारीलाल** (नोखा) : क्या वन मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या बीकानेर वन विभाग की ओर से कजोड़ बीड़ नामक स्थान पर कोई नया वन लगाया गया है ? अगर हां, तो उस पर अब तक कुल कितना खर्च हो चुका है ?

(२) उपरोक्त स्थान पर अब तक सरकार की ओर से कुल कितने पुराने पेड़ काट कर उनकी जगह नए पेड़ लगाए गए।

(३) क्या यह सही है कि उक्त स्थान पर सिर्फ एरंड के सिवाय और कोई पेड़ नहीं है ? हां, तो क्यों ?

उपमंत्री, वन (पूनमचन्द विश्नोई) :

(१) जी नहीं। लेकिन शायद माननीय सदस्य का प्रश्न जेड़ बीड़ बीकानेर के बारे में है। वहां मार्च, १६५६ तक ४६,६१२) खर्च हुए।

(२) पुराने पेड़ कोई भी नहीं काटे गए। नए पेड़ ५०० एकड़ भूमि पर लगाए गए।

(३) जी नहीं।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : नए पेड़ कब से लगाए जा रहे हैं और कितने अब तक लगे हैं ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : १६५६ से लगाते जा रहे हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : कितने पेड़ लगे हैं अभी तक ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : गिनती नहीं की है। ५०० एकड़ में लगाए गए हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : कितने पेड़ लगाने की योजना ५६ से अब तक थी और अब तक कितने पेड़ वहां पर लगे ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : गिनती नहीं की गई कि कितने पेड़ लगे। खाइयां खोद कर लगाए गए। गिनती लगाना कि कितने लगे यह मुश्किल है।

दलपतसिंह (आबू) : इन पेड़ों की जनरल कन्डीशन क्या है ?

श्री पूनमचन्द विश्नोई : इनकी जनरल कन्डीशन अच्छी है।

श्री मुरलीधर व्यास : ४० हजार रुपए जो खर्च हुए वे पेड़ लगाने में खर्च हुए या सारा खर्चा विभाग का है।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : पेड़ लगाए गये जिसमें खाइयां खुदाई गई, रख-

(श्री पूनमचन्द बिश्नोई)

वाली करने, पानी पिलाने आदि के लिए जो खर्चा होता है, वह सभी उसमें शामिल है।

श्री गिरधारीलाल : क्या यह सही है कि आपने ४६ हजार रुपये खर्च किए मगर आज वहां ५६ पेड़ एरंड के नहीं मिलेंगे।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : ऐसी बात नहीं है कि एरंड के सिवाय कोई पेड़ न हो। वहाँ दूसरे पेड़ भी मिलेंगे।

श्री मुरलीधर व्यास : आपने किन किन चीजों के पेड़ लगाए।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : पेड़ तो सरेस, नीम, खेजड़ा आदि के लगाते हैं।

श्री गिरधारीलाल : नीम के लगाए या एरंड के लगाए ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : अमुमन राजस्थान में नीम, सरेस और खेजड़ी के लगाये जाते हैं। जहां एरंड ठीक होता है वहां एरंड लगाया जाता है।

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : अध्यक्ष मोहदय, यह ऐसा प्रश्न है जिसमें माननीय सदस्य कहते हैं कि सिवाय एरंड के कोई पेड़ नहीं है। मिनिस्टर कहते हैं कि वहां पर दूसरे पेड़ भी हैं। इसमें कौन सत्य है माननीय मंत्री महोदय या माननीय सदस्य ? इसके लिए इन्क्वायरी का प्रश्न है। दोनों आपस में एक दूसरे के कन्ट्रोडिक्टरी हैं।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : माननीय सदस्य को जवाब दिया और वे समझ गए।

श्री गिरधारीलाल : क्या वहां पर जो पेड़ थे वे काटे गये या वे अब तक मौजूद हैं ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : पुराने पेड़ मौजूद हैं। खेजड़ी, जुलीफलोरा आदि नहीं काटे गए।

श्री गिरधारीलाल : बाकी के पेड़ नहीं काटे गए ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : मैंने इन तीनों के बारे में कहा है। ५०० एकड़ भूमि के बारे में नहीं कहा।

श्री गिरधारीलाल : मैं आपकी जानकारी के लिए कहना चाहता हूं कि पेड़ लगाने में ४६ हजार रुपया खर्च हुआ है मगर पेड़ नहीं लगे। इस बात को माननीय मंत्री खुद जानते हैं।

श्री दलपतसिंह : इस पर ४६ हजार रुपये खर्च किए। मैं यह कहूंगा कि १०० का खर्चा काफी है एरंड के पेड़ों के लिए फिर ये ४६ हजार रुपए कैसे खर्च हुए।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : मैंने अर्ज किया कि दूसरे पेड़ भी हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि वहां पर पेड़ नहीं है। वे कहते हैं कि पानी सींचने की व्यवस्था के लिए खर्च किया मगर मैं यह कहूंगा कि वहां पर पानी नहीं है। इस प्रकार की वस्तु स्थिति वहां पर है।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : मैं वहां पर जांच के आधार पर कहता हूं कि वहां पर पेड़ हैं।

Page No.20

श्री गिरधारीलाल : मैं भी यह कहता हूं कि वहां पर पेड़ नहीं हैं।

श्री **पूनमचन्द बिश्नोई** : दुबारा जांच करा ली जावेगी।

श्री दयाकृष्ण विजय : आपने किसकी जांच के आधार पर उत्तर दिया है ?

श्री **पूनमचन्द बिश्नोई** : मैंने फोरेस्ट अधिकारी की इन्फॉर्मेशन पर।

श्री दयाकृष्ण विजय : अगर फोरेस्ट अधिकारी ने गलत रिपोर्ट दी हो तो क्या सरकार उनके खिलाफ कार्यवाही करेगी।

प्रश्न संख्या २४५।

श्री उपाध्यक्ष : डॉ० चन्द्रकला।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिए)

। श्री मूलचन्द डागा।

पाली तहसील के खांडी बांध पर काम

२४६. **श्री मूलचन्द डागा** (पाली) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

पाली तहसील के खांडी बांध पर काम कब से शुरू हो जाने की आशा है तथा अब तक उसका काम शुरू नहीं होने का क्या कारण है ?

सिंचाई मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : तख़मीने की मंजूरी मार्च १९५६ में दी गई और उसके बाद टेन्डर लिए गए, जिसकी मंजूरी विचाराधीन है।

श्री मूलचन्द डागा : खांडी बांध के बनाने के लिए कितनी बार टेन्डर्स मांगे जा चुके हैं।

श्री रामकिशोर व्यास : यह तो मैं नहीं कह सकता। टेन्डर मांगे जा चुके हैं। मानसून के बाद काम शुरू हो जावेगा।

श्री रामचन्द्र (डग-सु०) : यह योजना सरकार के कब से विचाराधीन है ?

श्री रामकिशोर व्यास : अब नतीजे पर आने वाली है।

श्री रामचन्द्र : कब से विचाराधीन है, साल भर से या छः महीने से ?

श्री रामकिशोर व्यास : उसकी तारीख नहीं है।

श्री रामचन्द्र : अभी अभी योजना क्या बनी है ?

श्री **रामकिशोर व्यास** : जो जवाब देऊं उसको समझें।

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट श्री मूलचन्द डागा।

खरीफ अभियान के सम्बन्ध में व्यय

२४७. **श्री मूलचन्द डागा** (पाली) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) खरीफ अभियान को सफल बनाने और इसके प्रकाशन के कार्य में कुल कितनी धनराशि खर्च हुई ?

(श्री मूलचन्द डागा)

(ख) क्या खरीफ अभियान सम्बन्धी साहित्य पंचायतों को पहुँचाया गया। यदि हां, तो किसके मार्फत ?

उपमंत्री कृषि (श्री दौलतराम सारण) : (क) खरीफ अभियान को सफल बनाने के लिए प्रकाशन कार्य पर अभी तक करीब २५ हजार रुपया व्यय हुआ है।

(ख) जी हां, पहुँचाया गया और पहुंचाया जा रहा है तहसील पंचायत, पंचायत विभाग व जिला कृषि अधिकारियों द्वारा।

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : क्या यह सही है आपका खरीफ अभियान कोटा जिले में समाप्त हो गया है ?

श्री दौलतराम सारण : जी नहीं।

श्री दयाकृष्ण विजय : क्या यह सही है कि जो फड़का जानवर होता है उसने सारी फसल को खा लिया है और हाडोती जिले में फसल नहीं हुई है।

श्री दौलतराम सारण : अलग प्रश्न है।

श्री मूलचन्द डागा : जो लिट्रेचर इसके लिए छपवाया गया था तो क्या यह अंग्रेजी में छपवाया गया था ?

श्री दौलतराम सारण : मेरी जानकारी में हिन्दी में छपवाया गया।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती गंगादेवी डाटा।

बहादुरपुर (अलवर) की सब-डिस्पेन्सरी का डिस्पेन्सरी में परिवर्तन

२४८. **श्रीमती गंगादेवी डाटा** (रामगढ़) : क्या स्वास्थ्य मंत्री निम्न लिखित प्रश्न का देने की कृपा करेंगे :—

(१) अलवर जिले की प्रतापगढ़, थानागाजी, बानसूर, रामपुर की डिस्पेन्सरियों में दैनिक रोगियों की औसत उपस्थिति संख्या कितनी है ?

(२) अलवर जिले की बहादुरपुर सब-डिस्पेन्सरी की औसत रोगी संख्या क्या उपरोक्त डिस्पेन्सरीज से ज्यादा है ? यदि हां, तो इस सब-डिस्पेन्सरी को डिस्पेन्सरी क्यों नहीं बनाया जाता ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (१) प्रतापगढ़, थाना, गाजी बानसूर व रामपुर की डिस्पेन्सरियों में दैनिक रोगियों की औसत संख्या निम्न प्रकार है :

प्रतापगढ़	३६
थानागाजी	६३
बानसूर	७६
रामपुर	३१

(२) सरकार द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली द्वितीय पंचवर्षीय योजन के अन्तर्गत ऐसी कोई योजना नहीं है जिसके अन्तर्गत एडपोस्ट को उन्नत करके डिस्पेन्सरी बना दी जावे। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में प्राइमरी हैल्थ सेन्टर खोलने का प्रावधान है।

श्रीमती गंगादेवी डाटा : दूसरे नम्बर के प्रश्न का उत्तर दुबारा कहने की कृपा करें।

Page No.22

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैंने कई बार पहले भी अर्ज किया था कि सेकिन्ड फाइव इयर प्लान में प्राइमरी हैल्थ सेन्टर्स खोलने का प्रोविजन है । इसलिए ऐसे एड पोस्ट कायम करने का कोई प्रावधान नहीं है । जब हैल्थ सेन्टर ब्लॉक में खोलेंगे तब विचार करेंगे ?

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेन्ट कमेटी और हैल्थ ऑफिसर ने इसको रिकमन्ड किया है क्या ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : प्राइमरी हैल्थ सेन्टर ही नये खोले जाते हैं, रिकमन्ड करने का सवाल नहीं होता ।

डॉ० बहादुरसिंह : रिकमन्ड किया है या नहीं ?

श्री बद्रीप्रसा गुप्ता : रिकमन्ड करने का सवाल कहां होता है ?

श्रीमती गंगादेवी डाटा : ब्लॉक एरिया में खोले जाते हैं ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : ब्लॉक एरिया में खोलने का प्रोविजन है ।

श्रीमती गंगादेवी डाटा : यह भी ब्लॉक एरिया में आता है ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यदि ब्लॉक एरिया में है तो प्राइमरी हैल्थ सेन्टर खोला जावेगा ।

श्रीमती गंगादेवी डाटा : ब्लॉक को खुले हुए काफी समय हो गया है और यह किशनगढ़ एरिया में आता है ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : सब में खोला जावेगा ।

श्री गंगादेवी डाटा : कितने हैल्थ सेन्टर्स एक ब्लॉक में खोलते हैं ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : एक सेन्टर खोलते हैं और तीन उसकी ब्रान्चेज होती हैं ।

श्रीमती गंगादेवी डाटा : आबादी या कस्बे के लिहाज से ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : ब्लॉक डेवलपमेन्ट कमेटी की रिकमन्डेशन पर खोलते हैं ।

श्रीमती गंगादेवी डाटा : ब्लॉक डेवलपमेन्ट कमेटी ने तीन महीने हुए मीटिंग में तय करके रिकमन्डेशन की है ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : अगर बी. डी. सी. ने किया है और डेवलपमेन्ट डिपार्टमेंट से भेजा है तो विचार किया जावेगा ।

श्रीमती गंगादेवी डाटा : पिछले तीन महीने से मीटिंग होकर इस पर रिकमन्डेशन की गई है । हैल्थ ऑफिसर ने भी रिकमन्डेशन की है । अब तक वह सब-डिस्पेन्सरी ही है उसका इतना कम बजट है कि मरीजों को दवा भी नहीं मिलती ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : अगर बी.डी.सी. रिकमन्ड किया है तो डेवलेपमेंट डिपार्टमेंट उस पर विचार करेगा । डेवलपमेन्ट डिपार्टमेंट की ही रिकमन्डेशन पर सेन्टर खोला जावेगा ।

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : क्या बी. डी. सी. की राय को प्राथमिकता देते हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : बी. डी. सी. राय लेकर डेवलपमेन्ट डिपार्टमेन्ट को भेजते हैं और वहां से लिखने पर खोला जाता है।

श्रीमती गंगादेवी डाटा : ब्लॉक की जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेन्ट कमेटी है उसने भी रिकमन्ड किया है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : उसी के लिए तो कह रहा हूँ कि ब्लॉक की जो कमेटी होती है डेवलपमेन्ट की वह डेवलपमेन्ट डिपार्टमेन्ट को भेजती है और फिर डेवलपमेन्ट डिपार्टमेन्ट की रिकमन्डेशन पर खोलते हैं।

श्रीमती गंगादेवी डाटा : अगर रिकमन्डेशन कर दे तो खोल देंगे ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : अगर डेवलपमेन्ट डिपार्टमेन्ट की रिकमन्डेशन होगी तो खोलेंगे।

श्रीमती गंगादेवी डाटा : अगर वह रिकमन्डेशन कर देता है तो खोलने की कृपा करेंगे ?

श्री हरिप्रसाद यादव (वल्लभनगर-सु०): माननीय उपाध्यक्ष जी यह बहिन जी......

श्री उपाध्यक्ष: ऑर्डर ऑर्डर। वे विचार करेंगे।

श्रीमती गंगादेवी डाटा : रिकमन्डेशन की गई तो खोलेंगे या नहीं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैंने स्पष्ट कह दिया है कि बी. डी. सी. की रिकमन्डेशन पर डेवलमेपमेन्ट डिपार्टमेंट लिखता है तो खोलते हैं। हम इनीशियेटिव लेकर नहीं खोलते।

श्री उपाध्यक्ष : डेवलपमेन्ट डिपार्टमेन्ट लिखता है, बीच में वह नहीं आ जाता तब तक नहीं खोलते हैं यह मुश्किल है।

श्री उपाध्यक्ष : डॉ० बहादुरसिंह।

पार्वती बांध का ताजपुर नाला

२४६. **डॉ० बहादुरसिंह** (धौलपुर) : क्या सिंचाई मन्त्री उत्तर देने की कृपा करेंगे:

(१) क्या पार्वती बांध का ताजपुर नाला टूट गया था ? यदि हां, तो कब ?

(२) उक्त नाले के टूटने के क्या कारण हैं तथा निर्माण के कितने दिन बाद टूटा है ?

(३) जिन अधिकारियों के नियन्त्रण में उक्त नाले का निर्माण किया गया, उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही की जा रही है ? यदि नहीं तो क्यों ?

सिंचाई मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (१), (२), (३)—जी नहीं।

डॉ० बहादुरसिंह : ताजपुर के पास कारोल के पास जो नाला है वह टूटा है ?

श्री रामकिशोर व्यास : मामूली मरम्मत की बात है।

डा० बहादुरसिंह : तीन दफा टूटा है।

श्री रामकिशोर व्यास : मेरे पास टूटने की इन्फोर्मेशन नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मोगजी भाई ।

कुशलगढ़ से उदयगढ़ व कुशलगढ़ से बांसवाड़ा की सड़कों का निर्माण

२५८. **श्री मोगजभाई** (बांसवाड़ा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(क) कुशलगढ़ से उदयगढ़ व कुशलगढ़ से बांसवाड़ा की सकड़ों का निर्माण कार्य कब से आरम्भ किया गया था व अब तक कितने ठेकेदारों को ठेका दिया गया ?

(ख) उक्त सड़कों का निर्माण कार्य अब तक कितना पूरा हुआ है और कितना कार्य बाकी है ?

(ग) क्या यह सही है कि उपरोक्त सड़के सिर्फ ११ व १६ मील लम्बी हैं ? यदि हां, तो उनके अभी तक पूरा नहीं होने का क्या कारण है ?

(घ) उपरोक्त सड़कों के पुल निर्माण कितनी बार किये थे और वर्षा से या दूसरे कारणों से कितनी बार पुल टूट गये ?

उप-शिक्षा-मंत्री (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है इसलिए अगले महीने दिया जावेगा।

श्री उपाध्यक्ष : पोस्टपोन्ड ।

श्री हुकुमसिंह ।

श्री मोगजी भाई (बांसवाड़ा) : अगले महीने क्यों दिया जावेगा ? एक महीना हो गया और अब तक जवाब नहीं आया है ।

श्री उपाध्यक्ष : अबकी बार दे दिया जावेगा ।

श्री मोगजी भाई : कब तक ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : अगले महीने ।

श्री मोगजी भाई : इसी सेशन में ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री उपाध्यक्ष : श्री हुकमसिंह ।

नागोर जिले की तहसील जायल के वार्ड

२५९. **महाराज श्री हुकमसिंह** (जैसलमेर): क्या मन्त्री स्वायत्त शासन विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या यह सही है कि जिला नागौर, तहसील जायल के तीन वार्ड, ग्राम आवलिबासर, बागरासर, भोसरी, ग्राम पंचायत चऊ, तहसील नागोर में सम्मिलित हैं ?

(ख) यदि हां, तो क्या यह उचित है ?

(ग) यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है ?

उप-मंत्री, स्वायत्त शासन (श्री दौलतराम सारण): (क) जी हां ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) इस प्रकार के गांवों को उक्त पंचायत में मिलाने की शीघ्र कार्यवाही की जा रही है ।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर) : यह ध्यान में कब आया था कि ये गांव इस तरह से रह गए हैं ?

श्री दौलतराम सारण : डेट तो मेरे पास नहीं है।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : आपके ध्यान में आये हुए भी अब तक कार्यवाही क्यों नहीं की गई ?

श्री दौलतराम सारण : शीघ्र कार्यवाही करने का प्रयत्न किया जा रहा है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हुकमसिंह।

राजस्थान नहर द्वारा जैसलमेर जिले की भूमि की सिंचाई

२५२. महाराज श्री हुकमसिंह (जैसलमेर): क्या सिंचाई मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे:—

(क) राजस्थान नहर का कार्य कब तक पूर्ण हो जाने की आशा है ?

(ख) उक्त नहर से जिला जैसलमेर की कितने एकड़ भूमि सिंचाई के लायक हो जावेगी तथा उस भूमि को कब तक पानी मिलना शुरू हो जावेगा ?

सिंचाई मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास): (१) राजस्थान नहर योजना के निर्माण का कार्य सन् १९५८ से लेकर १० या १२ वर्ष में समाप्त होने की आशा है।

(२) अभी इस क्षेत्र का रेक्टेन्गुलाइजेशन तथा कन्टर सर्वे किया जा रहा है। जैसलमेर जिले में कितनी भूमि सिंचाई के योग्य हो जावेगी इसका सही उत्तर देना अभी सम्भव नहीं है। अनुमानत: १.५ मिलीयन एकड़ से ऊपर भूमि की सिंचाई की जायगी। सन् १९६७ में १,००,००० एकड़ भूमि की सिंचाई प्रारम्भ की जावेगी जो कि बाद में धीरे धीरे बढ़ जावेगी ?

श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर): क्या यह सही है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में केनाल के विषय में डिस्प्यूट हो जाने से राजस्थान केनाल की डेट को बढ़ाने के लिए विचार किया गया है ?

श्री रामकिशोर व्यास : मैं समझा नहीं।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : डिस्प्यूट के कारण से डेट आगे की गई है ?

श्री रामकिशोर व्यास : टार्गेट वही है और उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

प्रश्न संख्या २५३

श्री उपाध्यक्ष : श्री शंकरलाल।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

डॉक्टर बहादुरसिंह।

धौलपुर का सदर हॉस्पिटल, केसर महारानी हास्पिटल व आयुर्वेदिक औषधालय

२५४. डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर): क्या स्वास्थ्य मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) धौलपुर के सदर हॉस्पिटल में इस समय किन किन उपकरणों की विशेष आवश्यकता है और सरकार कब तक कमी पूरा करना चाहती है ?

Page No.26

(डॉ० बहादुरसिंह)

(२) धौलपुर के केसर महारानी मैमोरियल हॉस्पिटल में इस समय कितना स्टाफ है और कितना होना चाहिये ? सरकार अभाव की पूर्ति कब तक करने का विचार रखती है ?

(३) क्या धौलपुर आयुर्वेदिक औषधालय में आवश्यकता से कम औषधियां भेजी जाती हैं व वहां चिकित्सकों का अभाव है ? क्या वहां की महिला वैद्य को किसी अन्य चिकित्सालय में नियुक्त कर रखा है ? यदि हां, तो क्यों ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (१) धौलपुर के सदर अस्पताल में टी. बी. क्लिनिक, रोगी वाहन, टीन की छत के वार्ड को पक्की छत के वार्ड परिवर्तन करना अर्थाभाव के कारण नहीं हो सकता है।

(२) केसर महारानी मैमोरियल अस्पताल स्टाफ का विवरण निम्न प्रकार है :—

लेडी डॉक्टर प्रथम श्रेणी	१
,, द्वितीय ,,	१
स्टाफ नर्स	१०
चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी	१६
मिडवाइफ	३

इनमें से १ द्वितीय श्रेणी लेडी डॉक्टर, ५ स्टाफ नर्स, १५ चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी वहां मौजूद हैं। ज्यों ज्यों उपयुक्त व्यक्ति उपलब्ध होंगे कमी पूरी की जावेगी।

(३) जी नहीं। धौलपुर आयुर्वेदिक औषधालय में आवश्यकता के अनुसार पूरी औषधियां भेजी जाती हैं और वहाँ औषधियों की कमी की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। रोगी संख्या के अनुपात को देखते हुये चिकित्सक वहां पर्याप्त हैं। वहाँ की महिला चिकित्सक को अवश्य सूरजमल बम्बईवाला अस्पताल, जयपुर में प्रतिष्ठापित कर रखा है कारण धौलपुर की अपेक्षा जयपुर में उसकी सेवायें, रोगी संख्या को ध्यान में रखते हुये अधिक उपयोगी है।

डॉ० बहादुरसिंह : धौलपुर के अन्दर जो लेडी डॉक्टर का अभाव है वह मैं समझता हूँ कि वहाँ एक वर्ष से अधिक से है और इस संबन्ध में तीन, चार बार विश्वास दिला चुके हैं और अब आप उसको कब पूरा करना चाहते हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : एक लेडी डॉक्टर वहां पर मौजूद है और एक की कमी है।

डॉ० बहादुरसिंह : सवाल यह है कि वहां सी० एस० क्लास वन की जो जगह है उसकी स्थान पूर्ति के सम्बन्ध में सरकार क्या विचार रखती है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : वह तो मैंने निवेदन किया कि उपलब्धि होने पर प्रावधान किया जावेगा।

डॉ० बहादुरसिंह : एक वर्ष से अधिक समय हो गया आपको उपलब्धि करने के लिए तो क्या कारण है इस प्रकार की उपलब्धि अभी तक नहीं हो सकी ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : हां मुझे तो उपलब्धि नहीं हुई और आपको उपलब्धि हो सके तो अच्छा है।

Page No.27

डॉ० बहादुरसिंह : सवाल यह है कि आपने जो बंगाल और दूसरी जगह से रिक्रूट किये हैं क्या वहां सी० एस० क्लास वन की कोई नहीं है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : उनमें लेडी डॉक्टर नहीं है।

डॉ० बहादुरसिंह : क्या जो लेडी कॉलेजेज़ हैं उनमें से इस प्रकार की कोई भी लेने की आपने व्यवस्था नहीं की ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : हम तो यह पोस्ट कई बार एडवर्टाइज़ कर चुके हैं। आप उपलब्ध करा दें तो अच्छा रहेगा।

डॉ० बहादुरसिंह : हमारे यहां की वैद्या को बजाय धौलपुर के जयपुर में लगा रखी है इसका क्या कारण है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : वहां के आदमी जयपुर आ गये हैं और उनका इलाज उनके माफिक है।

डॉ० बहादुरसिंह : पर वहां की महिलायें तो नहीं आई हैं, वहां के पुरुष ही आये हैं तो आप उस महिला वैद्या को वहीं भेजना चाहते हैं या दूसरी जगह पर नियुक्त करना चाहते हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मुझे तो यह मालूम हुआ है कि आनेवालों के साथ साथ महिलायें भी मौजूद हैं।

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार जयपुर) : क्या महिला वैद्या की कि नियु इस आधार पर होती है कि वहां के लोग दूसरी जगह चले गये हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जयपुर में उसकी अधिक आवश्यकता थी इसलिए उसे यहां बुलाया गया।

डॉ० बहादुरसिंह : आयुर्वेदिक औषधालय में जो एक महिला वैद्या का अभाव है उसकी क्या आप पूर्ति करना चाहते हैं।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैंने कहा कि उपलब्धि नहीं है इसलिए दिक्कत है।

डॉ० बहादुरसिंह : तो उसको वापिस कर दिया जाये। आपने उसको धौलपुर के हॉस्पिटल से हटा कर यहां सूरजमल आयुर्वेदिक औषधालय में लगा रखी है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : हमारे यहां अस्पताल के लिए कोई नहीं था इसलिए जब वहां कोई दूसरी आ जायेगी तो उसको वापिस दे देंगे।

डॉ० बहादुरसिंह : धौलपुर के लिए न तो लेडी डॉक्टर मिलनेवाली है और न महिला वैद्या ....

श्री उपाध्यक्ष : He may approach him in the Chamber.

डॉ० बहादुरसिंह : सवाल यह है कि वहां से लेडी डॉक्टर को हटा दिया और फिर महिला वैद्या को भी हटा दिया।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर) : ये स्वयं डॉक्टर जब वहां मौजूद हैं तो फिर क्या बात है ?

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा (किशनगढ़): और डाक्टरनीजी घर पर हैं।

प्रश्न संख्या २५५

श्री उपाध्यक्ष : श्री तेजमल बापना ।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

श्री मोहब्बतसिंह ।

सड़कों के कार्य में प्रगति

२५६. श्री मोहब्बतसिंह (सिरोही) : Will the Minister for Public Works Department be please to state:—

What is the progress of work on:—

(a) Sarupganj-Kotra road;

(b) Sirohi-Moras road; and

(c) Pindwara-Ambli road ?

उप-मंत्री, शिक्षा (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : The road from Kotra and to Swaroopganj upto 21st mile (Khampa) is completed and 4 miles from Swaroopganj to Rohira village is a metalled road and renewal work on this portion is in progress. Estimates for the portion Khampa to Rohira are under preparation.

(b) Survey work of this road is in progress.

(c) The work has been let out recently and is in progress.

प्रश्न संख्या २५७

श्री उपाध्यक्ष : श्री शंकरलाल । (अनुपस्थित)

सिंचाई विभाग के कर्मचारियों को अतिरिक्त कार्य (Hard Duty) का भत्ता

२५८. श्री मोहब्बतसिंह (सिरोही) : Will the Minister for Irrigation Deparment be pleased to state:—

Whether the Government contemplates to give hard duty allowance to the staff engaged in the survey and Investigation Branch of the Irrigation department ?

सिंचाई मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : The matter is under consideration.

श्री मोहब्बतसिंह : Since when the matter is under consideration and how long more will it take ?

श्री रामकिशोर व्यास : It will take sometime more.

श्री मोहब्बतसिंह : Since when it is under the consideration of the Government.

श्री रामकिशोर व्यास : Since it is with the Chief Engineer.

श्री उपाध्यक्ष : Why ?

श्री रामकिशोर व्यास : That it thought proper.

श्री उपाध्यक्ष : डॉ० चन्द्रकला ।

मोटर गेरेज

२५९. डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(डॉ० चन्द्रकला)

(क) राजस्थान में सरकारी मोटर गेरेज कहाँ कहाँ पर हैं ?

(ख) क्या यह सच है कि राज्याधिकारियों की मोटरगाड़ियाँ दुरुस्ती के लिए राज्य गेरेज में आती हैं ? क्या मोटर गाड़ियों के साथ उनके ड्राइवरों को भी जाना पड़ता है और उनकी दुरुस्ती होने तक उन्हें वहीं रहना पड़ता है ?

(ग) ड्राइवरों को उक्त दिनों का क्या भत्ता मिलता है और किस हिसाब से ?

(घ) क्या यह सच है कि मोटर गेरेज में रिपेयर (दुरुस्ती) के लिए आई हुई गाड़ियाँ तीन तीन महीने तक दुरुस्त नहीं होती और ड्राइवरों को तब तक रहना पड़ता है ?

उप-मंत्री, यातायात (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : (क) सेन्ट्रल गेरेज जयपुर और डिविज़नल गेरेज, उदयपुर ।

(ख) राज्याधिकारियों की प्राईवेट गाड़ियाँ गेरेजों में दुरुस्त नहीं की जाती वरन् सरकारी विभागों की गाड़ियाँ ही दुरुस्ती के लिए ली जाती हैं जिनको संभालने के लिए ड्राइवर का साथ जाना जरूरी है । दुरुस्ती होने तक उनके वहाँ रहने की कोई पाबन्दी नहीं है ।

(ग) जिन विभागों के ड्राइवर उन विभागों की आज्ञानुसार दुरुस्ती होने तक गेरेज में ही ठहरते हैं उनको नियमानुसार भत्ता उन विभागों द्वारा ही दिया जाता है न कि गेरेज विभाग द्वारा ।

(घ) दुरुस्ती में कितना समय लगे, यह गाड़ी में होनेवाली खराबी पर निर्भर करता है तथा ड्राइवरों को वहाँ तैनात रखना भी संबंधित विभाग की मर्जी पर है ।

डॉ० चन्द्रकला : तो क्या सरकार यह महसूस नहीं करती है कि ड्राइवरों को कभी कभी अपना घर छोड़कर बहुत लम्बे अरसे तक जयपुर शहर में रहना पड़ता है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : जी हाँ, जो नोकरी करते हैं उनको यह मुसीबत कभी कभी उठानी पड़ जाती है ।

डॉ० चन्द्रकला : तो क्या यह मोटर ड्राइवरों को ही कर्तव्यबुद्धि दी जाती है या दूसरों को भी ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : सभी को होती है । कोई कहीं दौरे पर जाता है, कहीं किसी को दूसरी जगह कई दिन रहना होता है ।

डॉ० चन्द्रकला : इनको जो भत्ता मिलता है यह बिल्कुल निश्चित भत्ता यात्रा और जयपुर शहर में रहने का दैनिक भत्ता वगैरह मिलता है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : नियमानुसार उनको पूरा भत्ता मिलता है ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मोहब्बतसिंह ।

कालिन्द्री डिस्पेन्सरी में कम्पाउन्डर तथा मिडवाइफ की अतिरिक्त आवश्यकता

२६०. **श्री मोहब्बतसिंह** (सिरोही) : Will the Minister for Medical and Public Health Department be pleased to state:—

(श्री मोहब्बतसिंह)

(1) Whether the Government is aware that in Kalandri dispensary of Sirohi District there is an acute need of one more compounder and mid-wife ?

(2) If so, what steps are being taken to meet this demand ?

चिकित्सा एवं जन-स्वास्थ्य मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता): (1). Yes. One more compounder is needed.

(2). The post of one compounder was included in the new expenditure budget 59-60 but the same has not been sanctioned. Nurse-Dai lying vacant will be filled up as and when qualifide female staff will be be available.

श्री मोहब्बतसिंह : क्या क्वालिफाइड कम्पाउन्डर्स की भी सरकार के सामने कमी है? यदि कमी है तो यह कब तक पूरी हो जायेगी ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : कम्पाउन्डर की तो पोस्ट ही सेंकशन नहीं हुई है ।

श्री उपाध्यक्ष : डॉ० चन्द्रकला ।

डॉ० चन्द्रकला : कौन सा है ?

श्री उपाध्यक्ष : २४५ ।

हसनपुरा (जयपुर) में हरिजन बस्ती बसाने की योजना

२४५. **डॉक्टर चन्द्रकला** (किशनपोल बाजार, जयपुर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या हसनपुरा (जयपुर) में कोई हरिजन बस्ती बसाने की योजना बनाई गई थी ? यदि हां, तो कितने घरों को बसाने की ?

(ख) क्या इस बस्ती में हरिजनों के साथ सवर्णों को भी बसाने की सुविधा देने की योजना है ? यदि हां, तो क्या क्या ?

(ग) अब तक इस योजना के अन्तर्गत कितने प्लॉट अलॉट किये जा चुके हैं और कितने प्लॉट अलॉट होने बाकी हैं । इनमें से कितने प्लॉट पर हरिजन या सवर्ण पहले से काबिज हैं ?

(घ) योजनानुसार बस्ती बसाने की कार्यवाही कब शुरू हो जायेगी ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (क) जी हाँ, ८८ घरों की ।

(ख) वास्तव में यह योजना केवल हरिजनों के लिए ही है; पर कुछ सवर्ण भी यहां पर भूखण्ड लेने के लिए उत्सुक थे अतः उन्हें भी यहीं भूखण्ड उन्हीं दरों पर दिये गये थे जिन पर हरिजनों को दिये गये थे ।

(ग) इस योजना के अन्तर्गत अभी तक ३२ प्लॉट दिये गये हैं जिसमें ३० हरिजनों को तथा २ सवर्णों को दिये गये हैं । लगभग इतने ही परिवार यहां पर पहले से काबिज थे ।

(घ) योजनानुसार बस्ती बसाने का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है ।

डॉ० चन्द्रकला : क्या यह सच है कि इनमें से कई लोगों को प्लॉट्स अलाट हो चुके हैं और इनमें से पैसे जमा करा चुके हैं फिर भी उनको पट्टे नहीं दिये गये हैं ?

Page No.31

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह ३२ प्लॉट्स दिये गये हैं और उनके कब्जे में दे दिये गये हैं और उनको कह दिया गया है कि वे उन पर अपने मकान बनवा सकते हैं।

डॉ० चन्द्रकला : जब कि ८८ वरों को बसाने की योजना है और २५ को प्लॉट्स दिये जा चुके हैं लेकिन २५ के अलावा ८८ में से जिन्होंने पैसे भी जमा करा दिये हैं उनको पट्टे नहीं दिये गये इसका क्या कारण है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : ऐसा कोई भी नहीं है कि जिसने पैसा जमा करा दिया हो और उसको पट्टा नहीं दिया गया हो। ३० हरिजनों ने एप्लाई किया और उनको जमीन दे दी गई है। इनके अलावा और किसी ने एप्लाई नहीं किया।

डॉ० चन्द्रकला : मैं बिल्कुल विश्वस्त जानकारी के आधार पर कह रही हूँ कि उनको पट्टे नहीं दिये गये हैं। मुझे ज्ञात हुआ है कि वहां पर बस्ती न बसा कर बालबेयरिंग कम्पनी का विस्तार किया जायेगा। क्या ऐसी कोई योजना सरकार के ध्यान में है या नहीं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : और कोई दरख्वास्त ही प्राप्त नहीं हुई जो कि जमीन लेनेवाले हों। जिनको अलॉटमेंट हुआ है उन्होंने पैसे नहीं जमा कराये हैं।

श्री हरिशंकर सिद्धांतशास्त्री (आमेर-सु) : यह जमीन किस हिसाब से दी गई है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : एक रुपया स्क्वायर यार्ड।

श्री उपाध्यक्ष : श्री शंकरलाल।

तहसील रायपुर में कुशलपुरा से पिपलिया तक सड़क निर्माण योजना

२५३. **श्री शंकरलाल** (रायपुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या यह सही है कि पाली जिले की रायपुर तहसील में कुशलपुरा से पिपलिया तक सड़क निर्माण की योजना सरकार द्वारा स्वीकृत हो चुकी है।

(२) यदि हां, तो स्वीकृति कब दी गई और कितनी धनराशि की ?

(३) सड़क का निर्माण कार्य अभी तक चालू नहीं किये जाने के क्या कारण हैं और अब कार्य कब तक चालू हो जायेगा ?

उप-मंत्री, शिक्षा (श्री पूनमचन्द बिश्नोई): (१) जी नहीं।

(२) प्रश्न नहीं उठता।

(३) प्रश्न नहीं उठता।

श्री उपाध्यक्ष : श्री तेजमल बापना।

बनेड़ा तहसील में सिंचाई की दरें

श्री तेजमल बापना (बनेडा-श्री मगरूपराम परिहार (खारची-सु.) द्वारा पूछा गया): Will the Minister for Irrigation Department be pleased to state:—

1. What were the rates of irrigation for tanks in Banera Tehsil specially those of Rayala, Bada-

(श्री तेजमल बापना)

Nimbaheda, Musi, Amargarh and other villages upto the last Kharif ?

2. Is it a fact that the rates for these tanks were Re. 1/-per bigha in Kharif and annas eight per watering for the Rabi crops ?

3. Is it also a fact that these rates have suddenly been increased to Rs. 3. 23 np. & more various crops ?

4. Is it also a fact that the water in these tanks does not even supplies for more than one watering and the cultivators have to suffer loss even of the seed and nature ?

5. Is it also a fact that these tanks have not been improved upto the last Rabi ?

6. What are the reasons for this sudden increase in the rates of watering ?

सिचाई मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : 1. The Irrigation water rates chargeable on old tanks in Banera Tehsil up to Kharif, 58 were Re. 1/-and Rs.-/8/- per bigha per watering for Kharif and Rabi respectively.

2. The rates were as in (1) above.

3. The rates have been revised as per enclosed list 'A' after due consideration.

4. The availability of water is dependent on the monsoon conditions.

5. The tanks are maintained properly and repaired according to necessity.

6. The rates have been increased keeping in view the increase in cost of maintenance and repairs as well as general rise in pricss of all commodities.

(कृपया परिशिष्ट ६ देखिए)

श्री उपाध्यक्ष : श्री शंकरलाल ।

(अनुपस्थित)

प्रश्न समाप्त हुए ।

(१२ मध्यान्ह)

स्थगन प्रस्ताव सम्बन्धी वादविवाद

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : माननीय उपाध्यक्ष, मैंने एक स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, उसका निर्णय नहीं दिया ।

श्री उपाध्यक्ष : उसके सम्बन्ध में जानकारी मांगी गई है ।

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक एडजोर्नमेन्ट मोशन था ।

श्री उपाध्यक्ष : आपसे मैं चेम्बर में बात कर चुका हूँ ।

श्री दयाकृष्ण विजय : डिप्टी मिनिस्टर यहीं हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : मोशन एज अमेंडेड अभी दे दिया है ।

Page No.33

श्री महेन्द्रसिंह पंवार (अजमेर-पूर्व) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं रूल ५४ की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं:-"The Speaker, if he gives consent under Rule 50 and holds that the matter proposed to be discussed is in order, shall, after the questions and before the list of business is entered upon, call the member concerned who shall rise in his place." This read with rule 50 implies that your consent question is to be decided before the Question Hour is over. The motion is that the House be adjourned today. यानि मोशन यह है कि आज की कार्यवाही स्थगित की जाय। आप कल जवाब देंगे तो उसका महत्व क्या होगा ? You cannot decide it tomorrow.

श्री उपाध्यक्ष : Rule 54:- "The Speaker, if he gives consent under Rule 50 and holds that the matter proposed to be disscussed is in order, shall, after the questions and before the list of business is entered upon, call the member concerned who shall rise in his place and ask for leave to move the adjournment of the House;" The does not confine the Speaker ..

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : आप तभी कर सकेंगे जब क्वेश्चन आवर खत्म होने के बाद निर्णय कर देंगे।

श्री उपाध्यक्ष: The Rule 54 does not confine the Speaker to decide the issue just on the same day. The limitation is that it should be before the business is taken.

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : Today.

श्री उपाध्यक्ष : Not today.

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : Today मोशन यह है कि the House may adjourn to-day. अगर यह प्रस्ताव कल लेंगे तो प्रस्ताव का महत्व क्या है ? प्रस्ताव में है कि आज सदन की कार्यवाही स्थगित हो।

श्री उपाध्यक्ष : My interpretation of the Rule is that it does not impose any limitation on the discretion of the Speaker that the motion should be decided today.

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : इसमें रूल ५१ भी पढ़ लीजिये। "Notice of an adjournment motion shall be given before the commencement of the sitting on the day on which the motion is proposed to be made to each of the following......"

जो सदस्य चाहता है कि सदन की कार्यवाही स्थगित की जाय तो उस दिन क्वेश्चन आवर के बाद नोटिस देने का कायदा है। सारे रूल का सम्मिलित अर्थ यही निकलता है। इसके मायने यह हुए कि आज मोशन नहीं लिया जाता है तो इसमें अर्थ है कि प्रस्ताव पेश करने की अनुमति हटा दी गई है। क्योंकि प्रस्ताव आज की कार्यवाही के सम्बन्ध में है, कल की कार्यवाही के लिए नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : प्रस्ताव पर निर्णय शीघ्रातिशीघ्र लेने की प्रैक्टिस है। That is the practice. It does not

(श्री उपाध्यक्ष)

impose any limitation on the discretion of the Speaker. He may postpone it for next day but not for many days.

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : सदस्य का प्रस्ताव यह है कि सदन की आज की कार्यवाही स्थगित की जाय, कल के सम्बन्ध में प्रस्ताव नहीं है। आप उनको कल के सम्बन्ध में कैसे बनाते हैं ? जैसे कि क्लोजर मोशन मूव करता हूं डिबेट पर तो उसको आप कल कैसे लेंगे ? क्या अर्थ होगा उसका ?

श्री उपाध्यक्ष : Well, I have given my observations over it. That is the practice being followed in the House and I do not want to make a departure.

श्री हीरा भाई (कुशलगढ़) : माननीय उपाध्यक्ष, मैंने स्थगन प्रस्ताव पेश किया था, उसके विषय में क्या हुआ ?

श्री उपाध्यक्ष : आपके पास इत्तला नहीं आई है ? आपके पास सूचना पहुंच गई है।

श्री हीरा भाई : इत्तला तो आई है। सदन को मालूम नहीं है कि स्थगन प्रस्ताव क्या है।

श्री उपाध्यक्ष : यह आवश्यक नहीं, आसन ग्रहण करें।

श्री हीरा भाई : उसके विषय में....

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर प्लीज।

श्री हीरा भाई : उपाध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूँ कि उसे महत्व क्यों नहीं दिया ?

श्री उपाध्यक्ष : आप जानना चाहते हैं ? माननीय सदस्य यदि आप जानना चाहें और भी जानकारी तो कृपया मेरे चेम्बर में तशरीफ लाइये, मैं विश्वास के साथ सुनूंगा।

श्री हीरा भाई : उपाध्यक्ष महोदय...

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

श्री हीरा भाई : मैं आपसे यह जानना चाहूँगा, इस तरह से...

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज, ऑर्डर प्लीज।

श्री हीरा भाई : मैं अपने स्थगन प्रस्ताव के सम्बन्ध में जानना चाहूँगा...

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। सदन की परम्परा की प्रतिष्ठा रखनी है तो इस तरह से दृश्य नहीं होने चाहिए। मैं फिर भी सदन से निवेदन करूंगा, यह प्रश्न मेरे और इनके बीच का है और आप क्लेरीफिकेशन चाहते हैं तो मैं निवेदन करूं कि आप मेरे चेम्बर में चले आयें बजाय इसके कि सदन के समय का ख्याल न रखें और सदन की प्रोसीडिंग्स को आगे बढ़ने में रुकावट डालें। मैं निवेदन करता हूँ आप मेरे चेम्बर में चले आयें, मैं आपको संतोष दिलाऊंगा।

श्री हीरा भाई : मैंने सदन का ध्यान रखते हुए निवेदन किया। मैं निवेदन करूं कि जनता का भी ध्यान...

Page No.35

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज, ऑर्डर प्लीज।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : उपाध्यक्ष महोदय, स्थगन प्रस्ताव सदन में रखा जाता है, इस दृष्टिकोण से कि वह कुछ महत्वपूर्ण है। यह एक ठीक बात है कि सदन में जवाब दिया जाता है तो सदन को मालूम रहता है कि स्थगन प्रस्ताव क्या था, किस महत्व का था। अगर वह मान्य नहीं किया जा सकता है तो सदन समझ सकता है कि यह महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन सदन को मालूम नहीं पड़ता, हमें जानकारी होनी चाहिए।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : यह रूल में नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : मैं निवेदन करूंगा कि जब अनुमति स्पीकर की है नहीं तो सदन के सामने आने की क्या आवश्यकता है ?

It is not necessary that it should come before the House.

श्री महेन्द्रसिंह पंवार (अजमेर पूर्व) : सदन की मर्यादा रखने के लिए यदि क्लोजर मोशन पोस्टपोन करदें तो सदन को क्या करना चाहिए ?

श्री गिरधारीलाल (नोखा) : उपाध्यक्ष महोदय, ..

श्री हीरा भाई : सदन को जानकारी दें कि जो मोटर वगैरह रपटों से बह जाती हैं ..

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

श्री गिरधारीलाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं जानकारी चाहूँगा कि माननीय सदस्य ने १४ तारीख को स्थगन प्रस्ताव दिया है और आज जवाब मिला है। मैं जानना चाहता हूँ कि कौन से नियम के अनुसार इसको पोस्टपोन किया है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य ने १४ तारीख को दिया है और तारीख १४ के बाद हाउस ने कब मीट किया है ?

श्री गिरधारीलाल : १६ को मीट किया।

श्री उपाध्यक्ष : कल मीट किया। कल आप तशरीफ नहीं रखते थे।

श्री गिरधारीलाल : जी ?

श्री उपाध्यक्ष : कल माननीय सदस्य तशरीफ नहीं रखते थे।

श्री गिरधारीलाल : मैं था।

श्री उपाध्यक्ष: जिनका प्रश्न था, हीराजी भाई।

श्री गिरधारीलाल : इनके बारे में बात नहीं है। स्थगन प्रस्ताव के बारे में है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं जो निवेदन कर रहा हूँ वह तथ्यों के आधार पर वे थे या नहीं थे, इससे प्रश्न हल हो जाता है।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर) : इसके सम्बन्ध में व्यवस्था हो जाय कि जिस माननीय सदस्य का एडजोर्नमेंट मोशन

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

रिजेक्ट कर रहे हैं, उसको लिखित में दें उससे पहले उसे चेम्बर में बुला कर बात कर लें।

श्री उपाध्यक्ष : यह सहूलियत का प्रश्न है और मैं निश्चय ही ध्यान दूंगा। Yes, Legislative Business.

राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद् विधेयक, १६५६

(प्रवर-समिति द्वारा प्रतिवेदित विधेयक को विचारार्थ लिये जाने के प्रस्ताव पर अग्रेतर वाद-विवाद)

श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा) : Point of order, Sir, The Bill as reported by the Select Committee is to be considered. Yesterday, the Bill which was introduced in the House was not the Bill which was reported by the Select Committee. So before any discussion continues on this Bill, it should again be introduced by the Minister-in-charge as the correct Bill as reported by the Select Committee.

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने कल अर्ज किया था जो रिपोर्ट सलेक्ट कमेटी की प्रजेन्ट की गई है That report is a correct report उसमें किसी को आपत्ति नहीं है। This Bill had to be corrected in accordance with the report of the Select Committee. It was accidental omission in the office. इसलिए कोई जरूरी नहीं है कि दुबारा इन्ट्रोडयूस किया जाय। बिल वही है और रिपोर्ट सलेक्ट कमेटी की प्रजेन्ट हो चुकी है। वह बिल करेक्ट हो चुका है, इसलिए दुबारा इन्ट्रोड्यूज करने की आवश्यकता नहीं है।

श्री महेन्द्रसिंह पँवार (अजमेर-पूर्व) : पोजीशन यह है कि माननीय मंत्रीजी फर्मा रहे हैं वह ठीक है मगर जो रिपोर्ट उन्होंने प्रस्तुत की श्री उसमें संशोधन प्रस्तुत करते हैं उनकी वे जिम्मेदारी लेते हैं या सेक्रेटरी के दस्तखत से आ गया है इसलिए मान लिया जाय। इसके लिए जिम्मेदारी लेते हैं माननीय मंत्रीजी ? मैं समझता हूं कि माननीय मंत्रीजी को पेश करने चाहिये।

श्री पी. के. चौधरी : The Bill is under the signatures of the Minister concerned.

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : सेक्रेट्री के दस्तखत से नहीं आ सकता, रिपोर्ट का आल्टरेशन है।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना): The question at this stage arises is this. We should look to the corrigendum to see what is the nature of these corrections. We see that the omissions and corrections are of very substantial and material nature and when such corrections are made, there has to be a formal motion by the Minister-in-charge for incorporation of these corrections in the Bill and if that motion is not made, the House can not take these corrections into consideration at this stage. And without these corrections, the Bill as amended by the Select Committee

(श्री श्रीमानसिंह)

is not under the consideration of the House but something else. I therefore, submit that the House cannot proceed with the consideration of the Bill as presented before us because it does not reflect the wishes and amendment made by the Select Commitee, unless the Hon'ble Minister makes a motion.

श्री उपाध्यक्ष : I will enlighten the House pertaining to the relevent rules concerning the objection that has been raised by the Hon'ble Members. Rule 70:—

"The debate on a motion that the Bill as reported by the Select Committee of the House be taken into consideration shall be confined to consideration of the report of the Committee and the matters refered to in that report or any alternative suggestions consistent with the principle of the Bill."

Now together with this Rule, let us look into Rule 69:--

"(2) If the member-in-charge moves that the Bill as reported by the Select Committee of the House be taken into consideration, any member may move as an amendment that the Bill be re-committed or be circulated or re-circulated for the purpose of eliciting opinion or further opinion thereon."

श्री पी.के. चौधरी : I will draw your attention, Sir...

श्री उपाध्यक्ष : Please let me complete.

The position is that the rules do not lay down that the amendments to the Bill may be re-circulated. That is beyond Rule 69. Now let us refer to Rule 224 :—

"224. Presentation of report... The report of the Select Committee on a Bill together with the minutes of dissent, if any, shall be presented to the House by the Chairman or in his absence by any member of the Committee."

It speaks about the report and not about the amended Bill. Now Rule 225 :--

"The Secretary shall cause every report of a Select Committee to be printed, and a copy of the report shall be made available for the use of every member of the House. The report and the Bill, as reported by the Select Committee, shall be published in the Gazette."

It does not say that the amended Bill should also be circulated amongst the members. The amended Bill is a seperate identity. That is how these rules will have to be interpreted.

श्री पी० के० चौधरी : I draw your attention to Rule 69 Sir. :-

"(1) After the presentation of the final report of a Select Committee of the House on a Bill, the member-in-charge may move—

(श्री पी० के० चौधरी)

(a) That the Bill as reported by the Select Committee of the House be taken into consideration;"

There is a distinction between the report of the Select Committee and the Bill as reported by the Select Committee. The report was presented before this House on the 14 th instant and yesterday the Minister-in-charge moved a motion about the consideration of the Bill as reported by the Select Committee. Yesterday's motion was not for the discussion of the report but of the Bill.

श्री उपाध्यक्ष : I understand the implication. The thing is that the Hon'ble Minister moved that the Bill as reported by the Select Committee should be taken into consideration. Not the Bill as amended. The Bill as reported by the Select Committee, would mean the Bill and the Report, they are two different thinge.

श्री पी० के० चौधरी : The Bill as reported means the Bill as modified. Otherwise they would have said that the report of the Select Committee should be taken into consideration. The word 'reported' is general. The Select Committee can report to the House without any amendments at all or with amendments The word 'reported' covers both the cases. But when it recommends certain amendments. they must be incorporated in the Bill. The intention of the Select Committee must be reflected in the Bill and if the Bill does not do it, then the House is not in a position to proceed.

श्री उपाध्यक्ष : I understand the position that it should be presented...

श्री श्रीमानसिंह : My point is different. My submission is that the House can proceed only when the Hon'ble Minister moves a motion that the amendments circulated to the members may be incorporated in the Bill. Then the House can consider it.

श्री उपाध्यक्ष : The question is whether circulation of the amended Bill is necessary. We may refer to Rule 224:—

"The report of the Select Committee on a Bill together with the minutes of dissent, if any, shall be presented to the House by the Chairman or in his absence by any member of the Committee."

It does not speak that together with the report the Bill as amended or otherwise should also be circulated.

श्री पी.के. चौधरी : It says that the report should be circulated. But the motion is not for the report, but for the Bill as reported. So the motion is for the consideration of the Bill.

श्री उपाध्यक्ष : That motion is permissible even without furnishing this Bill.

श्री पी०के० चौधरी : Then the point arises that the Bill may not be presented in the House and only the report of the Select Committee may be presented and the House will proceed with considering the Bill. If the Rule is interpreted in this way, then the House can consider the Bill only on the report. Amendments to the sections of the Bill may not be presented to the House. This will be very absurd position, Unless the suggestions made by the Select Committee are not reflected as amendments in the clauses of the Bill, the House cannot proceed. The two must be put together.

श्री उपाध्यक्ष : Well, I have enough enlightened the House,

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले १३ मई को प्रस्ताव रखा गया था मुख्य मंत्री द्वारा कि इस बिल को सलेक्ट कमेटी को भेजा जाय। उस प्रस्ताव के बाद ..

श्री उपाध्यक्ष : I think I don't want any more light on this.

श्री दामोदरलाल व्यास : आपने फैसला कर दिया है अतः इस बारे में बहस नहीं होनी चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि इस प्रश्न को मैंने ठीक समझ लिया है।

श्री मूलचन्द डागा : But it is a legl question.

श्री उपाध्यक्ष : And it has to be legally disposed of.

श्री पी. के. चौधरी : It is going to lay down certain conventions and precedents. The convention was that always the Bill as reported by the Select Committee, with amendments, was circulated and now we are going to change that convention.

श्री उपाध्यक्ष : We will not go away from the past convention. I have considered the issue rightly and if you want that observations be given just now, I am prepared to do so. The position is very clear and I would like, therefore, to give my observations over the issue.

श्री श्रीभानसिंह : Before the Chair gives observations, I will submit, Sir, that it would be unjust to the Hon'ble Members in the House. We are receiving these corrections which materially alter the nature of the Bill.

We are asked here to speak and give our comments on the bill as amended. Even if we apply the rules which are applied to the Hon'ble members that an amendment must not be inconsistent with the Bill. When the amendments materially alter the nature of the Bill, and now when they are incorporated in the Bill, the members must be given the time to prepare themselves for the amendments. It would be injustice to the Hon'ble members when on the spot such substantial amendments are being made.

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो लिस्ट रखी गई हैं इसमें तारीख १६ लिखी गई और आज यह २० को टेबिल पर रखी गई है। इससे यह स्पष्ट होता है कि यह जो परिवर्तन करना चाहते हैं वे १६ को ही करना चाहते थे। यह समझ कर ता० १६ दी गई है।

दूसरी बात हम यह जानना चाहते हैं कि परिवर्तन अब यहां किस कारण से हुए हैं? किसकी गलती से वे रह गये हैं, उसका क्लेरिफिकेशन नहीं करके मिस्टेक्स को रेक्टीफाई किया है। १६ तारीख क्यों लिखी गई है जब कि २० तारीख को सदन में पेश की गई है?

श्री उपाध्यक्ष : The question only involves the interpretation of the rules, and whether by interpreting the rules we can find a solution to the present situation?

श्री पी. के. चौधरी : Another question, Hon'ble Dy. Sepaker, Sir, these are very substantial amendments. Even if we take them as amendments, these amendments should have also come before the House two days before. We cannot consider these things today.

श्री दामोदरलाल व्यास : The Hon'ble Deputy Speaker has already given his ruling.

श्री पी. के. चौधरी : He has not given any ruling on it, and you cannot expect the members to consider seriously such vital matters at such short notice, without giving sufficient time as is necessary under the rules. So that is why I suggest that the consideration of the Bill be adjourned and we take it up later on.

श्री श्रीभानसिंह : I will draw your attention, Sir,......

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : On the point of order, Sir, आप मुलाहिजा फरमाइये कि २२४ के अन्दर रिपोर्ट प्रेजेन्ट करना चाहिए मेम्बर–इन-चार्ज ऑफ दी बिल को या उनकी जगह कोई दूसरे कमेटी के मेम्बर को, और २२५ में सेक्रेटरी साहब उस रिपोर्ट को छपवा कर मेम्बर्स को एवेलेबल करते हैं। तो हमारे सामने, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। आज हमारे सामने जो है वह संशोधन उपस्थित है, कोरिजेन्डम में इसको कहूंगा, लेकिन इसको माननीय मन्त्री महोदय ने प्रस्तुत नहीं किया है। इसलिए रूल २२२ एप्लाई नहीं हुआ।

श्री उपाध्यक्ष : २२५ में इसका सरक्यूलेशन निकाला है क्या? Even the circulation of this corrigendum is that necessary? My question. Mr. Panwar, is whether at all this is necessary under rule 225 to be circulated?

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : It my not be necessary, but presentation under Rule 224 is absolutley necessary.

दूसरी तरह से प्रस्तुत नहीं करते हैं तब तक इस पर गौर कैसे करें?

श्री उपाध्यक्ष : You mean to say that the report has not been presented?

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : The report has been presented, but the corrigendum has not been presented.

श्री उपाध्यक्ष : Is it necessary under Rule 224 to present the corrigendum as well as the amended Bill ?

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : मेम्बर-इन्चार्ज ने बिल यह हमारे सामने पेश किया है। हम इसको रिकॉग्नाइज़ नहीं कर सकते हैं।

श्री श्रीभानसिंह : Sir, in case of doubt we have to look to May's Parliamentary Practice, since our rules are formulated on the lines of Lok-Sabha, and I will draw your attention to page 544 of May's Parliamentary Practice:-

"Proceedings on Report; (2) If amendments have been made to the Bill in Committee, the Member-in-charge, in response to the Speaker's request, names a day on which the Bill, as amended, is to be taken into consideration."

Therefore, the Bill as amended is being taken into consideration today in the House.

Your Honour has made a subtle distinction that the House is considering the report and not the Bill as amended by the Select Committee. If we logically follow these observations then only the report may be presented and not the Bill as amended by the Select Committee; while May's Parliamentary Practice says that:-

" If amendments have been made to the Bill in Committee, the Member in charge, in response to the Speaker's request, names a dsv on which the Bill, as amended, is to be taken in to consideration"

Yesterday, the motion was to be made that the Bill as amended by the Select Committee be taken in to consideration and the Hon'ble Member from Phulera moved a motion that the Bill as amended dy the Select Committee should be re-Committed to the same Select Committee.

If interpretation given by Your Honour is accepted then there will be three more stages to be gone through The first stage will be introducing the report, then considering it and the third stage will be passing of the report. After that the Bill as amended will need introduction Consideration and passage. So double procedure will be needed and be ill require 6-10 days more.

Again I refer to page 543 of May's Parliamentary practice;

"**Report of Bill.**" When he Bill has been fully considered, the Chairman proposes the question 'That I do report the Bill without amendment (or, as amended) to the House"

And since this is the Bill as amended by the Select Committee, then the Chairman or the Minister- in-cha-

(श्री श्रीमानसिंह)

rge has taken the formal consent of the Committee to present the Bill as, amended by the Committee, Therefore the Bill as amended by the Committee should be before the House and not a different Bill.

श्री उपाध्यक्ष : I will not allow any more debete.

श्री पी० के० चौधरी : One thing you will have to clarify Sir. My motion is that the Bill as reported by the Select Committee should be recommitted to the same Select Committee. Now if my motion is carried, then according to the interpretation given by the Chair......

श्री उपाध्यक्ष : I have not given any interpretation.

श्री पी० के० चौधरी : The interpretation which is being tried to be given. So if my motion is passed, then the Bill will not go to the Select Committee, but only the report portion of the Bill. Actually, that is not the intention of my motion. My motion is that the Bill as amended by the Select Committee should be recommitteed and not the report. The report cannot be recommitted.

श्री उपाध्यक्ष : I have grasped the position.

श्री पी० के० चौधरी : We are considering the Bill as amended by the Select Committee and not the report. As such, a fresh motion by the Minister is necessary.

श्री मोहरसिंह (चूरू) आन ए पोइन्ट ऑफ ऑर्डर उपाध्यक्ष महोदय..............

श्री उपाध्यक्ष : Which order? Is it the same order?

श्री मोहरसिंह : इस झगड़े को खत्म करने के लिये और उसे खत्म करने में मदद देने के लिये मैं आपका ध्यान रूल २२४ और २२५ की ओर दिलाना चाहता हूं कि जब चेयरमैन हाजिर नहीं हो तो सलेक्ट कमेटी का कोई मेम्बर इसे पेश कर सकता है। इस मोशन को मैं पेश करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : That report is there and complete in itself.

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न पर काफी बहस हो चुकी थी और माननीय उपाध्यक्ष ने जो ओब्जरवेशन दिया था वह साफ था कि एक्सीडेन्टली कुछ ओमिशन हो गया है उसके बारे में कोरिजेन्डम लाया जाय और आज की सभा की कार्यवाही एडजोर्न की जाय। अब जो कोरिजेन्डम इश्यु हुआ है उसमें जो प्रिन्टिग मिटेक्स हैं उनको अमेन्डमेन्ट के रूप में शुमार किया जाय यह माननीय सदस्यों का कहना है। सलेक्ट कमेटी ने जो डिसीजन दिया है That Report is there in complete form इस पर किसी को ऐतराज नहीं है। इसके आधार पर कुछ चेन्जेज प्रिन्टिंग में होनी चाहिये थीं उनमें दफ्तर की गलती से या किसी की गलती से ओमिशन हो गया। उस पर काफी विचार होने के बाद आपने यह फैसला दिया था कि कोरिजेन्डम जारी हो जायेगा और आगे

Page No.43

(श्री दामोदरलाल व्यास)

डिबेट कल जारी रहेगी। प्रिन्टिंग मिस्टेक हो गई है उसके लिये कोरिजेन्डम आ गया। अब फर्ज करिये २ लाइनें प्रिन्टिंग में रह गई तो उसके लिये कोरिजेन्डम होगा जब कि रिपोर्ट क्लीयर है। रूल २२४ और २२५ देखेंगे तो उसमें यह है प्रिन्टेड कोपीज़ अवेलेबल करनी चाहिये और ये कोपीज़ अवेलेबल हो गई। कुछ मिस्टेक्स रह गई उनके लिये कोरिजेन्डम निकाल दिया। सलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट करेक्ट फार्म में है उस पर किसी को आपत्ति नहीं है। कोई बात मेन्शन करना प्रिन्टिंग की वजह से रह जाय तो उसको अमेन्डमेन्ट के रुप में कैसे स्वीकार किया जा सकता है। जो ओमिशन रह गये है उनके लिये कोरिजेन्डम काफी है।

श्री पी० के० चौधरी Hon'ble Deputy Speaker, Sir. The reply given by the Hon'ble Minister is not convincing. Supposing threre are printing mistakes and we pass the Bill, whatever may be the provisions in the Bill.........

श्री उपाध्यक्ष : I think we have discussed the issue too much.

श्री श्रीभानसिंह : Before your honour gives observations, I may draw your attention to page 545 of May's parliamentary practice :—

"A Bill amended in the committee is, unless the amendments are merely trifling, almost invariably re-printed before the consideration stage on an order made when the Bill is reported to the House."

Now we have to see whether the Hon'ble Minister thinks that these amendments are trifling.

श्री दामोदरलाल व्यास : I say that they are not amendments at all. It is only a corrigendum of printing errors.

श्री श्रीभानसिंह : I am afarid there cannot be a corrigendum. It is a mistaken motion that corrections are issued. There can be verbal omissions, there can be mistakes of commas and full-stops. But these are not the corrections of this type. This is complete insertion of a new clause and insertion of new clauses can only be made when there is a motion for incorporation.

I have already submitted that these omissions were not trifling and they materially alter the nature of Bill as presented to the House. Therefore, in order to incorporate the intention of the Select Committee, there has to be a motion for incorporation of these amendments. They are amendments and not corrections.

श्री अनूपसिंह (बालोतर); Sir,.......

श्री उपाध्यक्ष : The Hon'ble Member will please excuse me. There has been enough debate over the issue and I am enough enlightened, and I would now like to give my decision.

I have again considered over the matter and may clarify the position,

Page No.44

(श्री उपाध्यक्ष)

The Bill was introduced in the House on the 18th May, 1959, and referred to Select Committee. The Select Committee report along with the minutes of dissent were presented in the House, according to Rule 224, on the 14th August, 1959

Further, as required by Rule 225, the report of the Select Committee duly printed has been made available to the Members and all that is required further is that the report and the Bill, as reported by the Select Committee should be published in the Gazette, which is being done.

श्री श्रीभानसिंह ; I think it is very essential that the House should have the knowledge as to what motion was made when the Select Committee report was presented to the House and what was the motion by the mover of the Bill.

श्री उपाध्यक्ष ; I think the Hon'ble Members will not disturb me when I am explaining the position.

श्री अनूपसिंह : It should have been atleast two days before.

श्री उपाध्यक्ष : I hope atleast the Chair will be spared from being disturbed, specially when observations are being made.

श्री श्रीभानसिंह : I don't wish to interrupt the Chair Sir, But I have another objection, which the Chair may decide in accordance with the procedure. It is this, that the Bill if published in the Gazette was a false one because it did not reflect the intentions of the Select Committee.

श्री उपाध्यक्ष : I am sorry Mr. Sribhan Singh. We will be establishing a bad precedent. When the Chair is on its legs, the Chair does not deserve to be disturbed.

It would thus be obvious that it is not mandatory under the rules that a copy of the Bill as amended by the Select Committee should also be supplied but for the facility of reference that is being done. Obviously, the original Bill as introduced and the report of the Select Committee along with the minutes of dissent are available with the Members, and that is all that they require for understanding the changes suggested by the Select Committee and nothing more is required to be done under the Rules. It is true that the motion under rule 69 is that 'the Bill as reported by the Select Committee be taken intto consideration, but what material is to be furnished to the members is governed by Rules 224 and 225, and it is not provided therein that a copy of the Bill as reported by the Select Committee should also be made available to them.

However, as in the Bill as amended, which had been circulated, some mistakes had crept in, and which had been pointed out by Hon'ble Sri Ladha, I considered it expedient to

(श्री उपाध्यक्ष)

allow the Members some time to go through them and adjourned the House yesterday as it was also nearing 5 P.M.

I feel that Members have been put to some inconvenience on account of these mistakes but at the very short time available for the preparation of the amended Bill and its printing these errors crept in.

श्री श्रीभानसिंह : I rise on a point of order, Sir. The rule 225 clearly lays down and enjoins upon the Secretary to cause every report of a Select Committee to be printed and a copy of the report shall be made available for the use of every member of the House. The report and the Bill, as reported by the Select Committee, shall be published in the Gazette. I submit that the Bill as reported by the Select Committee has not been published in the Gazette and the Rule 225 has not been complied with, and when Rule 225 has not been complied with, there has been a very serious and material comission and, therefore, I move that the House may not proceed with the consideration of this Bill at this stage unless the provisions of Rule 225 are complied with and the Bill as amended by the Select Committee is published in the Rajasthan Gazette.

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री) : Where is the provision for introduction of the Bill for taking into consideration. It should be published and it will be published in the Gazette. Offcourse it may take some time. It is not necessary that publication should be prior to it.

श्री अनूपसिंह : ऑन ए पोइन्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन, सर। मैं जानना चाहूँगा कि कल जो बिल पेश किया गया है, वह फाइनल रिपोर्ट के साथ पेश किया गया है।

श्री उपाध्यक्ष : कल का मसाला तय कर दिया गया है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं समझता हूं जहां तक गजट में पब्लिश करने का सवाल है, अब तक जितने बिल आते रहे, वे पहले गजट में पब्लिश हो गये, फिर हाउस में आए, यह परम्परा नहीं रही। इसलिए, इसके बारे में यह कहना कि यह पब्लिश हो जाना चाहिए, उससे पहले कन्सीडर नहीं कर सकते, यह एप्लाई नहीं होता।

श्री पी० के० चौधरी : Publication in the Gazette before it is passed in the House is necessary.

श्री उपाध्यक्ष : But my observations are that the publication is not necessary. It is necessary but is should not be contemporaneously with the Bill

श्री रामप्रसाद लड्ढा (शाहपुरा) : उपाध्यक्ष महोदय....

श्री श्रीभानसिंह : Then the House should take that it should be at the second stage.

Page No.46

श्री उपाध्यक्ष : Not necessarily. The House should not take that sense.

श्री रामप्रसाद लड्ढा : उपाध्यक्ष महोदय....

श्री पी. के. चौधरी : Then we may not read the Bill...

(Interruptions).

श्री उपाध्यक्ष : Mr Chaudhary. You cannot anticipate everything.

श्री रामप्रसाद लड्ढा :उपाध्यक्ष महोदय, कल वादविवाद के दौरान में मैंने राजस्थान पंचायत समिति एवं जिला परिषद् बिल, १९५९, जो सलेक्ट कमेटी द्वारा संशोधित किया गया है, के कुछ ऐसे सेलियेन्ट फीचर्स सदन के सम्मुख रखे थे कि जिनके माने में राजस्थान सरकार ने अन्य सरकारों के मुकाबले अथवा बलवन्तराय मेहता कमेटी की रिपोर्ट के मुकाबले पहले की ओर lead दिया। उसके बाद मैंने कुछ Provisians का वर्णन किया कि जो सलेक्ट कमेटी ने तय किये थे जो अमेन्डेड बिल सक्यूलेशन में आया और जिस पर यहां कन्सीडरेशन किया जा रहा है, वे फैसले नहीं हैं। उसके बाद रूलिंग दी जाने के बाद कुछ ऐसे ही तथ्य और है, पहले इससे कि मैं और इस सम्बन्ध में बताऊं मैं संशोधित बिल के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूँ। बलवन्तराय मेहता ने डीसेन्ट्रलाइजेशन की Scheme को थ्री टायर योजना बताई ? पहला टायर ग्राम पंचायत, दूसरा टायर पंचायत समिति और तीसरा टायर ज़िला परिषद्। पंचायत समिति और जिला परिषद् के सम्बन्ध में विधेयक हमारे विचाराधीन है लेकिन ग्राम पंचायत के सम्बन्ध में अभी भी वही कानून है, जो अब तक चला आ रहा था, सिवाय इसके कि इस विधेयक में कुछ आवश्यक तरमीमात और तब्दीलियां की हैं, जब कि इस थ्री टायर सिस्टम में एक दूसरे से सम्बन्ध रखना इन सब के कार्य को सुचारुरूप से चलाने के लिए आवश्यक है। इसलिए इनकी व्यवस्था के सम्बन्ध में, प्रशासन के सम्बन्ध में, निर्माण के सम्बन्ध में, विशेषताओं, योजनाओं और डिस्क्वालिफिकेशन्स के सम्बन्ध में, नियुक्तियां के सम्बन्ध में एक कानून होना चाहिए। अभी भी हम देखते हैं कि पंचायत को यदि बजट पास कराना है तो वह सी. पी. ओ. के पास जायगा, जब बजट पास होगा। यदि स्टाफ में क्लर्क, चपरासी आदि की नियुक्ति करनी है तो सी. पी. ओ. की मंजूरी लेनी होगी। इसी प्रकार सारे काम बिना सी. पी. ओ. की स्वीकृति के नहीं हो सकते। जब कि पंचायत समिति का बजट जिला परिषद् के पास एप्रूव करने के के लिए जाता है। हम बता सकते हैं कि इस प्रकार पचायत के भी वैसे ही तीन प्रावधान होने चाहिए जो इस विधेयक में पंचायत समिति के लिए, जो विधेयक इस समय विचाराधीन है वह उसके प्रतिकूल हैं, इसलिए बेहतर होता अगर ये सब बातें इन कनकरमिटी विद इच अदर इस विधेयक में लाते लेकिन चूंकि उसमें काफी तरमीमात करनी पड़ेगी, इसलिए मैं आशा करता हूँ कि ये सारी तरमीमात करके इस एक अमेंडिंग विधेयक के रूप में जल्दी ही सदन के सम्मुख प्रस्तुत किया जायगा। जिससे कि इन तीनों टायरों में समानता आ सके।

दूसरी बात जो मैं कहना चाहता था, वह यह है कि आज तक शासन व्यवस्था में

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

न्याय रीढ़ की हड्डी है, जो सब दूसरे असर से पाक और साफ होनी चाहिए अर्थात और सब असर से यह स्वतन्त्र और मुक्त होनी चाहिए, इस पर एग्जीक्यूटिव का असर नहीं होना चाहिए, जिससे निष्पक्ष और स्वतंत्र न्याय मिल सके । आज ग्राम पंचायतें न्याय देती हैं, मुकदमें वगैरह का निर्णय करती हैं । मुकदमें के निर्णय करने के काम में अधिक रुचि होने की वजह से वे दूसरे कार्यों को सफलतापूर्वक नहीं कर सकती और साथ साथ दूसरे काम करने में पार्टी पोलिटिक्स में पड़ जाती हैं जिससे सारी बातें व्यवस्थित रूप से नहीं चल सकती । मेरा सुझाव है कि जब नई तरमीमात करके विधेयक पेश करें और ग्राम पंचायतों का निर्माण करें तो न्याय के काम को पंचायतों से लेलें, जिससे और कुछ ग्राम पंचायतें मिलाकर न्याय पंचायतों की यूनिट का निर्माण करें जिसमें पंचायतों के Nominee सदस्य हों और उनकी अपीलें पंचायत समिति लेविल पंचायत समिति द्वारा नामजद किए हुए सदस्यों की Standing Cammittee में हो या डिस्ट्रिक्ट एन्ड सैशन जजी में हो पर इस तरह की व्यवस्था की जा सकती है । इस प्रकार की व्यवस्था की जाय और इस तरह से न्याय को एग्जीक्यूटिव से अलग किया जाय तो पंचायतें आगे चल कर अच्छा काम कर सकेंगी । और उनको काम करने के लिए काफी समय मिलेगा इस विधेयक के अनुसार पंचायतों के काम का दायरा बहुत बढ़ा दिया है, उस बढ़े हुए दायरे में से अगर न्याय को उनकी सीमा से निकाल कर अलग न्याय पंचायतों का निर्माण किया जाय तो विकास के कार्य वे स्वतंत्रता पूर्वक करने में सफल होंगे ।

तीसरी बात जो मैं अर्ज कर रहा था, वह है कि इस विधेयक के तहत आगे चल कर प्रतिनिधि, एम. एल. ए. चुना हुआ प्रतिनिधि है, उसको वहाँ के विकास कार्य में रुचि है. उसमें दिलचस्पी है उसकी कि वह क्षेत्र उत्थान करें और तरक्की करे, उसको ऐसे विकास कार्यों में सहयोग देने का अवसर मिलना चाहिए । उसको इससे महरूम नहीं करना चाहिए । हमने इस पंचायत समिति एवं जिला परिषद् विधेयक को देखा है, इसमें एम. एल. ए. को जिला परिषद् में मेम्बर रखा है, लेकिन पंचायत समिति का किसी भी रूप में सदस्य नहीं रखा है । मैं नहीं चाहता कि पंचायत समिति का वह फुल फ्लेज्ड मेम्बर हो उसे वोट देने का अधिकार हो, ऐसा होने पर तो कॉम्पलीकेशन्स पैदा हो सकते हैं । लेकिन वह जिला परिषद् और पंचायत समिति का मेम्बर हो क्योंकि उसका उसके विकास से गहरा सम्बन्ध है और उसके सम्पर्क से विकास कार्य में सफलता और सहयोग मिल सकता है । इसलिए आवश्यक है कि वह किसी न किसी रूप में पंचायत समिति से जरूर जुड़ा हुआ हो और उसकी एक शक्ल हो सकती है, मेरे ख्याल से वह है कि उसे एक एसोसियेट मेम्बर पंचायत समिति का बना दिया जाय, जहाँ पर उसे वोट देने का अधिकार न हो लेकिन सारे डेलीबरेशन्स पार्टीसिपेट करने का अधिकार हो, किसी तरह से वह अपने विचार समिति के समक्ष रख सके । जहाँ तक पद देने का सवाल है, वहाँ उसको वोट देने का अधिकार नहीं रखा जायगा, तो चुनाव में खड़े होने का प्रश्न खड़ा नहीं होगा । जब इस विधेयक को हम देखते हैं तो हमें मालूम होता है कि गवर्नमेंट के ऑफिसर्स को अधिकार दिया

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

है कि वे पंचायत समिति में आयें और डेलिबरेशन्स में पार्टीसिपेट करें, राय दें। लेकिन उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं है, तो फिर क्या वजह है कि एम. एल. ए. को सदस्य न बनाया जाय ? क्या हम उन ऑफिसर्स से भी गये बीते हैं कि हम पंचायत समिति को उसी तरह अटेन्ड नहीं कर सकते कि जिस तरह डवेलपमेंट के ऑफिसर गरज अभी तक डिस्ट्रक्ट कमेटी के, एवं विकास की एडवाइजरी बॉडीज् के एम. एल. ए. साइमलटेनीयसली मेम्बर रहते चले आये हैं और उसमें रुचि लेने में, सलाह देने में अच्छे रहे हैं और इनमें कोई शिकायत नहीं रही है। मेरा सुझाव है कि एम. एल. ए को Associate.

श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा) : On a point of information Sir, the Member being a member of the Select Committee-can he give an opinion which is different than what has been reported in the Select Committee's report ?

श्री उपाध्यक्ष : Pardon-Can he what ?

श्री पी.के. चौधरी : The Hon'ble Member is given an opinion that the M.L.As should be associated to the Panchoyat Samiti. So can he give an opinion here if he has consented ?

श्री उपाध्यक्ष : He must the Hon'ble; Member must restrain. Yes Mr. Ladha.

श्री रामप्रसाद लड्ढा (शाहपुरा): I have finisheds Sir.

श्री पी.के. चौधरी : There are other discrepencies in this Report Sir and vital desscrepencies are there.

श्री उपाध्यक्ष : We have disposed of all such discrepencies.

श्री पी.के. चौधरी : But there are still,

श्री उपाध्यक्ष : If there are still the are to be met by the Hon'ble Members.

श्री पी.के.चौधरी : But Sir when there are still...

श्री उपाध्यक्ष : Mr. Chaudhary, I have rightly followed your point.

श्री उपाध्यक्ष : The Hon'ble Member must keep restrain on the point.

श्री रामप्रसाद लड्ढा : I have already finished this.

अब मैं कुछ बातें वह बताना चाहता हूं, जैसा कि मैंने कल बताया था कि सलेक्ट कमेटी में कुछ डिसिजन हुए और बिल में इन्कोरपोरेट नहीं किये........

माननीय वक्ता सदस्य ने अपना स्थान ग्रहण कर लिया

राजाराव श्री सरदारसिंह (उनियारा): माननीय उपाध्यक्ष........

श्री उपाध्यक्ष : Have you finished Mr. Ladha ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : Yes Sir I have finished.

श्री उपाध्यक्ष : Yes Rao Raja shri Sardar Singh

श्री पी० के० चौधरी : There are other discrepenecies in this Report Sir and vital discrepencies are there.

श्री उपाध्यक्ष : We have disposed of all duch discrepencies.

श्री पी० के० चौधरी : But there are still some.

श्री उपाध्यक्ष : If there are still they will be met by the the Hon' ble members.

रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा) : माननीय उपाध्यक्ष, कल से पंचायत समिति और जिला परिषद बिल सदन के सामने विचाराधीन है। इसमें कोई शक नहीं कि जनता जैसी उम्मीद कर रही थी कि हमें सत्ता मिलेगी, वैसे तो हमारे माननीय मंत्रीजी ने बड़े परिश्रम के साथ यह बिल पेश किया है उसके लिये तो वे बधाई के पात्र हैं, पर इस बिल को देखने से मालूम पड़ता है कि तमाम जनता इस बिल की ओर आँखें लगाये हुए थी कि हमें सत्ता मिलेगी पर इस बिल से तो कोई सत्ता नहीं मिली।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री) : क्या नहीं मिली ?

एक माननीय सदस्य : साता।

(हंसी)

श्री उपाध्यक्ष : कितनी दफा कहा जनता को सत्ता मिलेगी।

रावराजा श्री सरदारसिंह : इस बिल में धारा ६ जोड़ी गई है जिसमें पहले तो सरपंच तीन जगह के पद ग्रहण कर सकता था और अब की इस सरपंच को अपनी ओरिजिनल पंचायत है उससे भी वंचित कर के तहसील समिति में रख दिया है, तहसील समिति में जाने के बाद उसे उसके क्षेत्र से ही वंचित कर दिया है। इसका मतलब यह होता है कि उसके क्षेत्र की पंचायत में सिर्फ मेम्बर ही आयेंगे वह तो नहीं आयेगा। उसका क्षेत्र है वहां से चला जायगा, दूसरा आयेगा तो उसको तो बेचारे को अपने क्षेत्र से वंचित कर दिया गया, बाद में वह अपने उस क्षेत्र में खड़ा भी नहीं हो सकेगा।

श्री उपाध्यक्ष : कौन बेचारा ?

रावराजा श्री सरदारसिंह : वह सरपंच। वह खड़ा भी नहीं हो सकेगा।

डा० बहादुरसिंह (धौलपुर) : खड़े नहीं होने के क्या कारण होंगे ?

रावराजा श्री सरदारसिंह : तो मैं निवेदन करूं कि तहसील पंचायत में पद मिलने के बाद भी उसका उस क्षेत्र की पंचायत में जो पद है वह बनाये रखना चाहिये।

आगे यह है कि जिन स्थानों पर नगरपालिकाऐं हैं उन नगरपालिकाओं के चेयरमैन और उप-चेयरमैन का इसमें समावेश किया है पर जिन स्थानों पर नगरपालिकाएं नहीं हैं, उन्हें भंग कर के एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर किये हैं, जहां एडमिनिस्ट्रेटर काम कर रहे हैं, उनके लिये क्या प्रावधान किया है। एडमिनिस्ट्रेटर काम करेगा या चुनाव होगा कि नहीं होगा यह साफ नहीं है।

(रावराजा श्री सरदारसिंह)

तीसरी बात है तहसील समिति को पंचायत पर जनरल सुपरविजन की पावर दी है कि पंचायतों पर जनरल सुपरविजन रखें और तहसील पंचायत जो जुडिशियरी के लिये उसके ऊपर रखी गई है तो मैं निवेदन करूं कि एक पंचायत के ऊपर दो दो गवर्निंग बोडी हो जायेगी। अभी तहसील पंचायतों के कारण पंचायतों को बड़ी मुसीबत उठानी पड़ती है। लोकल सेल्फ मिनिस्टर के पास मैंने शिकायतें की हैं और दूसरे लोगों की भी शिकायतें आती रहती हैं। तो तहसील पंचायत का जुडिशियल सुपरविजन रहता है, पंचायत समिति का भी सुपरविजन रहेगा तो पंचायतों का काम ठीक तरह से नहीं चल सकेगा, वहां पंचयतों में पहले से ही गुटबन्दी और झगड़े बहुत हैं, इससे तो और बहुत झगड़े बढ जायेंगे, इधर तहसील पंचायत इनको दिक् करेगी और उधर पंचायत समिति दिक् करेगी। पंचायत समिति बनाई जाती है तो उसको जूडिशियल अधिकार सारे के सारे दे दिये जायं ताकि तहसील पंचायत के ऊपर किसी तरह का अधिकार नहीं रख सके।

चौथी बात है कि सस्पेन्शन के अख्त्यार गवर्नमेंट को दिये हैं, यह अख्त्यारात डायरेक्ट गवर्नमेंट को नहीं लेने चाहिये थे, दो तिहाई तहसील पंचायत के मेम्बर हों, वे मेम्बर मूव करें, उसके बाद गवर्नमेंट को करना चाहिये, डायरेक्ट जो गवर्नमेंट के हाथ में यह अधिकार दिया गया है वह उचित नहीं है।

यही मेरी बातें, इनको सोच कर सुधार करना चाहिये।

(अनेक माननीय सदस्य बोलने के लिये खड़े हुए।)

श्री उपाध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : माननीय उपाध्यक्ष, कल से एक महत्वपूर्ण विधेयक सदन में विचारार्थ प्रस्तुत है और इसमें बहुत से माननीय सदस्यों ने अपने अपने विचार प्रस्तुत भी किये हैं इस विधेयक के सम्बन्ध में। जहां तक मैं समझता हूँ, विधे- अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है और इसके बारे में कोई खुला स्पष्टीकरण हो जाता तो बातें स्पष्ट हो जातीं और ज्यादा बहस नहीं होती।

राजस्थान विधान सभा में अभी जो विधेयक हमारे सामने हैं वे बड़े महत्वपूर्ण और परस्पर सम्बन्धित हैं, जिस प्रकार जमीन की समान सीमा निर्धारण का भी है, इसका नाम तो विकेन्द्रीकरण विधेयक नहीं माना जाय पंचायत समिति और जिला परिषद् विधेयक इस प्रकार से है। इसका मुख्य उद्देश्य है यह एक काम के बंटवारे का है कि हम काम को इस प्रकार से बांटें कि जिससे काम करने वालों को इस देश का काम चलाने में प्रोत्साहन मिले और इसके साथ साथ विकास भी हो जो काम हम करना चहाते हैं।

जो दूसरा बिल है, जिसके बारे में चर्चा चली वह आर्थिक विकेन्द्रीकरण का है। तीसरी जो नीति चल रही है वह सहकारिता की नीति चल रही है जिसमें धन का बंटवारा होता है, व्यक्तिगत पूंजी जो एक व्यक्ति के पास जाती है वह सारे समाज के अंगों में किस प्रकार पहुँचाई जा सकती है। ये तीन बड़े महत्वपूर्ण विचार चल रहे हैं, सारे देश में चल रहे हैं और हमारी विधान सभा में भी ये तीन महत्वपूर्ण बातें चल रही हैं। इन तीनों बातों का महत्व बहुत ज्यादा है।

Page No.51

(श्री मुरलीधर व्यास)

आज जो विधेयक हमारे सामने है और जो आर्थिक विकेन्द्रीकरण का है इन दोनों को मैं परस्पर सम्बन्धित मानता हूँ। इस विधेयक के बारे में कल बहस हुई, किसी ने कहा कि सत्ता के विकेन्द्रीकरण का बिल है, किसी ने कहा कि नहीं यह कुछ काम के बंटवारे तक ही सीमित है। मैं जहां तक इस विधेयक को समझ पाया हूँ, कल पाली से आने वाले माननीय सदस्य इस विधेयक के बारे में कह रहे थे, मैं यह समझ पाया हूँ, माननीय मुख्य मंत्री के विचारों से जो उन्होंने सदन में प्रकट किये और नागला में पहला कैम्प हुआ जिसका उद्घाटन मुख्य मंत्री ने किया था तो उनके विचारों को थोड़ा इसलिये इसमें रखना चाहता हूं कि जिससे पता चल जाय कि वास्तव में यह विकेन्द्रीकरण का तरीका है कि नहीं। उनका जो भाषण है उनकी कुछ पंक्तियां मैं बताना चाहता हूं। लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण के बारे में देश में भी काफी चर्चा हो रही है और राजस्थान में तो हम इसे अमली रूप देना चाहते हैं। इस प्रकार के उन्होंने अपने विचार नागला में रखे थे। इसके साथ साथ उन्होंने यह भी कहा था कि प्रशासन को जनतंत्र के आधार पर चलाने के लिए विकेन्द्रीकरण करना आवश्यक है। उन्होंने इस सम्बन्ध में यहां विधान सभा में भी भाषण दिया है। उसमें उन्होंने हवाला दिया है महात्मा गांधी ने व श्री जवाहरलालजी ने हमें सिखलाया कि जनतंत्री तरीकों से जब विकास का कार्यक्रम चलता है तो मानव-गुणों का वास्तविक विकास होता है। यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात उसमें कही गई है और इसके अन्तर्गत विकेन्द्रीकरण की व्यवस्था को लागू कर देना अत्यन्त आवश्यक है। इससे मानव को प्रमुख स्थान मिलता है। दूसरी तरह की प्रणाली में आर्थिक विकास तेजी से हो सकता है। विकेन्द्रीयकरण की आवश्यकता इसलिए है कि हम जल्दी से हर प्रकार से आगे इससे बढ़ सकते हैं और उनके सारे भाषण को पढ़ने के बाद, मैं समझता हूँ कि मैंने उनके भाषण को बड़ी बारीकी से पढ़ा और यह समझना चाहता था कि उनके उद्घाटन भाषण से जहां तक उनके उद्घाटन भाषण का प्रश्न है और जो बातें उन्होंने हाउस में यहां रखीं उनसे स्पष्ट मालूम होता है कि यह जो विधेयक हमारे सामने है उसका मतलब यह है कि वे लोकतंत्रीय विकेन्द्रीकरण चाहते हैं और यही उनकी मूल मंशा हमारे सामने होनी चाहिये और उसी दृष्टिकोण से जितने भी कैम्प हुए हैं और वहां पर जिन जिन लोगों के भाषण हुए हैं, जैसे चीफ सेक्रेट्री या अन्य जिन लोगों के भाषण हुए हैं वे सारे भाषण इसी उद्देश्य को लेकर हुए हैं और उनका मूल उद्देश्य यही है कि हम देश में लोकतंत्रीय विकेन्द्रीकरण करें। लोगों को वहां पर जो ट्रेनिंग दी गई वह भी इसी प्रकार की दी गई और इस पर जो भी खर्चा हुआ वह मुख्य इसी उद्देश्य से हुआ था।

अब प्रश्न यह है कि जो यहां पर विकेन्द्रीकरण की बात इसमें कही गई है उसमें हमने मूलभूत दृष्टिकोण को कहां तक रखा है। मैं यह कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले सलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट है, मुझे खेद इस बात का है कि जो प्लानिंग कमिशन का पहला दृष्टिकोण था और उसने उसके साथ सिफारिश की गई थी, उनके अन्दर जो दृष्टिकोण रखा गया था

(श्री मुरलीधर व्यास)

उसमें यह रखा गया था कि समस्त पार्टी के लोग इस पर विचार करें और सब लोग बैठकर इस पर पूर्णतया विचार करें। राजस्थान की सरकार को चाहिये था कि इस बिल को सलेक्ट कमेटी [illegible] से पहले पार्टी के लोगों को बुलाते [illegible] उनको अपने-अपने विचार प्रकट करने का मौका देते तो इससे उनकी राय का जरूर फायदा मिल सकता था और जनतन्त्र में पब्लिक की विभिन्न पार्टीज की राय का लाभ [illegible] मिल सकता उसके बाद में भी मुझे इस बात का खेद है कि जिस समय सलेक्ट कमेटी का निर्माण हुआ उसमें भी राजनैतिक पार्टियों के एक एक प्रतिनिधि को ले लेते। हर पार्टी के सदस्य होते मगर ऐसा भी नहीं किया गया। उन्होंने प्रजा सोशियलिस्ट पार्टी और सोशियलिस्ट पार्टी के प्रतिनिधि को नहीं लिया। जो पार्टीज विकेन्द्रीकरण के बारे में अपने विचार रखती हैं, उनको अगर मैं समझता हूँ कि सलेक्ट कमेटी में ले लिया होता तो उस पर थिंकिंग होता। यदि जनता के सभी पार्टी के लोग इसमें आते तो उनका दृष्टिकोण क्या है मालूम पड़ता। मैं यह बात सबसे पहले इसलिये कहता हूं कि लोकतंत्र में सबसे पहले विकेन्द्रीकरण के के लिए सब लोगों और सब पार्टी के विचार जानने की आवश्यकता है।

अब मैं यह समझता हूं कि लोकतंत्रीय विकेन्द्रीकरण की और पंचायत राज्य की कल्पना कोई नई नहीं है। यह पुराने जमाने से चली आ रही है और इसके लिये कांग्रेस ने कहा था और खासकर महात्मा गांधी ने कहा था और उन्होंने अपने राज्य की कल्पना थी उसको उन्होंने सबसे पहले माना था कि लोकतंत्रीय विकेन्द्रीकरण यहां तक होना चाहिए कि छोटे से छोटे गांव को अधिकार मिलने चाहिये और वह सबसे बड़ी इकाई शक्तिशाली होनी चाहिये, वे स्वावलम्बी हों और स्वतन्त्र हों। उनके मामलों में किसी प्रकार का किसी का हस्तक्षेप न हो, उनको अपने मामलों में पूर्ण स्वतन्त्रता हो। उनका स्वयं का शासन हो और किन्हीं दूसरों का शासन न हो। इस प्रकार की कल्पना महात्मा गांधीजी ने की थी और उसी कल्पना पर हमारे यहां जो विचारधारा हमारे विनोबाजी दे रहे हैं। जिस उद्देश्य को महात्मा गांधी ने रखा उसको आज विनोबाजी जनता के सामने सामने रख रहे हैं। इसमें क्या विचारधारा है और किस प्रकार विकेन्द्रीकरण चाहते हैं उसका भी कुछ विचार होता तो मैं समझता कि जिन विचारों को वे अपने आप में महत्वपूर्ण मानते हैं और सराहना करते हैं उनकी तरफ जिस समय कानून बनाने जा रहे हैं तो उनको सोचते नहीं और अलग रखते हैं। आज एक नई विचारधारा चल रही है उसको भी ले सकते हैं या नहीं। लेकिन मैं जहां तक समझता हूँ कि ग्रामदान की और भूदान की जो विचार धारा चल रही है कि ग्रामीण लोगों का शासन हो उसका दृष्टिकोण नहीं रखा गया है। वे किस आधार पर काम करना चाहते हैं यदि इसका दृष्टिकोण पाया जायं तो मैं समझता हूँ कि यह विकेन्द्रीकरण का लाभ मिलता। परन्तु ह बात भी नहीं है। लेकिन जो सबसे बड़ा लोकतंत्रीय विकेन्द्रीकरण के दृष्टिकोण से मैं समझता हूं कि इसको नहीं पढ़ा है। इस विधेयक में इतना परिवर्तन होना चाहिये कि ऊपर की सत्ता धीरे धी

(श्री मुरलीधर व्यास)

टूटती जावे और नीचे की बढ़ती जावे। मगर यह बात इस बिल में कहीं नजर नहीं आती जो लोकतंत्रीय विकेन्द्रीकरण के लिए आवश्यक है। लेकिन ऊपर का प्रशासन और नीचे का ढांचा उसी प्रकार रहे और आप कहें कि हम विकेन्द्रीकरण करते हैं और नीचे की इकाइयों को एक नई प्रशासनिक इकाई करना चाहते हैं और ऊपर का नौकरशाही का जो ढांचा है उसको आप उसी प्रकार रखना चाहते हैं तो मैं यह कहूँगा कि ये दोनों एक दूसरे से परस्पर मेल नहीं खाते। लोकतंत्र में इस सिद्धान्त को स्वीकार करना होगा कि अगर हम सत्ता का विकेन्द्रीकरण करना चाहते हैं तो नीचे की प्रशानिक इकाई है वह इतनी मजबूत बने कि ऊपर का खर्चा धीरेधीरे समाप्त हो जाए। ऐसा होना चाहिए। ऊपर का ढांचा टूटना चाहिए और एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे में बचना चाहिए जिससे कि वह अर्थ किसी प्रकार से आप विकास के कार्यों में लगा सकें और लगाना चाहिए। अगर ऊपर का ढाँचा वैसा का वैसा रहता है और उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता और हम यह कहें कि सबको हम स्थानीय स्वराज्य दे रहे हैं, सब काम अपने अपने हाथों से करें और सब लोग इस बात को महसूस करें कि सत्ता में हमारा हाथ है तो मैं समझता हूं कि इससे इस यह मूलभूत उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी। इसमें यह बहुत आवश्यक है। इसमें यह भी एक चीज होनी चाहिए कि जब हम एक चीज को करते हैं तो उसका खर्चा तो दूसरी जगह से कम होना चाहिए, वह तो बचना चाहिए और हम उस खर्चे को विकेन्द्रीकरण में लगावेंगे। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि हमारा धन जो लोग अपनी जम्मेदारी को अपने हाथ में ले लेते हैं, यह देखते हैं कि जो धन खर्च किया जाता है उसको किस प्रकार से कम कर सकते हैं, और उसको उत्पादन और विकास में लगा सकते हैं, यह मूल उद्देश्य रहता है। अगर यह मूल उद्देश्य की पूर्ति नहीं होती है तो यह विकेन्द्रीकरण महात्मा गांधी के कथनानुसार और जैसा लोग समझते हैं उसके अनुसार नहीं होगा और लोगों को सफलता नहीं होगी। इस दृष्टिकोण के बारे में चीफ मिनिस्टर कहेंगे कि इसका असर धीरे धीरे होगा। आपको इस पर ५ या ६ करोड़ खर्चा होता होगा। अगर इस प्रकार से करेंगे तो खर्च कम हो जावेगा और इस प्रकार से जो खर्चा बचेगा उसको दूसरे कामों में लगा सकेंगे। अगर इसके द्वारा यह चीज आती है तो मैं समझता हूं कि जिस विधेयक को हम ला रहे हैं उससे कुछ हद तक जनता को लाभ मिलेगा। इस वक्त तो इस विधेयक में ऐसा कोई परिवर्तन नजर नहीं आता है कि जिससे प्रशासनिक खर्चा तो कम होगा और वह विकास में लगेगा।

दूसरी बात जो मैं यह कहना चाहता हूं वह यह है कि मैं यह नहीं कहता कि एक साथ ही सत्ता सौंप दी जाय। मैं मानता हूं कि जो पंचायतों को अधिकार दिए हैं तो उन अधिकारों को लेकर गडबड़ियां होती हैं और होंगी। मैं यह भी मानता हूं कि वे गड़बड़ियां ऊपर तक चली गई हैं और उनके निराकरण के लिए लोगों को सोचना चाहिए। विनोबाजी का तो यह विचार है कि ग्राम पंचायत स्वशासित इकाइयाँ हों। सब गांव के लोग मिलकर काम करें और ऐसी व्यवस्था हो जाय कि आपस में और कोई विरोध न हो और सारा गांव एक घर की तरह मिल कर काम करें। उन्होंने यह योजना देश के सामने रखी है। मैं मानता हूं कि इसमें कठनाई है। मैं

(श्री मुरलीधर व्यास)

यह भी मानता हूं कि सबसे बड़ी कठिनाई हमारे सामने जो है वह यह है कि एक गांव में अलग अलग दलबन्दी है और उसका परिणाम यह होता है कि गांव में जो लोग रहते हैं वे एक दूसरे दल से उलझे हुए हैं और उनका दृष्टिकोण राजनैतिक होने के कारण इस प्रकार की गड़बड़ियां होती हैं। उस दृष्टिकोण को हटाना चाहिए। यह देखना है कि इसको धीरे धीरे कैसे हटा सकते हैं। यदि यह नहीं होता है तो सत्ता तक पहुँचने की कोशिश और उसको प्राप्त करने के लिए जो प्रयत्न चलता रहता है वह आज गांवों को नुकसान पहुँचा रहा है। यह दलबन्दी यहां तक पहुंच रही है कि यदि गांवों में विकास के काम करते हैं तो उनमें भी दलबन्दी होती है, चुनावों के आधार पर और दूसरे आधार पर। एक दल विकास करने की बात करता है तो दूसरे दल उसका विरोध करते हैं और करेंगे। राजनैतिक दलबन्दी मौजूद है। दृष्टिकोण अलग अलग है यह तो वे काम करेंगे, वे कहते हैं कि हम नहीं करेंगे। विकेन्द्रीकरण के द्वारा विनोबाजी का जो दृष्टिकोण है उसको कहां तक पूरा कर सकते हैं, नुकसान हो रहा है उसको कहां तक ठीक कर सकते हैं ? यह कह देना चाहते हैं कि विकेन्द्रीकरण नहीं हो सकता है, विकास नहीं हो सकता है, यह तो आदर्श मात्र है, काम की चीज नहीं है। यदि यह काम की चीज है तो इसको लोगों के दिमाग में बैठाना चाहिए कि किस तरह से काम में लाया जा सकता है। वह दृष्टिकोण इसमें होना चाहिए। आज यह स्पष्ट हो जाना चाहिए। जैसा कि विधेयक में है इस दृष्टिकोण के कारण न्याय भी बराबर नहीं मिलता। पंचायत में पंच बैठे हैं, चुनाव के जरिए दल बना कर बैठते हैं, दूसरा व्यक्ति न्याय के लिए वहां आता है तो वह वहां न्याय नहीं पा सकता। चाहे वह सामाजिक न्याय हो या दूसरा न्याय हो। हर प्रकार की कठिनाइयां मौजूद हैं। इसलिए जो तरीका चल रहा है उसमें सुधार होना चाहिये। इसमें ऐसा होना चाहिये कि जो पंचायत न्याय देती है, तहसील पंचायत अपील सुनती है और दलबन्दी में रहती है तो उनके फैसले इसी प्रकार होने वाले हैं, दूसरे हो नहीं सकते, इस ओर ऐसा विचार करना चाहिये कि इस मामले में आगे बढ सकें। मैंने इस सम्बन्ध में एक बात सोची है और वह यह है कि तहसील समिति में सरपंच होते हैं वे गांव से चुने हुए होते हैं, जनता उनको चुनती है और वह वहां जाने के बाद आगे अपील सुनाई करता है। तहसील समिति के पंच, सरपंच और पंचायत समितियों के सदस्य उनमें आते हैं। न्याय देने वाला अलग विभाग है वह भी उस दलबन्दी में रहता है। उसे मालूम है कि आगे जाना है तो दलबन्दी के अनुसार ही जा सकते हैं। जिन लोगों का समर्थन प्राप्त किया है उनका समर्थन पूरा रह सकता है। इस प्रकार की स्थिति में वहां न्याय नहीं हो सकता। तहसील समिति के सदस्य पंचायत समितियों में आते हैं जिनका काम न्याय करने का है उनको या तो हटा देना चाहिये या जिनका पक्ष न्याय देने का है उनको इस प्रकार अलग करना चाहिये जिला परिषद् में बैठने वाले लोगों को गांव के लोग मनोनीत करें जो समझदार हों, चुने हुए न हों। वे न्याय दे सकते हैं। ऊपर के न्याय देने वाले अलग होंगे। जनतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण में चुनावों से जुड़े हुए नहीं होंगे। यदि ऐसा नहीं हुआ तो दलबन्दी और पक्षपात बढता ही जावेगा और लोगों को न्याय नहीं

(श्री मुरलीधर व्यास)

मिल सकेगा। मैं इस पक्ष में हूं कि जब विकेन्द्रीकरण कर रहे हैं तो दोनों चीजों को अलग अलग करने के लिए कोई रास्ता निकाल सकें तो अच्छा है, इससे न्याय के लिए रास्ता खुलेगा।

तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि तहसील समितियों में जो सदस्य आते हैं वे गांवों के सरपंच आते हैं। उनके द्वारा तहसील समिति का निर्माण होगा। यदि गांव के सरपंच की जगह इसको थोड़ा और विकेन्द्रित करें तो यह कर सकते हैं कि सरपंच जो चुना गया वह जा सकता है। लेकिन दूसरा आदमी सरपंच के अतिरिक्त गाँव की कमेटी का पंच है और उसको सारी पंचायत मिलकर यह सोचती है कि ठीक बात है कि यह काम कर सकता है, तहसील समिति में इसको प्रतिनिधि के रूप में भेजा जाता है तो इस प्रकार की व्यवस्था इसमें करना चाहिये। इसमें दिक्कत क्या है? गांव की पंचायत है, पंचायत का वह पंच है और यदि पंचायत के पंच लोग चाहें और भेजने की बात करते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं हो सकती है। जहां पंचायत के सरपंच को भेजने की बात करते हैं तो फिर साधारण पंच वहां क्यों नहीं जा सकता जिसको कि पंचायत भेजना चाहती है। गाँव के आदमी उसको भेजेंगे और वह तहसील में जाकर काम करेगा। इसलिए इसमें इतना परिवर्तन होना चाहिये। जहां तक मैं समझता हूँ सरपंच ही नहीं पंच भी जा सकता है यदि पंचायत मिलकर उसको भेजना चाहे तो ऐसी स्थिति में उसको भेजना चाहिये। इसमें यह सुधार होना चाहिये।

इसके अलावा जिला परिषद् के बारे में कुछ लोगों का मत है कि इस प्रकार की इकाई रहनी चाहिये या नहीं। मैं इसके सम्बन्ध में कहना चाहता हूं कि इस विधेयक का लक्ष्य इस प्रकार का बनाया गया कि एक ब्लॉक रहेगा और उसमें विकास की इकाई रहेगी और किस प्रकार से विकास के काम चलें इस मामले में पंचायत समिति के लोग हैं, उसका सरपंच वहां आवेगा और आकर उसके सम्बन्ध में अपनी राय देगा। गाँव की बातें तहसील में आवेंगी यानि पंचायत समितियों में और जो पंचायत समितियों की बातें उनको उनके प्रतिनिधि जिला परिषदों में ले जावेंगे जिस जिले से वे सम्बन्धित हैं। विधान सभा के सदस्य इसीलिए इसमें रखे गये हैं कि नीचे की कठिनाइयों के बारे में लोगों के विचार सुनें और उनको आकर विधान सभा में रखें। परस्पर सम्बन्ध इसके द्वारा नीचे से ऊपर तक जोड़ दिया गया है जो कि आवश्यक है। ठीक बात है कि जिला परिषदों को हटा दिया जाय तो क्या स्थिति बनती है। यदि इनको हटा दिया जावेगा तो नीचे की बातें जो ऊपर लाने वाले व्यक्ति हैं वे रुक जावेंगे। उनका रास्ता रुक जावेगा इसके द्वारा चारों तरफ से यह रख दिया गया है कि गांव से तहसील, तहसील से जिला, नीचे से ऊपर तक सम्बन्ध जोड़ दिया गया है। इसके द्वारा परस्पर श्रृंखला बँधी रहे।

१. २०. म० प०

(श्री बरकतुल्ला खां, सभापति, पदासीन)

अब इसमें कुछ लोगों को और रखा गया है। मैं समझता हूँ कि इसके मूल में राजनैतिक दृष्टिकोण भले ही रहा हो लेकिन इसके मूल में व्यक्तिगत दृष्टिकोण भी है और वह यह कि परस्पर सम्बन्धित जो इकाइयां हैं उनका सम्बन्ध बराबर जुड़ा हुआ रहना चाहिये अगर उनका सम्बन्ध किसी

Page No.56

(श्री मुरलीधर व्यास)

प्रकार से टूटता है तो उसको जोड़ने के लिये दूसरा रास्ता आपको रखना चाहिये। प्रशासनिक सम्बन्ध जो नीचे से ऊपर तक सम्बन्ध हम जोड़ना चाहते हैं वह जुड़ा रह सकता है और इसी दृष्टिकोण से मैं समझता हूं यह आवश्यक है।

अब सवाल इसमें यह है जो तरीका इसमें रखा गया है वह यह कि तहसील समिति में एक कृषि निपुण को रखा जायेगा। होगा तो उसका कोआप्शन लेकिन वह कृषि-निपुण कौन है उसकी क्वालिफिकेशन क्या है यह तो सरकार निर्धारित करेगी। तो इससे यह साफ है कि उसका कोआप्शन नहीं हुआ। यानि जो कृषि पंडित है, आप जहाँ किसी दूसरे को लेना चाहते हैं उसे तो आप ले नहीं सकेंगे और जो सरकार जिसके लिये कह दे कि यह कृषि निपुण है तो उसे तो आपको लेना ही होगा। इस तरह से आपने जो इसमें यह रखा कि आप जिसे कृषि निपुण की तौर पर लेना चाहें ले सकते हैं वह होगा नहीं। आखिर होना तो यह चाहिये जो आदमी वहां तहसील पंचायतों में बैठने वाले हैं आखिर वे भी इतना तो दिमाग रखते ही हैं कि कृषि के मामले में तहसील में यह योग्य आदमी है इसी को निपुण की तौर पर रख लिया जाय तो यह तो कोआप्शन होगा लेकिन इसमें यह होगा कि जिसके लिये सरकार कहेगी उसी को रखना होगा। इसके अन्दर रखा गया है कि सरकार इस बात को बतायेगी कि कौन कृषि निपुण है, तो इससे यह मालूम पड़ता है कि जिसको सरकार कृषि निपुण ठहरायेगी उसी को लेना पड़ेगा। इस प्रकार से यह भी एक प्रकार की खामी है इसको भी समाप्त करना चाहिये और इस तरीके से रखना चाहिये कि जैसा कि उन लोगों को कोआप्शन का एकाधिकार दिया गया है वे कर सकते हैं। इस प्रकार इसमें कुछ सुधार जनतान्त्रिक तरीके से किये जा सकते हैं।

सबसे बड़ी दिक्कत मैं समझता हूं इसके अन्दर आपने तहसील समिति को एक छोटी इकाई बनाई है। ग्राम पंचायत को भी एक छोटी इकाई के रूप में माना है। लेकिन विकेन्द्रीकरण का जो रूप मेरे दिमाग में है उसके अनुसार ज्यादा से ज्यादा अधिकार और ज्यादा से ज्यादा किसी इकाई को हम दें तो वह इकाई हो सकती है ग्राम पंचायत। हमें सबसे मजबूत इकाई ग्राम पंचायत को बनाना है। ग्राम पंचायत को जहां हम पॉवर देते हैं या शक्ति देना चाहते हैं वह इसमें नहीं दे रहे हैं। इसमें इस प्रकार का परिवर्तन करना चाहिये जिससे हम ग्राम पंचायत को सब से अधिक मजबूत इकाई बनावें। हमने इसमें ग्राम पंचायत से ज्यादा तहसील पंचायत को पॉवरफुल बनाया है। मेरे ख्याल से ग्राम पंचायत को ज्यादा पॉवरफुल बनाना चाहिये। यह मेरा ही दृष्टिकोण नहीं है विनोबाजी का महात्मा गांधी का भी इसी प्रकार का दृष्टिकोण था और जिस बलवन्तराय मेहता कमेटी की सिफारिश पर यह आप बना रहे हैं उसका भी यही उद्देश्य था कि सब से मजबूत इकाई हम ग्राम पचायत को बनावें। तहसील समिति को ज्यादा पॉवरफुल बनाते हैं तो दूसरी इकाई कमजोर बनेगी। इस कमजोरी को हमें समाप्त करना चाहिये और ग्राम पंचायत को सबसे ज्यादा ताकतवर बनाना चाहिये। सुझाव इसमें भले ही आएँ लेकिन उसमें इस प्रकार का परिवर्तन नहीं होना चाहिये कि जिससे कि फंडामेन्टल चीजों में

(श्री मुरलीधर व्यास)

लोकतन्त्रात्मक विकेन्द्रीकरण में किसी प्रकार भी हेरफेर नहीं होना चाहिये। मूलभूत चीजों में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होना चाहिये और हमें सिद्धान्ततया यह मान लेना चाहिये कि ग्राम पंचायत को सबसे ज्यादा मजबूत इकाई बनाना चाहिये उस पर किसी का अधिकार नहीं होना चाहिये।

तीसरी बात जो इस लोकतन्त्रात्मक विकेन्द्रीकरण में जिला परिषदों में कुछ लोगों को लाने की बात है इसमें लोक सभा के सदस्य को लेने का रखा गया है। संसद् के सदस्य दोनों माने जाते हैं लोक सभा के भी और राज्य सभा के भी। राज्य सभा में जो सदस्य जाते हैं वे किसी क्षेत्र विशेष के नहीं होते।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : इसमें इनके लिये इस प्रकार की व्यवस्था है कि वे जिस जिले में रहते हों वहीं के लोगों को लिया जायगा।

श्री मुरलीधर व्यास : मैं मानता हूँ कि जिस जिले के रहने वाले होंगे उन्हीं को लिया जायगा लेकिन वे किसी जिले के चुनिन्दा नुमायन्दे तो नहीं हैं तो वे इसके अन्दर किस प्रकार से रहेंगे। जब कि हम विकेन्द्रीकरण जनतन्त्रात्मक तरीके से करने जा रहे हैं वैसी हालत में उनको हम किस प्रकार से यह अधिकार देते हैं यह समझ में नहीं आता।

डॉ० बहादुरसिंह : वे भी तो अपर हाउस के मेम्बर हैं।

श्री सभापति : राज्य-सभा के जो मेम्बर होते हैं वे सीनियर किस्म के स्टेट्समैन और पोलिटीसियन्स समझे जाते हैं और अपनी अपनी पार्टी की तरफ से भेजे हुए होते हैं। उनका डिस्क्रीशन मेच्योर तरीके से होता है। यह बात पार्लिया-मेन्ट ने भी मानी है कि उनका कॉन्टीच्यूशन बड़ा महत्वपूर्ण रहता है।

श्री मुरलीधर व्यास : मैं मानता हूं कि अच्छा है और उसके लिये मुझे गर्व है। लेकिन जो यहां से भेजने का तरीका रखा है वह मेरे दिमाग में बैठा नहीं इसलिये मैंने उसे सदन के सामने रखा। मैं अभी तक यह नहीं समझ पाया कि वहां पर जाकर वे किस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करेंगे ? यह बात मेरी समझ में नहीं आती।

डॉ० बहादुरसिंह : सारे भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : लोक सभा के सदस्य के लिये तो यह हो सकता है कि वे जिस जिले से आते हैं उसका प्रतिनिधित्व कर सकते हैं जैसे बीकानेर से जो लोक सभा का सदस्य होता है वह बीकानेर और चुरू जिलों का प्रतिनिधित्व करता है इस प्रकार से दो मेम्बर जो वहां के होंगे वे तो बैठेंगे किन्तु जो तीसरा मेम्बर है वह किस जगह बैठेगा यह मेरी समझ में नहीं आया। इसी दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए मैंने यह बात आपके सामने रखी। राज्यसभा में जो मेम्बर जाते हैं वे किसी इकाई का प्रतिनिधित्व नहीं करते। इसलिये मेरे ख्याल से यह जो रखा गया है वह ठीक नहीं है।

इसके बाद कर लगाने का सवाल आता है। यह कर लगाने का सवाल सबसे महत्वपूर्ण

(श्री मुरलीधर व्यास)

सवाल है, यह बहुत बड़ा अधिकार हमने दिया है। अपने अपने तरीके से ग्राम पंचायतें अलग अलग तरीके से टेक्स लगा सकती हैं। जिला परिषद् को भी थोड़े बहुत अधिकार दिये हैं वह भी जिले के लिये कुछ न कुछ कर लगा सकती है। यह जो टेक्स का तरीका है हम जनतान्त्रिक तरीके से विकेन्द्रित करने के साथ साथ उस इकाई की व्यवस्था को चलाने के लिये नये नये टेक्स लगाने का अधिकार देते हैं वह उचित नहीं है। आज जनता पहले से ही करभार से पीड़ित है। जहां हम विकेन्द्रित सत्ता कर रहे हैं वहां कर लगाने का अधिकार दे देते हैं तो यह बहुत बड़ी भारी दिक्कत पैदा कर रहे हैं। गांव के लोग जहां आज इस ओर ताक लगाये बैठे हैं कि हमें इस बिल द्वारा कुछ अधिकार मिलेंगे वहां कर लगाने का सवाल आयगा तो वे यह समझेंगे कि यह खूब अच्छा विकेन्द्रीकरण रहा। इसके साथ साथ जहां हम इसका लक्ष्य ग्रामीण जनता में यह पैदा करना चाहते हैं उनके दिमाग में विकास के कार्यों के प्रति चेतना उत्पन्न हो वहां करभार को देखकर वे यह कहेंगे कि यह क्या चीज आ गई। जहां इस बिल से ग्रामीण लोगों को प्रेरणा देना चाहते हैं वहां हमें टेक्स लगाने के बारे में बहुत गहराई के साथ सोचना पड़ेगा। आज जितना टेक्स का भार है वह आम जनता की कमर को तोड़ रहा है। इसमें हम देखते हैं ऊपर से नीचे तक टेक्स लगाने का अधिकार मिला है, हर विकेन्द्रित इकाई को टेक्स लगाने का आप अधिकार देते हैं। तो मेरा यह निवेदन है कि पुराना ढांचा इस प्रकार का है उसको वैसा ही बना रहने दिया जाय तो कोई अनुचित नहीं होगा। आज के विकेन्द्रीकरण से हम यह देख सकते हैं कि आम जनता में जो इसके प्रति प्रेरणा होनी चाहिए वह इससे हो नहीं सकती। इस प्रकार के टेक्स लगाने से आम जनता के अन्दर एक प्रकार से इस प्रकार के विकेन्द्रित ढांचे के प्रति घृणा पैदा होगी इसको हमें बहुत गंभीरता के साथ सोचना चाहिए। हमें अपनी इकाइयों के प्रति प्रेरणा देने वाली बनानी चाहिये न कि घृणा पैदा करने वाली, इसी दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुये हमें काम करना है। इस मुद्दे पर माननीय मंत्री महोदय सोचेंगे और इस प्रकार का ढांचा बनायेंगे जिसमें वास्तव में ग्रामीण लोगों में इसके प्रति उत्साह पैदा हो।

मैं इसके साथ साथ विधेयक का जो मूल उद्देश्य है जैसा कि इसके उद्देश्यों में बताया गया उसमें मुख्य उद्देश्य दिया है वह यह कि हमारी जो विकास योजनायें हैं कहां तक ठीक हैं और वह कामयाब क्यों नहीं हुई और नहीं हुईं तो क्यों नहीं।

मैं तो इसको मानता हूं कि आपने जो दस सालों में योजना बनाई और उससे जितना लाभ मिलना चाहिए वह नहीं मिला और हमारी पहली योजना का लक्ष्य था कि अनाज की पैदावार को बढ़ायें और उसके लिए हमारे सारे मुल्क पर करीब २४०० करोड़ रुपया खर्च किया और अनाज के मामले में हम फिर भी आत्म-निर्भर नहीं हो पाये।

दूसरा लक्ष्य हमने उठाया था कि देश की बेकारी की समस्या को हल करेंगे। उसके लिए ४८०० करोड़ रुपया खर्च हुआ और कुछ खर्चा उसका हमारे राज्य में भी हुआ लेकिन बेकारी की समस्या पहले से भी ज्यादा बढ़ गई है। तो जिस लक्ष्य को लेकर वह योजनायें थीं और आप कह दें कि हमने योजना में कामयाबी ली, मैं कहता हूँ कि

(श्री मुरलीधर व्यास)

नहीं मिली। इसे हमें मानना चाहिए और आज भी हम इतने नाकामयाब होते जा रहे हैं कि गर्व के साथ नहीं कह पा रहे हैं। हालांकि इसमें कुछ कामयाबी नहीं मिली है लेकिन मेरे दृष्टिकोण से ठीक है आगे जाकर कुछ लाभ मिले लेकिन आज तक जो स्थिति है उसके लिए कह सकते हैं कि जो स्थिति हम पूरी करना चाहते थे वह नहीं हो पाई।

सभापति महोदय, दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि ठीक है आप लोगों को उस बिल के द्वारा प्रेरणा देना चाहते हैं। जहां तक पहले लोगों का मत था और प्रजा सोशियेलिस्ट पार्टी ने पहले इस बात को ८ साल पहले कहा था कि योजना का मूल उद्देश्य कामयाब करना है तो इनका काम नीचे से होना चाहिए ऊपर से नहीं। बाबू जयप्रकाश नारायण ने कहा था और लोगों ने भी कहा था और वह इसलिए कहा था कि नीचे से जब तक योजना नहीं बनेगी तब तक योजना से लाभ नहीं होगा। अब हम कहते हैं कि नीचे से योजना लाने से ज्यादा काम अच्छा होगा। तो यह स्वीकार करना चाहिए कि हमने इतने दिनों तक भूल की। लेकिन उस भूल को स्वीकार करना चाहिए कि अगर उस तरीके से काम करते तो जरूर कुछ वाकई में काम होता और हम कुछ उन्नति करते। लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। हम इसको मानते हैं कि आगे जाकर इस प्रकार से नीचे से काम करेंगे तो वाकई इस योजना में सफलता मिलेगी। और मैं समझता हूं कि उससे सफलता मिलेगी। लेकिन वह वाकई में नीचे से योजना बननी चाहिए। नीचे के लोगों को अभी भी और अधिकार मिलने चाहिए। वह अपने मामलों में पूर्ण स्वावलम्बी होने चाहिए, इसको हमें ख्याल में रखना चाहिए। अगर नहीं है तो आज जैसी मनमानी चलती है वैसी ही चलेगी। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि तहसील समिति के कुछ लोगों ने कुछ और स्वीकार किया और ऊपर से जिला परिषद् के कुछ लोगों ने कुछ और तय किया और राज्य में जैसी दलबन्दी अभी चल रही है यदि आज की स्थिति के आधार पर मुझसे पूछें तो मैं कह सकता हूँ कि जो वस्तुस्थिति है वह विकेन्द्रीकरण की योजना से हमारा खुद का दिमाग साफ नहीं होता। हम यह सोच लेते हैं कि हमारे दल के आदमी ने ऐसा कह दिया है इसलिए हमारे क्षेत्र में ऐसा होना चाहिए। अगर हम ऊपर से वैसा का वैसा ही करते हैं तो जो दृष्टिकोण आज है वही आगे रहेगा तो यह विकेन्द्रिकरण जो मुंह फाड़कर कह रहा है यह हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। इसलिए आज सबसे ज्यादा जरूरत इस बात की है कि आप लोग इसके ऊपर बहुत गहराई से सोचें। अभी एक भीलवाड़ा का मुद्दा आ गया था। नोमीनेशन लोगों ने भर दिये थे, उसमें एक प्रजा सोशियेलिस्ट पार्टी का ही प्रेसीडेन्ट शायद बन जाता इसलिए सब के सब आकर यहाँ दौड़े और यह हुक्म दिया गया कि ये नोमीनेशन रद्द किये जाते हैं और आगे की तारीख दी जाती है। यह छोटी सी चीज है। इसके अन्दर एक राजस्थान के मुख्य मंत्री, राजस्थान के सबसे बड़े आदमी के पास लोग दौड़ कर के आये और वे विकेन्द्रीकरण का बिल रखें...

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मन्त्री) : माननीय चेयरमैन महोदय, मैं एक

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

बात बता दूं कि मैंने इसके बारे में कोई आदेश नहीं दिये।

श्री मुरलीधर व्यास : आपकी सरकार ने दिये। आप सरकार के प्रधान हैं और मैं कहता हूं कि यह बहुत बुरी चीज है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : न और किसी मिनिस्टर ने इसके बारे में आदेश दिये।

श्री मुरलीधर व्यास : तो सेक्रेटरी ने दे दिये होंगे। आप यह कह सकते हैं कि मिनिस्टर ने आदेश नहीं दिये तो फिर सेक्रेटरी ने दिये होंगे।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : न सेक्रेटरी ने दिये। वहाँ पर जो कलेक्टर हैं वह उसके लिए कॉम्पीटेन्ट था। उन्होंने ऑर्डर दिया। मैं समझता हूं कि यह आपकी जानकारी में भी है।

श्री मुरलीधर व्यास : कलेक्टर था तो बराबर चुनाव होते। मैं कहता हूं कि आप इसको उस तरीके से कहें। मैं समझता हूं कि बहुत छोटी सी चीज को जिसको हम ऊपर के आदमी जो कि बहुत हायर लेवल के हैं जिनका दृष्टिकोण बहुत ऊंचा होना चाहिए, ऊपर के आदमी अगर कहें और वे हस्तक्षेप करें तो इससे बढ़कर बुरी चीज नहीं है। मेरे खयाल से इस पर गहराई से सोचना चाहिए। अगर हमें लोकतंत्र में सफलता हासिल करनी है तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आज प्रतापगढ़ के मामले सारे क्षेत्रों के बारे में सोचते हैं। मेरा खयाल में हर प्रकार से हमने वैधानिक तरीकों से बातें रखीं लेकिन वहाँ के एक आदमी ने कहा कि इसकी झोंपड़ी उठवानी है, उसकी झोंपड़ी थी, होटल थी। वहाँ के एक आदमी ने कहा कि ऐसा होना है तो ऊपर के सारे विधानों को छोड़ दिया गया तो हमारे दिमाग में यही बैठेगा कि यह परम्परा बहुत बुरी है। हम इस परम्परा को क्यों निभाते हैं, उसके पीछे एक कारण है। वह है इस चुनाव का कारण। आगे इसी के जरिये हम अपनी कुर्सी को बनाये रख सकते हैं। अगर हमें कुर्सी को रखना है तो हमारे एम०एल०ए० की बात को मानना पड़ता है और अगर नहीं मानते हैं तो इस कुर्सी को नहीं रख सकते हैं। तो एक कुर्सी को बनाये रखने के लिए एक प्रजातंत्र को कुचल देते हैं तो यह चीज अच्छी नहीं है। इसको हमें समाप्त करना पड़ेगा। अगर हम इसको समाप्त कर देते हैं तब कहीं जाकर इस विकेन्द्रीकरण का, इस जिला परिषद् के आधार पर, जिसका नया काम करना चाहते हैं इसमें कुछ कामयाब हो सकते हैं।

मेरे दिमाग में एक चीज है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं और मैं समझता हूं कि मुख्य मंत्री महोदय वाकई में कुछ काम करेंगे। मैं मानता हूँ हमारे मुख्य मंत्री योग्य हैं लेकिन उनका दृष्टिकोण। एक सीमा तक लग जाता है तो हमारे दिल में यह टीस जरूर होती है कि राजस्थान के मुख्य मंत्री श्री मोहनलाल सुखाड़िया ने उदयपुर में जन्म लिया और अगर वह बीकानेर में जन्म लेते तो बीकानेर भी फायदा उठा लेता। यह आज दृष्टिकोण हमारा बनता है। इसके बारे में सोचना पड़ेगा और मैं समझता हूं कि विकेन्द्रीकरण के कर्त्तव्य का मौका सब को देंगे ताकि सबके सब महसूस करें कि हम

(श्री मुरलीधर व्यास)

है कि इसमें आगे जाकर हमें कामयाबी हो सकती है तो यह दृष्टिकोण बनाना पड़ेगा कि ऊपर के लोगों से और बहुत दृढ़ता के साथ बनाना पड़ेगा उसमें कुर्सी का मोह, दूसरा मोह, मंत्रीमण्डल का मोह इन सारे मोहों को हमें त्यगना पड़ेगा तभी हम कामयाब हो सकेंगे, नहीं तो नहीं सकेंगे। इसलिए मैं बहुत नम्रता के साथ इसका निवेदन करना चाहता हूं।

दूसरी बात जो इस संबंध में मैं समझ पाया हूं वह है अधिकारों के बारे में। मैं थोड़ा सा कहना चाहता हूं। इसमें जो सबसे बड़ी बात आज हमारे देश में जो हमारी प्रजा को खराब कर रही है वह यह है कि हमारे देश में भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा बढ़ रहा है और उसका कारण क्या है? उसको जहाँ तक मैं समझा हूं वह यह है कि यह भ्रष्टाचार जो हमारी जड़ों में फैला हुआ है उसे हमें समाप्त करना आवश्यक है और उसको दूर करने का तरीका लोकतंत्रीय विकेन्द्रीकरण भी है। लोकतंत्रीय विकेन्द्रीकरण के द्वारा सारा भ्रष्टाचार, सारा भाई-भतीजावाद समाप्त हो सकता है और वह इस आधार पर हो सकता है कि हम अपने अधिकारों को नीचे वालों को दें। ताकि आज एक गाँव का सरपंच यह महसूस करे कि जो पुलिस का अधिकारी हमारे गाँव में आता है उसको मेरे आदेश के मुताबिक काम करना है, किसी गाँव के घर में प्रवेश करना है तो मुझे पूछना चाहिए कि किस कारण से जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि वास्तव में इतनी पॉवर्स अगर पंचायत को होती है तो एक पुलिस का अधिकारी गाँव में जाकर भ्रष्टाचार नहीं कर सकता... भ्रष्टाचार को समाप्त करना है तो आपको वह अधिकार इतना जबर्दस्त देना चाहिए कि जिससे उस अधिकार के जरिये वे इतने ताकतवर बनें कि एक पुलिस का अधिकारी जिससे कि गांव का एक साधारण नागरिक डरता है, घबराता है और भय खाता है उसका वह डर दूर दूर हो जाय और उसको साथ गाँव से लेकर ऊपर तक वह भ्रष्टाचार हो जाय। यह ताकत जब तक गांव को नही देंगे, वह अधिकार नहीं देंगे जिससे कि वे इतने शक्तिशाली बन सकें। मैं भी समझता हूँ कि यदि आप महसूस करते हैं कि गांव को ताकतवर और शक्तिशाली करने के लिए इतने ज्यादा अधिकार और ज्यादा ताकत उसको दी जाय कि जिससे शक्तिशाली बन सके और उसके साथ साथ गांव से लेकर तहसील समिति के अधिकार इतने हों कि जो प्रशासन के ढांचे में भ्रष्टाचार फैला हुआ है, जो अन्याय फैला हुआ है नीचे से ऊपर तक तो अधिकार के बिना उस भ्रष्टाचार को कम नहीं कर सकते हैं। तो उसको समाप्त करने के लिए अधिकार समिति को इतने जबर्दस्त देने चाहिए कि भ्रष्टाचार समाप्त हो। जो सबसे बड़ी बुराई है वह यह है। इसको समाप्त करने के लिए अधिकार इतने ज्यादा देने चाहिए कि वह समाप्त हो। यदि वह समाप्त हो जाय तो मैं समझता हूँ बड़ा भारी काम होगा। अगर वह समाप्त नहीं होता है हो जैसा कि आज काम चल रहा है वैसे का वैसा ही चलता रहेगा।

तीसरी बात इसके सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि अधिकार देने के साथ साथ तहसील समितियों को और ग्राम

(श्री मुरलीधर व्यास)

पंचायतें को, आप इस बात का भी खयाल-करें कि गांवों में चुनाव के जरिये दलबन्दी होती है, जो एक दूसरे के साथ अन्याय होता है, उसको हल करने के लिए, एक न्याय करने के लिए सत्ता अलग हो जिसका कि चुनाव से सम्बन्ध नहीं हो, तो मैं समझता हूं कि न्याय देने वाला हो जायगा, और गांव की गड़बड़ समाप्त होगी। जो चुनाव के नतीजे को लेकर एक दूसरे के साथ अन्याय करते हैं वह समाप्त होगा। तहसील समिति के लोग गड़बड़ करते हैं तो न्याय विभाग अलग करें। तो प्रशासन के अधिकारी जो योग्य हो, न्याय देने वाले हों उनको अलग रखें। उनके पास अपीलें जायं। परन्तु वह अधिकार अलग रहेगा। और मैं समझता हूं कि इसके साथ अन्याय देने वाला उनके साथ ही बैठने वाला होगा तो वहां पर उसका दृष्टिकोण बदल सकता है। इसलिए न्याय के अधिकारी बिल्कुल अलग हों तो लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण करना चाहते हैं, और आज हमारे इस देश को हर तरीके से जिन जिन चीजों से नुकसान है उन्हें वाकई दूर करना चाहते हैं तो यह दृष्टिकोण रखना पड़ेगा। यह दृष्टिकोण नहीं रहा तो मैं समझता हूं कि जो खामी हमेशा रहती है वह खामी आगे जाकर लोगों को दिक्कत देती है छोटे-मोटे गाव में।

आपने एक नया कानून बनाया है एडल्टरेशन का। गांव का आदमी अगर पाव भर दूध किसी को बेचता है है तो आपने रखा है कि जो दूध का धन्धा करता है तो उससे आप १२) रु० वसूल करते हैं। सारे राजस्थान में ऐसा धन्धा करने वालों के लिए कानून बना दिया। आपको मालूम पड़ता है कि बहुत अच्छा कानून है राजस्थान की धरती के लिए। मैं ऐसा समझता हूं कि एक आदमी गांव में एक दो गाय रखकर दूध बेचता है तो १२) रु० टेक्स लगा दिया, और उस नाम से लगा दिया और उसको अपने हाथ में रखा। जब ऐसे करों को अगर आप नहीं बदलते हैं और इस प्रकार की ये चीजें, अधिकार आप उनको नहीं देते हैं, और सारी चीजें अपने कन्ट्रोल में रखते हैं, उसको समाप्त करना पड़ेगा, और उसके साथ साथ प्रशासन के ढांचे से देखना पड़ेगा कि कहां तक ठीक हुआ है।

इस सम्बन्ध में जो विचार मेरे हैं वे आपके सामने रखे हैं। मैं समझता हूँ कि वाकई में इस प्रकार से इसके अन्दर जो भी परिवर्तन कुछ हुए हैं तो यह विधेयक जिसको हम बहुत महत्वपूर्ण कहें जनतान्त्रिक परम्परा को मानने वाले व्यक्ति के लिए कोई कहे कि यह विधेयक बुरा है, मैं कहूँगा कि इससे बढ़िया विधेयक नहीं है। इसके मूल्य का अवलोकन करना पड़ेगा और वह रास्ता अपनाना पड़ेगा जैसा कि इसके अन्दर है। इस दृष्टिकोण से जैसा कि रखा है विशेष लाभ नहीं होने वाला है। जो दिक्कत मेरे दिमाग में है वह आगे आने वाली है। इसलिए मैं समझता हूं कि मेरे जो विचार हैं उनके अनुसार इस बिल में परिवर्तन करेंगे।

श्री सभापति : श्री रघुवीरसिंह

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : On a point of order, Sir. Mr. Chairman, I would like to draw your attention to Rule 69

Page No.63

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

and 70 of the Rules of our Procedure and Conduct of business. Rule 69 relates to Motions that may be moved after presentation of report of Select Committee and Rule 70 relates to the Scope of Debate on report of Select Committee. So far as I have been able to understand these two provisions, the Bill as reported by the Select Committee will be in consideration before the House. But on the Bill that is under consideration of the House a point of order was raised yesterday also. The provisions of the Bill are not inconsistent with the amendment that has been presented today. A Corrigendum has been issued for which the House was adjourned yesterday. But still I would like to draw your attention particularly for instance to Clause 34. Mr. Chairman in clause 34........

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मन्त्री): Mr. Chairman. This point has already been disposed of by the Hon-ble Deputy Speaker and therefore this cannot be taked again.

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : The Deputy Speaker disposed of the previous point and not the future...

श्री सभापति: But if the points are identical...

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: Let me make you hear Sir.

श्री सभापति : Yes, Go ahead. I am listening.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : The Hon'ble Member should not be impatient. It matters a little if the Bill is delayed. But we cannot go with irregularities in the House.

श्री सभापति : Yes, Mr. Satish Chandra let us now come to...

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : Mr. Chairman, I will draw your attention to clause 34. It contains three sub-clauses. I take the report of the Select Committee. It is on page 14. Clause 34 Sub-Clause (1) reads as "The Committee considering this provision are of the opinion that a Pradhan or Up-Pradhan should be removable for misconduct also but the opinion thereon of the Zila Parishad concerned should first be considered if the same is received within thirty days of the despatch of the communication for the purpose."

The sub-clause has been redrafted and I have no objection to it. It is there as an amendment to the Bill itself. Now we come to sub-clause 2. The Select Committee says—

"For this sub-clause a new provision has been substituted in order to give effect to the views of the Committee that the Pradhan or Uppradhan against whom an inquiry has been started may be debarred from taking part in the proceedings of the Panchayat Samiti by putting him under suspension".

But here they have amended in the form of original Bill. Now the

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

question is with regard to Clause 34 A. The Select Committee has recommended that the provision of Sub-clause (2) of clause 34 should be incorporated in the form a new clause which shall be an independent clause 34 A. But now in the Bill, as it is before the House there is a new clause 34 also "34A.-The provision of Sub-clause (2) of clause 34 has been provided in an independent clause 34 A." So there is clause 34 and there is a new clause 34 A for the same clause. So there is no inconsistency of the Bill. So far as these discrepencies are there, we cannot pass this Bill. Suppose there are no amendments then ? It will be passed contrary to the intentions of the Select Committee. There are other inconsistencies also which I may point out later. I request that Rule 69 and 70 make provision. According to 69 after the presentation of the final report of a Select Committee of the House on a Bill, the member incharge may move that the Bill as reported by the Select Commtttee of the House be taken into consideration and as provided in Rule 70, the debate on a motion fhat the Bill as reported by the Select committee of the House be taken into consideration shall be confined to consideration of the report of the Committee and the matters referred to in that report or any alternative suegestions consistent with the princlple of the Bill. So my submission is that the Bill as has been reported by the Select Committee, the amendments thereto must have been made likewise. The Bill is still inconsistent. A similar objection was raised yesterday. This House shauld be adjourned as this inconsistency is still there. According to the procedure this House cannot proceed further and therefore we must......

श्री सभापति : I have followed...

श्री श्रीभानसिंह : I will again state Sir, some more discrepencies which will further camplicate the the matter. I will draw your attention to clause 34 A and it should be read with Clause 6 which says that "the Sarpauch or Up-sarpanch of a Panchayat or a Tehsil Panchayat who vacates his office as such under sub-section 4 A of Section 8 becauce of his having been elected as the Pradhan of a Panchayat Samiti shall be the additional member of such Panchayat Samiti..' I mean what is mentioned in clause 34 A and if read with clause 6 A, they are both contrary. AIf we again see then we find that the Select Committee never suggested any duration but in clauee 31- 'for the financial year to commence on the first day of April next following' this is not incorporated in the report of the Select Committee. I am surprised on what authority and why they have been deleted when the Select Committee has not recommended. I don't know what the Select Committee has recommended aud whether it has been incorporated in the Bill and what has been incorporated in the Bill. There

(श्री श्रीमानसिंह)

is a great discrepency in betweeu the report of the Select Committee and the Bill as presented to us. There is nothing clear before us. We are proceeding on our assumed grounds.

श्री दामोदरलाल व्यास : Is it clause 4 a or 6 a ?

श्री श्रीमानसिंह : 4 to be read with 6.

श्री दामोदरलाल व्यास : There is no such clause 4 a.

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा): But the question of principle is involved here. I refer to clause 8 (4a). It is to be provided that one person should not hold more than one office ar the same time. But so far as Tehsil Panchayat is concerned it is that he continues to be a Tehsil Sarpanch, If you read 4 A.

"If the Sarpanch or Up-Surpanch of a Panchayat or a Tehsil Panchayat is elected as the Pradhan of a Panchayat Samiti, he shall on and from the date of his election as such, cease to be, and vacate the office of the Surpanch or Up-sarpanch... ..." but it does not make a reference to the Tehsil Panchayat.

श्री दामोदरलाल व्यास : It has been deliberately kept there.

श्री सभापति : I have now sufficiently heard on this point.

श्री पी० के० चौधरी : When you make a distinction between Panchayat and Tehsil Panchayat you should have also made that he should cease to be a Sarpanch of the Tehsil Panchayat. Tehsil Panchayat should have been specifically menticned. Then Sir there are other things in clauee 47 .....

श्री सभापति : Mr. Chaudhary I quite understand that.

श्री पी० के चौधरी : I would like to submit some more Sir. The Select Committee never allowed the classification of roads as Panchayat Samiti roads and village roads. But in 47 para 5 c. that gives functions of the Panchayat Samiti. Then, Sir, comes part 8a. It will adives the Government about the execution of all sorts of schemes where as it has been restricted in the Bill on all matters relating to the implementation within the district of the various schemes under the Five Year Plans. For any plan taken in the scheme the Government should take their recommendation.

श्री सभापति : Mr. Chaudhary, are you making a speech or you are raising a point of order ?

श्री पी० के० चौधरी: There was a recommendation for recovering loans, other dues and taxes.

श्री सभापति : The Deputy Speaker has today given a Ruling on the

(श्री सभापति)

points raised now, as similar point was raised yesterday and he gave his Ruling.

श्री श्रीभानसिंह : That was given when the discrepency was such as to hinder the deliberations of the House and the House was adjourned yesterday. This morning the ruling was given by the Dy. Speaker cn the face of the discrepencies. But for that a corrigenda, that was circulated, whether the Assembly Secretary is authorised to circulate. The Hon'ble Minister who piolates the Bill should.

श्री सभापति : Yes I have heard.

श्री पी० के० चौधरी: Dy. Speakers' decision was on the same discrepencies having been brought to his notice. But there are others and they are not coverd by his ruling.

श्री सभापति : What about these discrepencies ? Have they emerged from the discussion of the Select Committee or these discrepencies have been brought about by the office ?

श्री श्रीभानसिंह : Then Sir, you will have to call for the minutes of the Select Committee and the House is entitled to see what were the decisions of the Select Committee in this respect.

श्री पी० के० चौधरी : There are discrepencies in between what is written in the report and what is in the Bill and we are considering the Bill as amended by the Select Committee. It is, therefore, necessary that these amendment shonld be here before the House. Yesterday the Deputy Speaker adjourned the House. Today also these vital discrepencies are there.

श्री दामोदरलाल व्यास ; The position is, Sir, that in the Select Committee it passed from various and different stages. The Select Committee passed these clauses and they have been embodied in the Bill itself.

Of course some minor points of discussion are not embodied in the Bill and there is a discrepency in some clauses.

२ म. प.

श्री पी० के० चौधरी : No Sir. A decision was given that we are considering the report of the Select Committee and not the Bill as amended, and the ruling was that even if the Bill was not ammended in accordance with the report, it was not necessary, becuse we are considering the report. Now the Minister says that the report is not comprehensive. Then what are we considering ? The Bill as amended by the Select Committee or the Report which, as the Hon'ble Minister states now, is not comprehensive.

श्री दामोदरलाल व्यास : I did not say that it is not comprehensive. The

Page No.67

(श्री दामोदरलाल व्यास)

point is that in the Select Committee the Bill is taken clause by clause and amendments are also made clause by clause. These amendments are made only in the body of the Bill and it is not necessary that all the amendments should also be mentioned in the Select Committee report. Minor and detailed points are not mentioned in the report and they can be ascertained from the minutes of the meettigns.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सभापति महोदय, मैं एक बात माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा, आपने कहा है, उत्तर तो मायने नहीं रखता, क्लॉज ३१ में देखिये, सलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट क्या है, इसमें सब-क्लॉज ३, सब-क्लाज ४ के लिए अमेंडमेंट सजेस्ट किया है, and in the report there is absolutely no amendment whatso ever so faras sub-clause (1) and (2) of clause 31 are concerned and the Bill which is before the House contains an amendment in sub-clause(1). Why this has been done by the office when no amendment was suggested by the Setect Committee? The Select Committee suggested amendments in sub-clauses (3) and (4) but they never made a recommendation so far as sub-clause. (1) and (2) are concerned, and they have been ammended without being recommended by the Select Committee.

श्री दामोदरलाल व्यास : This motion was made by the Select Committee and it has not been introduced by the office. I have already said that minor amendments are not mentioned in the report. They are in the minutes of the Select Committee meetings and they can be seen .

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : It really seems very strange that the deletion of a sub-clause is considered so minor by the Hon'ble Minister that it is not incorporated in the Select Committee report. The Select Committee report should be very comprehensive.

श्री सभापति: Select Committee report should be submitted in toto.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : Yes Sir. in toto. The minutes are recorded verbatim and there can be no explanation for this omission. The Hon'ble Minsiter having so much experience has suggested something which does not appeal to logic and commonsense.

श्री सभापति : Let us leave alone logic now and stick to the procedure.

श्री पी० के० चौधरी : The Hon'ble Minister says that the report does not contain the full recommendations of the Select Committee, and the Bill also does not contain the full recommendations of the Select Committee. Then what are we to consider ?

Page No.68

श्री सभापति : On this point I am very clear. We are considering report of the Select Committee, and whatever amendments have been incorporated in the Bill by the Select Committee should also be presented in the form of the report to the House.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : The intention of the Select Committee is very clear at page 6 of the report. For clauses 6A, 8, 35A and 37 it says:—"The Bill as it originally stands enables one person to hold at the same time three offices, viz. those of the Sarpanch, the Pradhan and the Pramukh. The Committee desire that one person should not hold more than one office at the same time. To give effect to this view of the Committee, clauses 8 and 37 have been amended and clauses 6 A and 35 A added." So the Committee desires that one person should not hold more than one office at the same time, but when we see at page 17, the sub-clause 4 a of clause 8, it is just contrary to the desires and wishes of the Select Committee. There one person may hold 2 or 3 positions. So it is absolutely in contravention of the desires of the Select Committee. What is not in the Select Committee report. is not in the Bill and what is in the Bill is not in the Select Committee Report The Bill is incomplete and the House cannnot proceed with its discussion.

श्री बृजमोहनलाल शर्मा (ब्यावर) : Sir, the Bill as reported by the Select Committee, might have been circulated to the members of the Select Committee together with notes of dissent. We have to see wheter they have given any notes that such and such thing which was decided in the report has not been incorporated. We have to see whether such an objection has been raised in any note of dissent.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : So it is res-judicata...

(हँसी)

श्री पी० के० चौधरी : Is the House bound by the notes of dissent or what is in the report ?

श्री सभापति : It was merely suggested by the Hon'ble Member that if there was any material discrepancy in the report, the members who were writing notes of dissent, they could have easily pointed out.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : The suggestion should have been intelligible.

श्री चन्दनमल वैद (सरदार शहर): ब्यावर से आनेवाले माननीय सदस्यने जो कहा, उसके लिए मैं निवेदन करूं कि सलेक्ट कमेटी के मेम्बर के पास रिपोर्ट आती है, अमेंडेड बिल नहीं आता है। रिपोर्ट से पता नहीं लग सकता कि अमेंडेड बिल में कौन से कौन से अमेंडमेंट किये हैं। कौन से नहीं किये हैं। उन्होंने रिपोर्ट देखी तो समझ गये कि हमने यह किया था और वह आ गया है, इसलिए दस्तखत कर दिये। उन्होंने नहीं देखा है कि बिल में जो अमेंडमेंट सेक्रेटेरियट को करने चाहिए, वह किया है या नहीं। मैं समझता हूं इस चीज का पता लगाना सम्भव नहीं हो सकता।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री) : मैं अर्ज करना चाहता हूं कि यह साधारण पॉइन्ट है सलेक्ट कमेटी की जो रोजमर्रा बैठक होती है, उनकी मिनिट ड्राफ्ट होती है। दूसरी तारीख को उसे एप्रूव कराया जाता है। वे मिनिट्स ऑलरेडी सेक्रेटेरियट में मौजूद है। कमेटी की रिपोर्ट, जब बिल को फाइनली पास कर लेते हैं। जब बैठ कर तैयार होती है, इसमें कमेटी के डिसीजन्स एम्बोडीड होते हैं लेकिन यह जरूरी नहीं है कि सलेक्ट कमेटी जिन माइनर पॉइन्ट्स को कन्सीडर करें, उनको भी रिपोर्ट में ले। माननीय सदस्य का कहना है कि इसमें ऐसे अमेंडमेंट हो गये हैं जो नहीं होने चाहिए। माननीय सदस्य को यह नहीं भूलना चाहिए कि मिनिट्स सेक्रेटेरियट के पास में हैं, हमने इस बिल को क्लॉज बाई क्लॉज अमेंड किया है, यह नहीं हुआ है कि ऑफिस ने बैठ कर कर दिया हो the Bill has been amended by the Select Committee when it was taken by it clause by clause. और इसलिए जो भी अमेंडमेंट बिल है it is amended by the Select Committee and not by the office or Secretariat. इसलिए ओमीशन और लाइन एड करने के डिसीजन को रिपोर्ट में एम्बोडी नहीं किया है।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : What about circulating it this morning ?

श्री दामोदरलाल व्यास : That is only coraigendum I have explained clearly, on which the Hon'ble Deputy Speaker has already given his observations. सवाल इतना रहता है कि जो बिल में अमेंडमेंट हैं और रिपोर्ट में दर्ज नहीं है It is not necessary that minor points should also be embodied in the report. They are never embodied in it. If the Chairman so desires the minuts of the Select Committee can be seen. It cannot be presumed that because it does not find a place in the report, it was not decided by the Select Committee.

श्री पी० के० चौधरी : टैक्स इम्पोज करने का सलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट में है वह बिल में इन्कोर्पोरेट नहीं किया गया है।]

श्री दामोदरलाल व्यास : यह कैसे प्रिज्यूम करते हैं कि सलेक्ट कमेटी ने पास नहीं किया जो माइनर पोइन्ट है इन्कोरपोरेट नहीं किये हैं,

२. १०. म. प.

(श्री निरंजननाथ आचार्य, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : उपाध्यक्ष महोदय, जहाँ तक माइनर एरर होती माइनर पोइन्ट को इन्कोरपोरेट नहीं किया होता तो ऐसा नहीं होता पर बड़े प्रिंसिपल और इम्पोर्टेन्ट नेचर के सलेक्ट कमेटी के डिसीजन्स हैं उनको बिल में इन्कोरपोरेट नहीं किया जाना, सलेक्ट कमेटी का डिसीजन है कि एक आदमी एक इलेक्टेड पोस्ट से ज्यादा होल्ड नहीं करे, इसको बिल में इन्कोरपोरेट नहीं करना, इसको माइनर कहें तो यह सारा का सारा बिल ही माइनर है। यह मेजर डिसीजन्स हैं जहां जहां एप्लाई होते थे इसके इन्टेन्शन को इन्कोरपोरेट नहीं किया गया है, पेज सेवन्टीन में इन्कोरपोरेट है ही नहीं तो क्या यह ट्राइफलिंग पोइन्ट हुआ। यह मेजर डिसीजन्स सलेक्ट कमेटी के हैं, उनको इन्कोरपोरेट नहीं करते हैं, तो कैसे कह सकते हैं कि यह ट्राइफलिंग पोइन्ट्स हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : Do we admit that there are some discrepancies in the report of the Select Committee which are not curable at all ?

श्री पी० के० चौधरी : Yes Sir.

श्री उपाध्यक्ष : Discrepancies of the type which are not curable ?

श्री दामोदरलाल व्यास : Their contention is that there are certain matters in the Bill itself which do not find a mention in the report of the Select Committee. My submission is that the report of the Select Committee does not ordinarily contain minor points. They are mentioned in the minutes of the meetings and these minutes may be looked in to.

श्री पी० के० चौधरी : It is going against your ruling. Your ruling was that we are not considering the amended Bill, but the report. So if anything is missing in the Bill, it does not matter so long it is in the report. But here there are certain things which are not in the report, but are in the Bill. So what are we considering ?

श्री उपाध्यक्ष : I want to know whether some contents which are absent from the report, whether they are in the minutes of the Select Committee ?

श्री पी० के० चौधरी : We don't know. We are not discussing the minutes here.

श्री दामोदरलाल व्यास : The House can call for the minutes if the Speaker permits.

श्री उपाध्यक्ष : I would like to refer the Select Committee minutes.

श्री. बृजमोहनलाल शर्मा (ब्यावर) : My submission is that it is not necessary that all the details of amendments made in the Bill should be incorporated in the report. There is no such provision.

श्री पी० के० चौधरी : I would like...

श्री बृजमोहनलाल शर्मा : You take your seat please. Listen to me. My learned friend should have patience.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : He should not be a patient.

श्री बृजमोहनलाल शर्मा : He is rather a patient.

श्री उपाध्यक्ष : Let us come to the question itself.

श्री बृजमोहनलाल शर्मा : My submission is that the Rules of Procedure do not prescribe that each and every detail decided by the Select Committee should be incorporated in the report. It is not necessary.

श्री पी० के० चौधरी : Where they are to be incorporated then ?

श्री बृजमोहनलाल शर्मा : Rule 70 says that the debate on a motion that the

Page No.71

(श्री बृजमोहनलाल शर्मा)

Bill as reported by the Select Committee of the House be taken into consideration shall be confined to consideration of the report and the matters referred to in that report or any alternative suggestions consisent with the principles of the Bill. So we can consider something which is even excluded from the report, provided it is consis tent with the principles of the Bill.

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : माननीय उपाध्यक्ष, झगड़ा इस तरह है कि जैसा बिल आया है, जैसा कि मंत्री जी ने कहा बिल पर सलेक्ट कमेटी ने विचार किया और अपने प्रतिवेदन के साथ यह प्रस्तुत किया तो बिल पर यहां विचार करना चाहिए। मान लिया जाय कि रिपोर्ट में हर चीज नहीं ली है, हो सकता है सारी बातें जो सलेक्ट कमेटी में डिस्कस कीं वह नहीं आई हों पर जो बातें रिपोर्ट में आई हैं उन बातों के आधार पर तो बिल में अमेंडमेंट होने चाहिए। वे बातें जो सलेक्ट कमेटी ने डिस्कस कर के डिसीजन्स लिये वे इस रिपोर्ट में रखे हैं रिपोर्ट में वे बातें हैं, हो सकता है कि पूरी नहीं हों पर उसके आधार पर बिल में अमेंडमेंट होने चाहिए। ऐसी सूरत में जैसा कि मंत्री जी ने कहा है सदन में बिल को विचारार्थ रखा है तो यह उचित नहीं है। सलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट इस बिल का सारांश है, उसके अनुसार अमेंडमेंट बिल में होने चाहिए। यदि बिल को ही देखेंगे तो बिल अलग है, रिपोर्ट अलग है जो सलेक्ट कमेटी ने डिस्कस किया है उससे सब चीजों को यहाँ बिल में समझ लिया जाना चाहिए तो इस तरह अलग अलग देखा जाय तो बड़ी दिक्कत आयेगी, यह पता नहीं चलेगा कि बिल ठीक है या रिपोर्ट ठीक है। इसलिये जब तक मिनिट्स नहीं देख लेंगे यहां डिस्कशन होना न्यायोचित नहीं हो सकता।

श्री पी.के. चौधरी : I point out one important thing. For clause 47, the Committee says that the following should also be the functions of a Zila Parishad:—

(a) advising the State Government on matters relating to the implementation of various schemes,

Now 'various schemes' means all sort of schemes that are taken by the Panchayat Samities, where as in the Bill the clause runs as under:—

"(viiia) advise the State Government on all matters relating to the implementation within the district of the various schemes under the Five Year Plans;

That means that their advising capacity has been confined only in relation to the schemes under the Five Year Plan, whereas in the report the Committee has desired that they should advise on all sorts, of schemes, may be even outside the Five Year plan.

Then in clause 59, the Committee has recommended that the Collector should assist the Panchayat Samiti in recovering their loans which they have advanced to people, but in the Bill it has been written that the Collector should assist the Panchayat Samiti in collecting dues whether as

(श्री पी० के० चौधरी)

tax or on account of loans. So the two are contradictory. The report never says that the Collector should also help in coltecting taxes etc.

श्री उपाध्यक्ष : What do you want after all ?

श्री पी० के० चौधरी : I want this that somebody should take the trouble of comparing what is in the report and what is in the amended Bill. Whether all the things suggested in the report have been incorporated in the Bill. If it has not been done, it should be done and then we should go ahead.

श्री बृजमोहनलाल शर्मा (ब्यावर) : Sir, at this juncture what is before the House is that the Bill as reported by the Select Committee. My submission is that we are not considering the Bill clause by clause at this stage. The argument of my learned friend will prevail only when the Bill is taken up clause by clause. So the point of order raised is out of order. If there is any discrepancy between the report and the Bill, that can be taken into consideration at the appropriate time.

श्री उपाध्यक्ष : I have followed your line of argument.

श्री बृजमोहनलाल शर्मा : Thank you Sir.

श्री पी. के. चौधरी : The Hon'ble Minister says that there are many things in the Bill which are not in the report.

श्री दामोदरलाल व्यास : माननीय अध्यक्ष, मेरा अर्ज करना तो यह है कि यह जो माननीय सदस्यों ने एतराज उठाया है वह न तो अभी फिट होता है और न आइन्दा जब क्लॉज़ बाई क्लॉज़ लिया जावे उस समय फिट होता है। मैंने अर्ज किया कि सलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट इन टोटो इसमें नहीं आती इसमें तो समरी ही ली जाती है। जो मेजर डिसीजन थे वे सब इसमें आ गए हैं। जहां तक क्लॉज बाई क्लॉज लेकर अमेन्डमेन्ट किया है और क्लॉज बाई क्लॉज लिया है। इस बात पर मैं जोर से अर्ज करूंगा कि क्लॉज बाई क्लॉज पास किया है खाली बहस करके नहीं किया है। री-ड्राफ्ट अमेन्डमेंट पेश हुए हैं। इसकी लेंग्वेज, फॉर्म और मेटर को लेकर पास किया है इसलिए यह कहना कि this has not been made by the Select Committee. that is not correct. और अगर इसमें कोई किसी को शक हो तो आप चाहें तो जो मिनिट्स हैं, जिस तारीख को किसी को ऐतराज हो, मुलाहिज़ा कर सकते हैं। जिस क्लॉज पर माननीय सदस्यों को ऐतराज हो कि डिस्कशन नहीं हुआ है आप अपने आप और हाउस उस मिनिट्स को देखकर अपने आपको सेटिसफाई कर सकते हैं। लेंग्वेज वही है जो सलेक्ट कमेटी ने पास की। इसलिए यह कहना कि छोटी सी रिपोर्ट है। जो प्रोसीडिंग्ज १४–१५ सिटिंग्ज़ की थीं उनकी समरी है वह इसमें दर्ज है। इसलिए यह कहना है कि यह सलेक्ट कमेटी के डिसीजन से खिलाफ है, गलत है that will not be correct. For that purpose you will have to look into the minutes of the Select Committee

(श्री दामोदरलाल व्यास)

and that can be done at any time you like. और मेरे ख्याल से यह स्टेज तब आवेगी जब इसको क्लॉज बाई क्लॉज लेंगे। इसके अलावा मैं यह निवेदन करूंगा कि जो माननीय सदस्य इस पर एतराज करते हैं वे सलेक्ट कमेटी के सदस्य नहीं हैं। जो सलेक्ट कमेटी के सदस्य हैं उनसे पूछा जावे तो यह पता चलेगा कि सलेक्ट कमेटी ने किया है। आपको अगर शक है तो यह प्रिज्यूम नहीं किया जा सकता है कि सलेक्ट कमेटी ने नहीं किया, अगर शक है तो आपको मिनिट्स देखने का अधिकार है कि आया यह डिसीजन है या नहीं।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : जो माननीय सदस्य ने कहा है कि यह रिपोर्ट में साफ है, आप पेज ६ पर देखेंगे तो आपको मालूम होगा।

Clauses 6A. 8. 35A and 37. The Committee says." The Bill as it originally stands, enables one person to hold at the same time three offices The Committee desire that one person should not hold more than one office at the same time.

To give effect to this view of the Committee, clauses 8 and 37 have been amended and clauses 6 A and 35 A added,"

The intention of the Committee is very clear and now if we look to clause 8, sub-clause 4 (A), it is absolutely contradictory to the views of the Committee,

श्री दामोदरलाल व्यास : But it should not be forgotten, Sir, that sub-clauses 4 and 4A were also passed by the Select Committee and they took the report in to consideration Actually the Select Committee was of the opinion that as the offece of the Tehsil Panchayat may not last after 1960. therefore, it would not be necessary to have this provision.

श्री श्रीभानसिंह : How can this be ascertained ?

श्री दामोदरलाल व्यास : You can see the minutes.

श्री श्रीभानसिंह I am sorry I will not take the verbal words of the Hon'ble Minister. I will take only what is written in this report.

श्री बृजमोहनलाल शर्मा : There may be weight in the argument of my learned friend. But the question is whether the point of order raised by Hon'ble Member from Jaipur is proper or not.

At present we are discussing the principles of the Bill and this is not the proper time that we should raise an objection about the details of the Bill. So my submission is that the point of order should be declared out of order......

श्री श्रीभानसिंह : Because the Hon'ble Member is not conversant with the parliamentary procedure. This is the time when we can raise...

Page No.74

श्री उपाध्यक्ष : Well, I have followed the arguments of the Hon'ble Members.

The discrepancies so crept in the report which appear to be to some extent inconsistent with the minutes of the Select Committee are not material and place no handicaps in the consideration of the Bill and these can be very well taken up during the clause by clause consideration of the Bill. Moreover, may previous ruling has covered up the question of discrepancies in the amended Bill now circulated which throws enough light over the issue.

In conclusion I may repeat that these are not substantial errors. We accordingly proceed with the consideration of the Bill.

श्री पी. के. चौधरी : We will make one submission to the Chair. The minutes of the Select Committee should be sent for by the Hon'ble Deputy Speaker and he should make proper arrangements that they are properly checked up.

श्री उपाध्यक्ष : Yes, I will consider that issue,

श्री रघुवीरसिंह (राजगढ़) उपाध्यक्ष महोदय, वास्तव में माना जाता है कि प्रजातंत्र जनता में हो The power rests with the people. इस सिद्धान्त को हम मानकर चलते हैं। और उसी सिद्धान्त का हम प्रचार करते हैं लेकिन जब हम उसको अमल में लाते हैं तो उसके बिल्कुल विपरीत ही अमल करते हैं। इस समय हमारे सामने यह जो बिल विचारार्थ हैं इसमें यह कहा जाता है कि सत्ता का विकेन्द्रीकरण हो लेकिन किस रूप में हो, उसी रूप में हो जो एक नौकरशाही की सीढ़ियां अनादि काल से हमारे देश में चली आ रही हैं उसका हम पालन करते जा रहे हैं। पहले पटवारी और पटवारी पर तहसीलदार और उस पर कलेक्टर उसी तरह से हमने ग्राम पंचायत पर पंचायत समिति बैठा दी है और उस पर जिला परिषद् को बैठा दी है। अब मैं निवेदन करूँगा उपाध्यक्ष महोदय, कि सारी सत्ता जब जनता में निहित है तो जो जनता के सबसे नजदीक है वह ग्राम पंचायत ही है। मैं इस दिशा में यह सोचता था कि हमारी विकेन्द्रीकरण का सबसे बड़ा स्तर तो ग्राम पंचायत ही होनी चाहिए थी न कि जिला परिषदों को पंचायतों के ऊपर बैठाते। पंचायतों पर किसी दूसरे का कन्ट्रोल हो, मैं समझता हूं कि यह जनतन्त्र के मौलिक सिद्धान्तों के विपरीत है। पंचायतों को स्वावलम्बी होने देना चाहिए। जो कहावत है The power rests with the people उसके बिल्कुल विपरीत जाता है और खिलाफ पड़ता है। जिस समय मैं इस बिल के प्रावधानों को देखता हूं तो मुझे ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है कि हमारी ग्रामीण जनता की खुद की योग्यता उसकी कार्य-कुशलता में हमको संदेह है। हम यह समझते हैं कि हम उनको अधिकार दें दूसरी तरफ हम यह सोचते हैं और हमें संकोच होता है कि कहीं ऐसा न हो जावे कि किसी प्रकार का घोटाला हो जावे। ग्रामीण लोग समझते नहीं हैं इसलिए उनके लिए चैक लगाना चाहिए। हम यह चाहते हैं कि घोड़ा टाटी

Page No.75

(श्री रघुवीरसिंह)

के ऊपर से कूद जावे या पहाड़ी को फांद जावे लेकिन साथ के साथ ही यह भी डर लगता है कि कहीं सवार गिर न पड़े। नतीजा यह होता है कि कूदते हुए घोड़े की लगाम खींची जावे तो मैं यह कहूंगा कि वह घोड़ा कहीं खाई में न गिर जावे। वही चीज हम इसमें करते हैं। एक तरफ तो हम यह चाहते हैं कि हमारी ग्रामीण जनता में आत्म विश्वास आवे वे अपना काम घर का काम समझ कर हाथ में लें जिस प्रकार एक मनुष्य यह समझता है कि घर के हानि लाभ का मैं जिम्मेवार हूं, मैं कोई भी काम ऐसा कर सकता हूं जिसमें मुझे करने का पूरा अधिकार है चाहे उसमें हानि हो या लाभ हो। अगर हानि और लाभ होता है तो मैं उसको भोगता हूं। वही भावना ग्रामीण डवेलपमेंट में हो।

लेकिन साथ ही हम यह भी सोचते हैं कि कहीं वह गलती न कर बैठे, कहीं वह घोटाला न कर बैठे। हमारे मन में है कि हम उसको पूरी सत्ता देना नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि जगह जगह पर उसको बांध दिया जाय। कहीं हम एडमिनिस्ट्रेटिव एडवाइज़र उसके साथ अपोइन्ट करते हैं, जिस तरह से पहले माइनोरिटी की हालत में राजाओं के एडवाइजर्स या पोलिटिकल एजेन्ट्स होते थे उसी तरह से हम चाहते हैं कि ग्रामीण जनता भी इन अधिकारों को पूर्णतया काम में लेने के लिए उपयुक्त नहीं है, इसलिए इस विधेयक में यह प्रावधान रखा है कि पंचायत समितियों में दो नागरिक, एडवाइजर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव अनुभव रखने वाले होने चाहिये विशेष योग्यता वाले होने चाहिये, और उनको लाया जा सकता है, उनको कोऑप्ट किया जा सकता है, कोऑप्ट होने के बाद वे उसके प्रधान भी हो सकते हैं और जो चुने हुए नुमाइन्दे हैं, जिम्मेवार हैं पंचायतों के प्रति उनमें इससे आत्म-विश्वास का अभाव होना स्वाभाविक है। क्यों होगा ? एक बार उनके मन में विचार हो गया कि हम से योग्यतर व्यक्ति को हमारे सामने बैठाना चाहते हैं क्योंकि हम योग्य नहीं है, इसीलिए हम से योग्यतर व्यक्तियों को हमारे सिर पर बिठाना चाहते हैं तो उनके हृदय में एक इन्फिरियोरिटी काम्प्लेक्स काम करेगा। वे हमेशा सशंकित रहेंगे कि उनसे कहीं गलती न हो जाय। इससे उनका कोई काम करने का हौसिला नहीं बढ़ेगा। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करूं कि तरह तरह के एडमिनिस्ट्रेटिव एडवाइजर्स वहां उनमें बैठाने की सोचते हैं उसका केवल यही कारण है कि आज हम ग्रामीण जनता की बुद्धि या क्रियाशीलता में विश्वास नहीं रखते हैं। हम सोचते हैं कि वे काम न कर सकें, गलत निर्णय ले लें, इसी चक्कर में, उधेड़बुन में हमने जगह जगह पर उन पर चैक लगाये हैं। एक तरफ हमने अपने राजस्थान में यह निश्चय किया है कि विकेन्द्रीकरण पंचायत समिति, ब्लॉक लेवल पर हो। डवेलपमेन्ट के जो ब्लॉक्स हैं वे ही विकेन्द्रीकरण के यूनिट बनें, यह हमने तय किया है। जब हमने यह तय कर लिया कि वह हमारी यूनिट है विकेन्द्रीकरण की, विकेन्द्रीकरण की सारी सत्ता उनमें होगी फिर मेरी समझ में यह नहीं आता कि राजस्थान गवर्नमेन्ट यह प्रेस्काइब करेगी कि उस ब्लॉक में इतने टीचर्स हों, इतनी पोस्ट ग्राम सेवकों की होंगी, इतनी उनकी तनख्वाह होगी ? उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो यह कहता हूँ

(श्री रघुबीरसिंह)

कि यह तो उसी तरह से हुआ कि एक आदमी से कह दिया कि घरबार तो तेरा लेकिन उसके हाथ में ताला कूंची नहीं। हमारे यहां कहावत है कि घर बार तेरा ताला कूंची हाथ में नहीं। वह क्या करेगा? घरबार में झाड़ू देगा। वैसे ही अधिकार इन पंचायत समितियों को देना चाहते हैं। हम हर जगह कहते हैं कि or prescribed by the Government गवर्नमेंट यह तय करेगी कि अमुक ब्लॉक में इतने ग्राम सेवक होंगे, इतने एक्सटेन्शन ऑफिसर्स होंगे, गवर्नमेंट यह तय करेगी कि अमुक बालक हैं इतने टीचर्स होंगे गवर्नमेंट यह तय करेगी कि अमुक ब्लॉक में अमुक औषधालय होंगे, उनमें इतना स्टाफ होगा, इतनी दवाई होगी। फिर ब्लॉक समितियां तहसील समितियां जो है उनके पास क्या काम रह जावेगा? उसका काम यह रहेगा कि वह यह देखती रहे कि टीचर स्कूल में समय पर पहुँचता है या नहीं, कितने लड़के वहां पढ़ रहे हैं, लड़के वहां हैं या नहीं या कम हैं या ज्यादा। इसके सिवाय उनके पास क्या काम रह जाता है। इतना भी सरकार पंचायत समितियों का विश्वास नहीं करना चाहती है उसकी छाती पर मूंग दलने के लिए उसने और जिला परिषदें बैठा दी हैं। वही मैं फिर निवेदन करता हूँ कि पटवारी पर तहसीलदार, तहसीलदार पर कलेक्टर। वही उल्टा रास्ता है वह यह मानकर चलती है कि प्रभुसत्ता कहीं ऊपर है। हम यह मान कर चलते हैं कि प्रभुसत्ता ग्रामों में है। हम यह मान कर चलते हैं कि सोवेरेनटी एक पीपुल में है। फिर समझ में नहीं बैठता है कि ग्राम पंचायतों पर पंचायत समितियां और पंचायत समितियों पर जिला परिषदें और उनके पर और फिर बैठाते ही क्यों चले जांय? जो हमारी सत्ता का स्रोत है उसके ऊपर नीचे एक टायर, दूसरा टायर और फिर तीसरा टायर, उससे उसको दबाते चले जा रहे हैं। मैं यह निवेदन करूंगा कि यह उल्टा रास्ता है मेरे निवेदन करने का मतलब यह है कि हमारा अल्टीमेट गोल तो सारी सत्ता ग्राम पंचायतों को सौंपने में होना चाहिये। बलवन्तराय मेहता कमेटी की रिपोर्ट है वह भी यह विस्युलाइज़ करती है कि अन्तोगत्वा ग्राम पंचायतें वे हमारे एक विकेन्द्रीकरण की यूनिट होंगी, सत्ता का स्रोत होगा वे लोग यह समझें कि यह हमारी चीज़ है, अपने तौर तरीके पर उन्नत करें, हम चाहे सो कर सकते हैं यह भावना उनमें स्थापित करनी चाहिये और इसी भावना के कारण सारा उथलपुथल किया है। वर्ना तो अभी तक भी पंचायतें, ब्लॉक डवेलपमेन्ट ऑफिसर्स और भिन्न भिन्न प्रकार के स्पेशियेलिस्ट और एक्सपर्टस हैं। और वे काम चला रहे हैं। तहसील पंचायतें भी हैं। ये फेलियोर साबित हुई हैं। इनके द्वारा डवेलपमेन्ट के काम में जनता में उत्साह पैदा नहीं हुआ। ग्रामीण के मन में यह भावना उत्पन्न नहीं हुई है कि यह जो डवेलपमेन्ट का काम हैं वह मेरा काम है, मेरा उतना ही इसमें भाग है जितना की गवर्नमेंट सर्वेन्ट का है, बल्कि वह तो गवर्नमेंट सर्वेन्ट है उसके लिए उसको इतनी चिन्ता नहीं हो सकती जितनी कि मेरे को होना चाहिये जितना इससे मेरा हित है उतना गवर्नमेंट सर्वेन्ट का नहीं हो सकता। गवर्नमेंट सर्वेन्ट का तो सम्बन्ध एक साल रहा, दो साल रहा, पांच साल रहा। लेकिन ग्रामीणों की बपौती है पुश्तैनी सम्बन्ध है और चला गया है और आइन्दा भी पुश्तैनी सम्बन्ध चलता जावेगा। वह यह मान कर चलता हैं कि यह मेरी चीज है जोकि ब्लॉक डवेलपमेंट के कामों में उन लोगों में भावना जग्रत नहीं कर सके।

(श्री रघुवीरसिंह)

इसलिए यह सारी डेमोक्रेटिक डीसेन्ट्रलाइजेशन की चर्चा चली है, नयी विचार धारा उत्पन्न हुई है उसका मूल कारण ही यही है कि गवर्नमेंट ने सात साल पहले, पांच साल प्रथम पंच वर्षीय योजना के, और दो ढाई वर्ष द्वितीय योजना के, योजना बनाई और इन सात सालों में यह अनुभव किया कि जो कुछ पैसा विकास के कार्यों पर खर्च किया गया है, जिस लक्ष्य को लेकर ब्लॉक डवेलपमेन्ट्स खोले गये हैं वे असफल हुए हैं, पूरे नहीं हो रहे हैं। अरबों रुपया इनमें बहाया गया वह वेस्ट हुआ। इस अनुभव को ध्यान में रखते हुए यह नया ढांचा बनाया जा रहा है, नई योजना तैयार हो रही है जब नई योजना तैयार हो रही है तो नई बातें सोच कर चलें, कि उस ग्रामीण जनता में भावना पैदा करें कि जो काम हैं वे मेरे गांव में मेरी चीज होगी, उनसे मेरे बाल बच्चों का उद्धार होगा आइन्दा बाल बच्चे सोचेंगे कि अमुक बुजुर्ग ने डवेलपमेन्ट के काम में भाग लया था और उसके कारणइ स गांव का ऐसा सुन्दर रूप बन गया। इससेग्राम मेंयह बेहबूदी आ रही है यह जानना हर ग्रामीण का फर्ज है यह बात उसके दिल में घर करे इसकी आवश्यकता थी। इस आशा पर इस बिल द्वारा सर्वशा पानी फिर गया है।

ग्राम पंचायतों की इस वक्त भी सबसे नीचे दबाकर उन पर इतना बोझ डाल दिया है कि ग्राम पंचायतें यह कभी भी अनुभव नहीं करेंगी कि उनका भी इसमें किस प्रकार का हाथ है। पंचायत समितियां और जिला परिषदों के गठन में। जो कुछ पैसा लेना देना है वह सरकार देगी। और टैक्स वसूल पंचायत समितियां करेंगी। पंचायतें क्यों करेंगी? यह तो ऐसा हुआ कि ताला कूंची तो आपने अपने पास में रखी और सारा घर उनको सौंप दिया।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन करना यह है कि मैं निश्चित रूप से यह मानकर चलता हूं जिला परिषदों का जो प्रावधान है, इसका चेप्टर जो है, वह बिल्कुल अवांछनीय है इसका प्रावधान बिल्कुल हटा देना चाहिए इसकी कतई जरूरत नहीं है। टीक है आपने यह तय किया कि आरम्भ में इतने अधिकार नहीं दे सकते छोटे यूनिट हैं उनको एक्सपर्टस की राय मिले पैसे धैले के बारे में उनके पास वेज और मीन्स इतने अच्छे नहीं होंगे जिससे पूरा ढांचा बैठा सकें। पंचायत समिति को जहां आपने यूनिट बना लिया पंचायत समिति का और जिला परिषद् का भी आपने तूफान रचा यह चीज ऐसी है जो जबर्दस्ती नहीं चाहते हुए भी मान न मान मैं तेरा मेहमान का सा काम आपने किया है। पंचायत समिति की जरूरत को ही हम नहीं समझते इसमें जो कोऑप्शन का प्रोविजन आपने रखा है अच्छी सलाह देने के लिए, सही रास्ते पर लाने के लिए आप जिला परिषदें कायम करते हैं। मैंने इस बारे में पंचों और सरपंचों की सेमीनार्स में बातचीत की और उनसे पूछने पर इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि लोगों का निश्चित ख्याल है कि जिला परिषदों के कारण हमारे काम में रोड़े अटकेंगे, दलबन्दी पैदा होगी और जिस लक्ष्य को हम प्राप्त करने जा रहे हैं उसमें इससे बाधा पैदा होगी। आप जिस सफलता की उम्मीद इन जिला परिषदों से कर बैठे हैं मैं समझता हूं उससे कहीं अधिक असफलता का सामना आपको न करना पड़े।

(श्री रघुवीरसिंह)

२. ४२ म० प०

(श्री आबिदअली, सभापति, पदासीन)

इसलिए सभापति महोदय, मैं निवेदन करूं कि आप जिला परिषदें कायम कर जनता की भावना की रेसपेक्ट नहीं करते हैं, पंचों की भावना की रेस्पेक्ट नहीं करते हैं। पंचों का स्तर ऊंचा उठे, ग्राम पंचायतों के पंच यह अनुभव करें कि उनका भी इस सत्ता में अधिकार है उनमें भी सत्ता निहित है इसलिए मेरा तो यह निवेदन कि जिला परिषदों का सर्वनाश कर दिया जाय इसकी कोई आवश्यता नहीं है। इसके जो अधिकार हैं वे पंचायत लेवल पर डीसेन्ट्रेलाइज कर दें तो बहुत अच्छा हो। इस चीज का अनुभव कीजिए एक्सपेरिमेन्ट कीजिए और यह आशा कीजिए कि आने वाली पंच वर्षीय योजना में विकेन्द्रीकरण का स्तर हमारा ग्राम पंचायतें हो जायें।

इसके अलावा सभापति महोदय, सबसे बड़ी बात जो मैंने इस बिल में देखी मैं यह अनुभव करता हूं कि इस बारे में जो लोगों में उत्साह होगा एन्थुजिआज्म होगा जो लोग यह समझते थे हमें कुछ मिल रहा है हम अपने मामलों में विचार कर सकेंगे इस प्रकार की जो भी भावना थी वह जब इस बिल में दी हुई टैक्सेज की लम्बी लिस्ट को देखते हैं तो उन पर एक दम ठंडा पानी पड़ जाता है। आज जब कि लोग टैक्सेज के भार से पहले ही मरे जा रहे हैं नए टैक्स और लगा रहे हैं यह कहां का विकास हुआ। डवेलपमेन्ट के पीछे आप टैक्स की बात करते तो फिर भी ठीक था। परकेपिटा इन्कम बढ़ती तो टैक्स देने में किसी को संकोच नहीं होता। लेकिन इसमें पहले आप टैक्सेज लगाने जा रहे हैं उसके बाद आप कहते हैं कि टैक्सेज आज लग रहे हैं और उसका लाभ आइन्दा पंचवर्षीय योजना में पहुंचेगा। मैं निवेदन करूंगा इससे लोगों में उत्साह पैदा नहीं होगा इसमे नतीजा यह होगा कि जो पंचायत समितियां हैं वे अनपोपुलर हो जायगी। उनके प्रति लोगों में श्रद्धा नहीं रहेगी लोग समझेंगे पंचायतें क्या हैं इट इज टैक्स कलेक्शन बोडी। आप उनसे यह आशा कर सकते हैं कि वे डवेलपमेन्ट करें और जनता का विश्वास प्राप्त करें और जनता में नई चेतना पैदा करें उससे पहले आप उनको काम सौंपेंगे कि जनता पर टैक्स लगाइए। टैक्सेज की बात आपको पीछे करनी थी। विकास की पहले तस्वीर बनाते उसके बाद आप देखते फलां फलां काम बाकी रह गया है गांव वाले खुद जब अनुभव करते तो उस समय टैक्सेज को जरूरत है उस समय वे खुशी से टैक्स देते। आज आपने अभी तक वह तस्वीर पैदा नहीं की लोगों को यह पता है कि आपकी पंचवर्षीय योजनायें सफल रही हैं दो टारगेट्स आप इन योजनाओं द्वारा प्राप्त करना चाहते थे एक तो अन्न के बारे में स्वावलम्बी और दूसरा बेरोजगारी को दूर करना। ये दोनों टार्गेट्स आप एचीव नहीं कर पाए। बेरोजगारी को जहां दूर करना था वहां आज भी वह महादानव की तरह मुँह फैलाए खड़ी है। इस पर यह कहना कि हमने टार्गेट्स एचीव कर लिए हैं, मेरा यह निवेदन है कि इसमें हमारी सरकार अटर फेल्योअर रही है इसके बाद भी हर व्यक्ति पर टैक्स का भार बढ़ाते हैं तो वी आर इन्वाइटिंग सम ट्रबल्स फोर दिस, इसलिए निवेदन करूंगा इन तीन बातों पर जरूर विचार करना चाहिए। पहला तो जिला परिषदों का खातमा और दूसरा जो कोऑप्शन का प्रावधान है उसको भी हटा दिया जाना चाहिए। अगर किसी की सलाह की

(श्री रघुवीरसिंह)

जरूरत है तो वह फीस देकर भी सलाह हासिल कर सकते हैं। यह तो जो आप सलाहकार के रूप में रखेंगे होगा यह कि आये तो मांगने को गले बान्ध गये बन्धेजा इस प्रकार की नियुक्ति करने से दलबन्दी पैदा होगी इसलिये कोऑप्शन-वाली जो बात है वह बिल्कुल उठा देनी चाहिये। इसके अलावा टैक्सेजवाला जो चेप्टर है वह भी समाप्त कर दिया जाना चाहिए। यही मेरा निवेदन है।

राव श्री नारायणसिंह (मसूदा) : माननीय सभापति महोदय, पंचायत समिति तथा जिला परिषद् के गठन का जो बिल प्रवर समिति द्वारा प्रस्तुत किया गया है उसे हम आज पास करने जा रहे हैं इससे वास्तव में प्रजातंत्रीय विकास में विकेन्द्रीकरण के रूप में हम एक महत्वपूर्ण और क्रान्तिकारी कदम उठाने वाले हैं और इस विषय में मैं तो यह कहूँगा The Demos is likely to feel the Democraoy effectively and consciously working down at the lowest ladder" यह एक फ़ेज है प्रजातंत्र की जागृति और क्रान्ति के लिए जो एक प्रकार की कार्यवाही है उसका अनुभव ठेट नीचे तक कर सके। शंकायें ऐसे अवसर पर माननीय सदस्यों को हो सकती हैं। इस बिल के पास होने से शायद जनमानस इसके लिये इतना तैयार न हो जो इस बिल द्वारा हम दायित्व देने जा रहे हैं उसको अच्छी तरह निभा सके। इस बिल द्वारा जन साधारण में हम रेसपोन्सिबल लीडरशिप कायम करने वाले हैं, उसमें समर्थ होंगे अथवा नहीं। यह शंका यदि हम करके सोचें तो शायद हम कई प्रजातंत्रीय व्यवस्थाओं को दूर हटाने की कोशिश करेंगे, उनको स्थगित करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आज जनमानस जनतंत्र का प्रत्यक्ष व्यवहार हर स्तर पर देखना चाहता है, उसके लिए उतावला है और हमें यह भूलकर भी कदम नहीं उठाना होगा कि वह उसके लिए तैयार है या नहीं। उसको भी दें या नहीं, यह बात दूसरी है कि हम उसके ऊपर कितना भार किस समय लादें और उसको धीरे धीरे किस प्रकार से बढ़ायें। लेकिन आज जनमानस के उतावलेपन को दूरनजर नहीं कर सकते। आज जो हमारे सामने बिल है इसकी खास मन्शा तो बलवंतराम मेहता की कमेटी की रिपोर्ट ने व्यक्त कर दी है कि हमारे जितने विकासीय कार्य चल रहे हैं वे इस प्रकार से चल रहे हैं कि जैसे ऊपर से धक्का लगी हुई धारा अथवा गाड़ी चल रही हो। हम आज जनता के अन्दर जागरूकता पैदा करना चाहते हैं, उसका विकास करने के लिए एक जागरूक परिणाम खड़ा करना चाहते हैं। आज जिस पद्धति से हम चल रहे हैं उसके बारे में हमारा अनुभव है कि हमने विभिन्न प्रकार की असेसमेन्ट रिपोर्ट हैं डवेलपमेंट की वह कह रही हैं कि जनता कुछ ऐसी हालत में जरूर है कि जिसे स्पून फीडिंग की जरूरत पड़े। एक सामन्तशाही अथवा साम्राज्यशाही राज्य भले ही उस स्पून फीडिंग में विश्वास करे। एक प्रकार की उदार राज्य सत्ता कायम करने के लिए इस प्रकार की प्रगति का काम कर दे कि जिससे ऊपर से ही धक्का मिलने से काम चलता है। लेकिन आवश्यकता इस बात की है कि हम गाँवों रेसपोन्सिबल लीडरशिप पैदा कर दें और वह तभी कर सकते हैं जब कि इस प्रकार का कदम उठायेंगे। उसमें रोड़े आयेंगे, हम

(राव श्री नारायणसिंह)

नये रास्ते पर अपनी गाड़ी ले जायेंगे तो चलने में अटकाव आयेंगे और ठोकरें आयेंगी लेकिन उस अटकाव से डर कर ऐसे सिद्धान्त को आगे बढ़ाने में हम कदम पीछे नहीं हटायेंगे। जो जिला परिषद् और पंचायत समिति का बिल हमारे सामने है उसका मूल आधार है बलवंतराय मेहता कमेटी की रिपोर्ट और वास्तव में एक फैडरल स्ट्रक्चर से उसकी प्रेरणा कह सकते हैं। जब मैंने उसकी प्रेरणा फैडरल स्ट्रक्चर से लेना शुरू किया तो मुझे ताज्जुब होने लगा कि सरपंच किस प्रकार से स्वतः पंचायत समिति में चला जाये और वहां चला ही न जाये बल्कि प्रधान बनने का भी हक रखे और वही ऊपर जिला परिषद् में पहुंच कर अध्यक्ष बनने का प्रयत्न करें, यह दोहरी सत्ता एक विचित्र सी जमती है और मैं यह सोचता था कि यह तो फैडरल स्ट्रक्चर में नई पद्धति पैदा हो रही है जैसे न्यूयार्क का गवर्नर अमेरिका का प्रेसीडेन्ट बन जाये। इन भावों को मैंने व्यक्त किया। यद्यपि मैं प्रवर समिति में नहीं था, मैंने अपने माननीय कई मित्रों से और आदरणीय व्यक्तियों को यह भाव व्यक्त किये और मैं यह देखकर खुश हूँ कि इस अटकाव को तो दूर कर दिया गया है। अब यह दूसरी बात है कि केवल सरपंच ही क्यों ऊपर जायं, पंचायत समिति के के लिए क्यों नहीं पंचायत समिति स्वयं एक इलेक्टोरल कालेज बनाये। एक किसी व्यक्ति को नोमीनेट करके भेज दे। जिस प्रकार से एक कौंसिल आफ स्टेट की पद्धति है और वह इन्डाइरेक्ट फॉर्म ऑफ इलेक्शन की है। हम कुछ कुछ जिला परिषद् और पंचायत समिति के बिल को पास करके एक इन्डाइरेक्ट इलेक्शन की पद्धति का प्रयोग करें। यह दोनों पद्धतियां हम जो प्रजातंत्रीय व्यवस्थायें बनाते हैं उसमें प्रयोग में आई हैं और कम्युनिस्ट राज्य में तो यह इनडाइरेक्ट इलेक्शन की पद्धति काम में आई हुई है। आज हम सोशियेलिस्टिक स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं और डेमोक्रेसी के आधार पर बनाना चाहते हैं। जैसे डेमोक्रेसी को सुरक्षित रखने के लिए हमने एक कॉन्स्टीट्यूशन दिया जिसमें जन साधारण के स्वतन्त्र आदि का ध्यान रखा, इन्डीविजुअल लिबर्टी और फ्रीडम का ध्यान रखा उसके साथ ही साथ एक सामाजिक व्यवहार को प्रधानता देना चाहते हैं। ऐसी परिस्थिति में मैं कहूँगा कि यह बिल एक बड़ा भारी कदम होगा कि जहां हम इन्डाइरेक्ट पद्धति के इलेक्शन की आजमाइश करना चाहते हैं। मैं तो यह भी कहूंगा कि आगे आने वाली पीढ़ी बलवंतराय मेहता को एक नये प्रजातंत्र का प्रवर्तक कहेगी। यह शायद आज हम महसूस न कर सकें लेकिन आगे आने वाली पीढ़ी इस चीज को बड़ी भारी चीज बतायेगी कि बलवंतराय मेहता को चाहे जाना या नहीं जाना मगर एक बहुत बड़ी पद्धति पैदा कर दी जो कि बड़ी भारी क्रान्ति लाने वाली है जिससे प्रजातंत्र जड़ तक पहुंचेगा। खेत में काम करने वाले और सड़क पर काम करने वाले जो लोग हैं उनको भी प्रजातंत्र का मजा आ सकेगा। तो आज जो हमारे सामने जिला परिषद् की पद्धति है उसको हम केवल फैडरल स्ट्रक्चर से ही प्रेरित होकर उनको जांचे तो शायद हम पूरे नहीं उतरें। यह वास्तव में कोआर्डीनेशन एक समन्वयन डेवलपमेन्ट के

(राव श्री नारायणसिंह)

कार्य में और दूसरे कार्यों में लाता है और न केवल डवलपमेन्ट कार्यों में और दूसरे कार्यों में समन्वय लेकर ही यह खत्म हो जायेगा यह बड़ा भारी सारे ही प्रजातंत्र के पहलुओं में एक क्रान्ति करना चाहता है कि ब्यूरोक्रेसी के भ्रष्टाचार आदि से हम इस पद्धति द्वारा रिहाई पा सकते हैं। तो इस दृष्टि से मैं समझता हूं कि आज इसमें अगर कोई सरपंच पंचायत समिति का मेम्बर बनता है तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है और उसी प्रकार से प्रधान यदि जिला परिषद् का मेम्बर बनता तो उसमें कोई आपत्ति नहीं हैं। अब इसमें जो नये संशोधन हमारी प्रवर समिति ने किये वे बिल्कुल उचित हैं कि क्लॉज ३५. ए में प्रमुख के लिए और क्लॉज ८.४ (ए) में प्रधान के लिए जो कुछ उन्होंने बताया उसके मुताबिक मैं समझता हूँ कि यह स्थिति को सुधारने के लिए है। वह एडीशनल मेम्बर बन जायेगा और उस सत्ता को दोहरापन भी नहीं होगा कि वही अपनी ही कार्यवाही के जांच करने वाले जज बन जायें, इससे भली भांति सुरक्षा हो जाती है। इसलिए मेरी जो मौलिक शंका थी वह इससे स्वतः साफ हो जाती है लेकिन जबकि पंचायत समिति के मेम्बर का सवाल आता है वहां पर एक बात विचारणीय रह जाती है कि हम इस पद्धति में कोआर-कुछ डीनेशन पर ज्यादा जोर देना चाहते हैं तो अगर हम वहां से जो उस ब्लाक एरिया के क्षेत्र में से जो हमारा विधान सभा का प्रतिनिधि जाता है उसको बिलकुल अलग कर देते हैं तो शायद उस समन्वयन में कुछ फर्क आ सकता है। हमें यह विचारना होगा कि हम विधान सभा के सदस्य को भी वहां बैठने का हक दें या नहीं दें। मैं बैठने का हक इसलिए कहता हूँ, मैं राय जाहिर करने का हक इसलिए कहता हूँ कि फिर भी आप उसको वोट से अलग रखना चाहते हैं। वह चाहे पंचायत समिति में वोट न दें उसको वोट देने का अधिकार न हो किन्तु जिस प्रकार से आज भी उसी समन्वयन दृष्टि से आज ब्लाक एडवाइजरीज हैं उनमें एम० एल० ए० को रखा है तो वह इसी दृष्टि से रखा था कि वह समन्वयन उस क्षेत्र में ला सके।

३ म० प०

अब वहां की मांग को ऊपर तक ले जा सकते हैं। तो अब उसी दृष्टि से यह सोचते हैं कि अगर उनको इन समितियों से बिल्कुल अलग रख दिया जाता है तो क्या परिस्थिति बनेगी? आखिरकार जनता ने ५ वर्ष का अपने प्रतिनिधित्व का एक प्रकार यदि मैं कहूँ कि ठेका दिया तो उस ठेके का परिपालन वे अलग रहकर कर सकते हैं या नहीं? यह हम को सोचना पड़ेगा। और यदि हमें इसका संतोष है कि एम० एल० ए० रहना चाहिए और वह एक आब्जर्बर की तरह ही रहे, अपनी राय व्यक्त करने के लिए ही रहे लेकिन उसको इस स्तर पर रखना आवश्यक है। कुछ मेम्बर्स, कुछ माननीय सदस्य यह तकरीर दे सकते हैं कि ज़िला परिषद् में एम० एल० ए० और एम० पी० आ जाते हैं तो उससे मकसद पूरा हो जाता है। ज़िला स्तर पर आकर स्थानिक कार्य का महत्व नहीं रहता है। अगर एम० एल० ए० उस स्थान पर होता है तो वहां पर मैं उसकी उपस्थिति जरूरी समझता हूँ।

ज़िला परिषद् को अलग से भी हमें जो बलवन्तराय मेहता कमेटी की रिपोर्ट है और

(राव श्री नारायणसिंह)

जो दूसरी विचारधाराएं हैं उनसे देखना है। जिला परिषद् केवल एक योजना बनाती है पंचायत समिति और असेम्बली के बीच में और शायद ऐसा मौका आये कि जिला परिषद् को बिल्कुल हटा दिया जाय। यह भी एक विचारधारा है। मैं केवल उस विचारधारा का रेफरेन्स दे रहा हूँ। लेकिन इस विचारधारा के साथ में मैं तो यह चाहता हूँ कि यह जो इन्डाइरेक्ट पद्धति पर एक प्रजातन्त्रीय व्यवस्था का प्रयोग है वह बाकायदा बना रहे इसी प्रकार और जिला परिषद् को एक दिन वह अधिकार हो कि जिला परिषद् से असेम्बली के मेम्बर्स और पार्लियामेंट के मेम्बर्स भी चुने जा सकें। तो वह बात तो रही दूसरी लेकिन अब मैं खास तौर से अर्ज करना चाहता हूँ कि एम० एल०एज० का स्थान पंचायत समिति में किसी प्रकार से भी रहना आवश्यक है।

इसके अलावा मैं अब टेक्सेशन के विषय पर आता हूँ। हम टेक्सेशन के अधिकार कई संस्थाओं को, कई नीचे की व्यवस्था को देते हैं। देना भी चाहिये और टेक्सेशन कान्शसनेस जब तक हम पब्लिक में नहीं बना सकते हैं, हम उसको उसकी असलियत जो है उससे परिचित नहीं कराते हैं। हमें वहां पर कन्ट्रीब्यूशन कान्शसनेस को पब्लिक में पैदा करना है, और उनको अपने पर टैक्स लगाकर सीधा अनुभव करना चाहिये कि हम प्लान के लिए, विकास के लिए, किस प्रकार से अपने हाथ से खर्च करें और और किस प्रकार से दें।

अब टेक्सेशन किस प्रकार का हो? कितने लेवल पर हो? किन व्यक्तियों पर कितना भार पड़ता है? यह बात है। और जो टैक्स लगाने वाली संस्था है वह उसके लिए कितनी तैयार है, उसको देखने की आवश्यकता पड़ती है। वास्तव में जो टेक्सेशन का अधिकार है वह बड़े महत्व का है, और इस प्रकार से चुनने वाली जनता जिन असेम्बली मेम्बर्स को और पार्लियामेंट के मेम्बर्स को चुनकर भेजती है, मैन्डेट एक प्रकार का देती है कि तुम हमारी जेब में हाथ डाल सकते हो अगर हमारे विकास के लिए हाथ डालने की आवश्यकता हो तो, वह एक महत्वपूर्ण मेन्डेट होता है। उस मेन्डेट को लेकर यदि हम यहां आते हैं तो उसके महत्व को समझते हुए टेक्सेशन के पॉवर्स का विकेन्द्रीकरण होना चाहिए। अब जो मैं इस कानून में देखता हूं तो वहां पर पंचायत समिति को कुछ टेक्सेशन के पॉवर्स दिये हैं, और कुछ पंचायत एक्ट में पंचायतों को पॉवर्स हैं। अब इन पॉवर्स के अलावा जिला परिषद् के पास कोई टेक्सेशन के पॉवर्स नहीं हैं। मैं यह अर्ज करना चाहता हूं और जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं कि टेक्स लगाने वाली जो भी संस्था है उसके कम्पीटेन्स को हमें देखना चाहिए, और उस कम्पीटेन्स के अनुसार हमें सीढ़ीवार टेक्स लगाने की शक्ति को बांटना है।

इस दृष्टि से देखते हैं तो पंचायत समिति को एक सरचार्ज ओन स्टाम्प ड्यूटी का इसमें है और कुछ और भी हैं इधर जिला परिषद् के पास केवल, मैं अगर कहूं तो, खैरात के रूप में है। ऊपर से कुछ कन्ट्रीब्यूशन आ जायगा अथवा नीचे से कन्ट्रीब्यूशन आ जायगा, अथवा डिस्ट्रिक्ट बोर्डस का जमापोथा मिल जाय तो सुखी रह सकते हैं, अपना कार्य कर सकते है। हमें जिला परिषद् को हवा में डोलता हुआ नहीं रखना है, फन्ड्स और फाइनेन्स की दृष्टि से। तो मैं

(राव श्री नारायणसिंह)

यह समझता हूँ कि आज इस प्रकार के टेकनिकल टेक्सेज हैं, जो इस प्रकार के टेक्सेज हैं जिनका ओवर हाल इकानोमी पर कम असर पड़ता है। क्या असर पड़ता है उसका ज्ञान जनसाधारण नहीं कर सके। तो उन टेक्सेज़ को हमें आज के लेवल पर लाना है। उसी दृष्टि में अर्ज करना चाहता हूँ। इस दूसरी दृष्टि से नहीं। टेक्सेशन की टेकनिकेलिटी के पश्चात् ज़िला परिषद् के स्वयं के कुछ ऐसे रिसोर्सेज़ हों जिनसे उनके पास फन्ड्स इकट्ठे हो सकें। तो इन दोनों दृष्टियों से सरचार्ज और स्टाम्प ड्यूटी और मेला कर से जो आमदनी है उनको लेने का अधिकार हमें जिला परिषद् को देना चाहिए। आज भी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के पास मेला लगवाने का और मेले का कर वसूल करने का अधिकार रहे। मैं जानता हूं कि अजमेर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को खास तौर से सबसे बड़ी आमदनी पुश्कर के मेले से है। इसी प्रकार से कई जिला बोर्ड होंगे जिनकी खास आमदनी मेला कर से हो। जैसे नागोर है जिनकी खास आमदनी मैले से हो सकती है। और उस आमदनी के स्रोत को बिल्कुल काटकर नहीं फेंक देना चाहिए। इसको हमें कायम रखना चाहिए। और जहां पर मैं यह बात कहता हूं मैं यहां पर यह भी कह दूँ कि इसके साथ साथ कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड जब खत्म हंगे इस कानून के पश्चात् होते ही हैं, तो उस समय जो उसके एसेट्स होंगे वे राजस्थान सरकार के पास जायेंगे। राज्य सरकार अब भी अपनी राय के मुताबिक वह बराबर वितरण सब जिला बोर्डों में करेगी। मैं तो यह समझता हूं कि जहां पर ज़िला बोर्ड पूर्व से हैं उनके जो ऐसेट्स एसे हों उनको ज़िला परिषद् को ट्रान्सफर कर दिये जाना चाहिए तो ज़िला परिषद् के पास एक जमापोथी भी आ जाती है विकास के लिए।

इसके अलावा दूसरे टेक्स के अन्दर क्लॉज़ २६ (२) है इसमें। उसके विषय पर मैं यह अर्ज करूंगा कि उसमें सलेक्ट कमेटी ने यह विचार किया है कि लैंड रेवेन्यू का भाग निर्धारित कर देना चाहिए। थोड़ा प्रेस्काइब्ड शब्द पर नहीं छोड़ना चाहिए। यह तो बिल्कुल उचित है। लेकिन मैं नोट ऑफ डिसेन्ट भी देखता हूं और जब बलवन्तराय मेहता कमेटी का भी ध्यान करता हूं तो ४० पर्सेन्ट तक लैंड रेवेन्यू ऐसी समितियों को देने की सिफारिश की है। अब जो पंचायत समितियों के ऊपर पूर्ण खर्चे का भार होगा, यानि उनके स्टाफ का जो भार होगा, उनका जो आवश्यक भार होगा, वह भार होगा जो सामान्य डेवलपमेंट से संयुक्त नहीं है वही इतना होगा कि उनके लिए खर्चा चलाना मुश्किल हो जायगा, और शायद राज्य सरकार को सबसिडी देने की नौबत आये तो २५ नये पैसे पर हैड ऑफ दी पापुलेशन ऑफ दी ब्लाक का यह जो हमने प्रोवीजन किया है उसको भी जांचना पड़ेगा, और शायद हमें १०० नये पैसे तक पहुंचना पड़े, ताकि उनकी आमदनी कुछ इतनी तो हो कि वे अपने पांव पर खड़े हो सकें।

इसके अलावा एक जिक्र आता है जहां कि कुछ परिस्थितियों में ६ नये पैसे की दर से कुछ टेक्स काश्तकारों पर लगायेंगी और उन काश्तकारों पर लगाने में मैं यह देखता हूं कि कुछ भाग सब-टिनेन्ट पर ही आकर पड़ता है। आज हम सब-टिनेन्ट को ज्यादा हक देना चाहते हैं। उनके लिए सब कुछ करना

(राव श्री नारायणसिंह)

चाहते हैं। सीलिंग लगाना चाहते हैं ताकि और भी टिनेन्ट आकर जमा हो सकें। यदि हम यह कर पद्धति रखते हैं और पंचायत समिति को अधिकार देते हैं कि उस तरह से उन्हीं के ऊपर भार पड़े, तो मैं समझता हूं कि उचित नहीं है। उसके अन्दर जो लैण्ड होल्डर है, जो स्लीपिंग लेण्ड होल्डर भी है। उस लैण्ड होल्डर पर भार पड़ता है। लेकिन खुदकाश्त कर रहा है और जमीन नहीं होते हुए भी लेण्ड होल्डर के आधीन काश्त कर रहा है तो ६ नये पैसे का भार क्यों हो? दूसरी बात यह भी सोचता हूं कि इस प्रोवीजन को रखने का कोई आगे मतलब नहीं रहेगा। जब हम सीलिंग में, जब हम इतने संशोधन लैण्ड लॉज में कर रहे हैं कि जिससे सबटिनेन्ट का कोई सवाल ही नहीं हो, तो यह एक चीज बिल्कुल फिजूल भी हो सकती है, और जनतान्त्रिक दृष्टि से भी यह ठीक नहीं जंचता है।

अब टैक्सेशन के बाद इकानॉमिक रेस्पान्सिबिलिटी का सवाल आता है। इकानॉमिक रेस्पान्सिबिलिटी के तौर पर हमारी पंचायत समितियों को तैयार करने के लिए कि हर विलेज का इकानॉमिक प्रोग्राम बनावें इस प्रकार की एक व्यवस्था बनावें कि जिससे वे प्लान.के अन्दर से चले यह बात इसमें रखी है। ये बातें हमने रखीं लेकिन केवल मात्र ये बातें रखने से ही काम नहीं चलता। प्रथम तो वे इन विषयों में इतने जागरूक नहीं हैं और जानकार नहीं है। टेक्निकल प्लान और प्रोग्राम हरेक विलेज का कंजम्पशन और प्रोडक्शन का बना सकें। इसमें टेक्निकल राय की हर जगह जरूरत पड़ेगी और ट्योंजन की तरह पंचायत समितियों को बना रहे हैं या जिला परिषदों को बना रहे हैं। जिला परिषदों में तो एम. एल. एज और एम. पीज. होंगे तो प्रोग्राम बनावें वह जिला परिषद् की राय से बनावें या उनसे एप्रूव करावें ऐसा प्रोविजन यहां पर रखना पड़ेगा।

बाई लॉज के बारे में भी जो बातें कही गई हैं उन पर भी कहने का मौका मिलता है। बाई लॉज बनाने का पंचायत समितियों को भी पॉवर देते है। लेकिन बाई लाज बनाना कोई मामूली बात नहीं है। पंचायत समितियों के परसोनेल्स की केपेबिलिटी इतनी नहीं समझी जा सकती कि वे बाई लॉज बना सकें। यह एक बिल्कुल कानूनी मसला है। मैं यह नहीं कहता कि बाई लॉज की पॉवर या रूल मेकिंग की पॉवर उनके पास न हो, लेकिन जब तक वे इसमें प्रवीण न हो जावें और जब तक यह खतरा नहीं हो कि केवल सेक्रेटरी बाई लॉज बनाकर रख देंगे तब तक यह करना चाहिए कि क्लाज ४७ में जहां जिला परिषद् का और पंचायत समितियां का वर्णन है और उनके दायित्व का वर्णन है वहां एक क्लॉज और बनाना चाहिए जिससे यह प्रोवाइड कर सकें कि जिला परिषद् एक मोडल बाई लॉज बनाकर देंगी जिनको एप्रूव पंचायत समितियां करेंगे। या स्टेट स्वयं मोडल बाई लॉज बनाकर देंगीं जिनको एप्रूव इन समितियां से करायेंगे। मैं समझता हूं आज बाई लॉज बनाने का काम ऊपर की राय से और मशीनरी से बनाने का प्रोविजन रखने की आवश्यकता है।

अब हमने एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियेन्स और दूसरे एक्सपीरियेन्स वाली बात रखी है उस बारे में निवेदन है कि जिला परिषद् में तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियेन्स की इतनी

(राव श्री नारायणसिंह)

आवश्यकता नहीं है क्योंकि वहां तो एम.एल.एज और एम. पीज. होंगे उनमें एक्सपीरियेन्स मानना चाहिए, उन पर शक करते हैं तो अपने आप पर भी शक करते हैं। लेकिन जहां पर पंचायत समितियां रहती हैं वहां ऐसे व्यक्तियों को कोऑप्ट किया जायगा बल्कि सलेक्ट कमेटी ने अधिकार दिया है कि और व्यक्तियों को भी ले सकते है जो उसके मेम्बर न हों। लेकिन ऐसे व्यक्ति को यदि लें तो कोऑपशन की दृष्टि से उसे नहीं लेना चाहिये बल्कि एडवाइजर की दृष्टि से लेना चाहिए जो अपनी राय से उनको महफूज कर सके।

इसके अलावा कुछ दूसरी बातें आती हैं जैसे शिड्यूल में कुछ अधिकार पंचायत समितियों को दिये हैं, मसलन उनको विलेज फोरेस्ट के बारे में कुछ अधिकार दिये हैं, लेकिन मैं कहूंगा कि विलेज फोरेस्ट के अलावा माइनर चीजें दूसरी भी आती हैं उनका अधिकार भी इन्हें देना चाहिए। विलेज फोरेस्ट के बारे में भी जिला परिषद् की मार्फत कदम उठा सकते हैं या नहीं यह सोचना आवश्यक है। ग्रामीण व्यवस्था को जो खास ठेस पहुंचाने वाली चीज जंगलात की दखल है उसको यदि इतनी पेनी नहीं रखें तो शायद इस ओर लोगों की रूचि बढ़ सके। आज जो पोलिसी परसू की जा रही है उसको रेस्पोन्सिव बनाना पड़ेगा। सब लोग समझते हैं कि जंगलात क्या है। लोग इसके महत्व को जानते हैं। मैं अजमेर का अनुभव बताता हूँ। वहां पर नेशनेलाइजेशन ऑफ फोरेस्ट हुआ और जो छोटे खातेदार, खेवटदार वगैरह थे वे लोग जो जोड़ रखते थे उनको वे बहुत अच्छी तरह से रखते थे। चरागाह के लिये जमीन रखते थे लेकिन यह हुआ कि जितना ले लिया उतना ले लिया और बाकी को कुल्हाड़ी के हवाले किया। इससे वनस्पति का ज्यादा नुकसान हुआ। यदि हमें करना है तो जिला परिषद् के स्तर पर ही सही, जिला परिषद् आदि को इसकी व्यवस्था देनी चाहिये।

अब आगे जाकर इसमें जो पंचायतों और पंचायत समितियों के आपसी झगड़े होंगे उनको तय करने का सवाल आता है। डिस्प्यूट्स का और इसके बारे में क्लॉज ७४ बना दिया गया है जिसमें लिखा है कि उनके आपसी डिस्प्यूट्स होंगे तो उनको राज्य सरकार तय करेगी और क्लॉज ५३ में पंचायत एक्ट की सेक्शन ८३ को और कुछ जोड़ दिया है डिस्प्यूट्स के बारे में कुछ नीचे के डिस्प्यूट्स का तरीका बताया है। मैं समय आने पर विशद प्रकार से अपने व्यूज इस बारे में प्रस्तुत करूँगा। लेकिन मौजूदा क्लॉज में डिस्प्यूट्स के बारे में जो कुछ कहा गया है वह नाकाफी है।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : On a point of order Sir. Somebody is sleeping in the Public Gallery.

श्री सभापति : Let him sleep.

श्री पी० के० चौधरी : Is it permissible to sleep in a Public Gallery of the House? It is not allowed to sleep after coming in the Gallery.

श्री सभापति : He is not sleeping now. He has awaken.

राव श्री नारायणसिंह : जो पंचायतों के आपसी झगड़े होंगे उनको पंचायत समितियों

(राव श्री नारायणसिंह)

संभालेंगी और पंचायत समितियों के आपस में झगड़ा होगा उसको स्टेट गवर्नमेन्ट संभालेगी। क्यों नहीं यह पॉवर स्टेट गवर्नमेन्ट के बजाय जिला परिषद् को दे दें। जिला परिषद् काफी जिम्मेदार स्योजन बोडी हैं, उसको यदि अधिकार देते है तो कोई खराब बात नहीं है। छोटे छोटे मामलों में स्टेट गवर्नमेन्ट के दखल की बात आती है वह ठीक नहीं है। यह पॉवर जिला परिषद् को दे सकते है। जिला परिषद् केवल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेन्ट कमेटी ही बन कर नहीं रह जाय बल्कि वह वास्तव में स्योजन बोडी बनें। डेवलपमेन्ट से संबंधित सारे कार्य और दूसरे एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित कार्य भी उसको दें तो कोई हर्ज नहीं होना चाहिये। मैं समझता हूँ इन मामलों में अधिकाधिक अधिकार जिला परिषद् और पंचायत समिति को देना चाहिये। जो ट्राइ-टायर सिस्टम सोचा है उसमें इसमें शरीक करना आवश्यक है।

अब स्पेशल रिप्रजेन्टेटिव की बात इस बिल में आती है। मुझे लगता है कि इसको इतना महत्व दिया गया है, यदि साधारण चुनाव से कोई औरत शिड्यूल्ड ट्राइब या शिड्यूल्ड क्लास में से आ जाय तो उसका रिप्रजेन्टेशन रहता है। हमारे कॉन्स्टीट्यूशन में और हमारी दूसरी पद्धतियों में हमने जहाँ जहाँ स्पेशल रिप्रजेन्टशन दिया है, यह बिना क्वालिफिकेशन के दिया, हैं वे जाय अथवा न जाय साधारण चुनाव में। स्पेशल रिप्र-जेन्टेशन किसी खास कारण से हमें देना है, और वह बात तभी आती है जब किसी पिछड़ी हुई जाति अथवा वर्ग को प्रजातंत्र के लिए जागरूक बनाना होता है, आगे लाना होता है। तो जहाँ स्पेशल रिप्रजेन्टेशन के सिद्धान्त को स्वीकार करते हैं, वहाँ इसे एब्सोल्यूट बनाने की आवश्यकता है। यदि कोई शिड्यूल्ड कॉस्ट, शिड्यूल्ड ट्राइब्स का व्यक्ति या वीमेन केन्डीडेट एक प्रकार से साधारण चुनाव में आ जाय, तो भी हमें जितनी सीट्स सुरक्षित रखने हैं, वे तो रहनी चाहिए।

अंत में जो इस बिल में प्रवर समिति ने बहुत सोच-विचार कर राजस्थान पंचायत समिति सबोंर्डिनेट सर्विस का प्रावधान रखा है, उसकी में सराहना करता हूँ। हमारे म्युनिसिपल बिल में भी यह चीज है, यह रखना आवश्यक है। इसके साथ ही साथ जो सलेक्शन और डिस्ट्रिक्ट एस्टेब्लिशमेंट कमेटी के लिए प्रावधान रखा गया है, मैं समझता हूँ वह बहुत ही बुद्धिमानी का कार्य है। अब इसमें छोटे मोटे हेर फेर किस प्रकार से किये जाने चाहिए, जिससे कि सच्चा दृष्टिकोण ला सकें, यह क्लॉज बाई क्लॉज विचार की स्थिति में विचार करने की बात है लेकिन जहाँ तक ये प्रोवीजनस रखे गये हैं, मैं उनकी प्रशंसा करूँगा।

इन सारी बातों साथ में समझता हूँ कि पंचायत समिति और जिला परिषद् बिल, जो हमारे सामने है, उसको पास करके हम एक क्रांतिकारी कदम उठाने वाले है। अब ये आशंकायें गलत हो जाती हैं कि हमारे नीचे का जनमानस इसके लिए तैयार है या नहीं, अब इसके लिए इन्तजार करने की आवश्यकता नहीं है। हमें जन मानस को एक चीज देकर तैयार करना पड़ेगा। जिस प्रकार जो तैरना नहीं जानता, उसे बहाव में डाल कर तैरना सिखाना होता है, उसी प्रकार यह प्रयोग करने की आवश्यकता है। मैं

(राव श्री नारायणसिंह)

समझता हूं अगर यह प्रयोग सफल हुआ, और जब मैं सफल कहता हूँ तो मैं उस लाइकलीहुड को नजरअन्दाज़ नहीं करता कि आज की हमारी जो कास्टिज्म, कम्युनिज्म अथवा और प्रकार की भावनायें हैं, उनसे शायद कुंठित हो सकते हैं, पर कुंठित होते हुए भी यह व्यवस्था सैद्धान्तिक रूप से ऐसी होगी, जो हमें नये प्रकार के प्रजातंत्र की तरफ अग्रसर करेगी और नये प्रकार के इलेक्शन सिस्टम का प्रयोग करके बतायेगी कि आया वह सफल होता है या नहीं और हमारा प्रजातंत्र एक पंचायत की बुनियाद से लेकर ऊपर तक संलग्न हो जायगा। जो आज की अंधी चुनाव पद्धति है, आज बलाइन्ड वोट पड़ते है अब हमारे नुमाइन्दे, हमारी असेम्बली अथवा पार्लियामेन्ट के नुमाइन्दे के लिए वह जागरूक वोट होगा, उसके आधार पर पंचायत से खड़ा हुआ व्यक्ति पार्लियामेण्ट तक दुबारा बुला सकेगा और प्रतिनिधि पंचायत से सम्पर्क कभी नहीं भूल पायेंगे। आज जो हम प्रतिनिधि यहां बैठे हुए हैं, वे भूल जाते हैं, वे चुनने वालों को भूल जाते हैं पाँच साल के लिये तो और पांच साल का ठेका लेकर चले आते हैं। जब यह पद्धति होगी और जब आगे इसका विकास होगा, यह पद्धति पार्लियामेण्ट तक पहुंचेगी और उसका पहुंचना ही होगा और ग्राम पंचायत उससे ऊपर वाले प्रतिनिधि को, पंचायत समिति उससे ऊपर वाले सदस्य को और जिला परिषद् उससे ऊपर वाले प्रतिनिधि को पीछा बुला सकेगी तो वास्तव में जो प्रतिनिधित्व ठेठ ऊपर तक होगा, वह सही मायने में होगा और जन सम्पर्क संयुक्त होगा। तो इस दृष्टि से मैं इस बिल का तो स्वागत करता हूं लेकिन जो मैंने टैक्सेशन, चुनाव और प्रशासन के बारे में, फन्ड्स के बारे में अलग अलग कहा, उनके ऊपर थोड़ा विचार करने की आवश्यकता है। हम आज इस बिल के द्वारा डिसेन्ट्रेलाइजेशन आफ फंक्शन्स कर रहे हैं, डिसेन्ट्रेलाइजेशन आफ एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन्स कर रहे हैं, डिसेन्ट्रेलाइजेशन आफ एक्टीविटीज कर रहे हैं और प्रोग्रेसिव और कान्सीयस लीडरशिप ठेठ नीचे के दायरे तक बढ़ा रहे हैं, उसके लिए मैं मुबारकबाद दे सकता हूं। लेकिन इसको कार्यान्वित किस प्रकार से करेंगे, उसे सफल किस प्रकार बना सकेंगे, यह आगे की कार्यवाही है लेकिन जहां तक सैद्धान्तिक दृष्टि से देखने का सवाल है, मैं समझता हूं कि राजस्थान सरकार पहला कदम उठा कर वाकई मुबारकबाद के लायक बात कर रही है।

इतने शब्द कह कर अन्त में, मैं कहना चाहूंगा कि मैंने देखा कि इस बिल को फिर से प्रवर समिति में सौंपने की बात आई और ऐसा प्रस्ताव भी है। मैं समझता हूं जो हम संशोधन करना चाहते हैं, वह, आज जब हमारा स्पेशल सैशन इस बात के लिए बुलाया है, इसमें बैठकर कर सकते हैं। वास्तव में प्रवर समिति ने बहुत काफी गौर करने के बाद बहुत काफी परिवर्तन किये हैं। अब पुनः प्रवर समिति के समक्ष भेजना सिवाय समय खराब करने के और कुछ नहीं है। हम चाहते हैं कि अक्टूबर तक इसको कार्यान्वित किया जाय। यदि प्रवर समिति में भेजने की बात करेंगे तो देर हो सकती है। इसलिए मैं समझता हूं कि जो कुछ उसमें संशोधन करने हैं, वे हमें यहां बैठ कर करने चाहिये और बिल को पास करने

(राव श्री नारायणसिंह)

के लिए कोशिश करनी चाहिये ताकि उदाहरणस्वरूप प्रजातन्त्र व्यवस्था में प्रेरणा ले सकें ।

श्री सभापति : श्री मोहरसिंह ।

श्री मोहरसिंह (चुरू) : सभापति महोदय, आज सदन के सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिल विचारार्थ आया हुआ है, जिसके ऊपर बनी हुई सलेक्ट कमेटी के प्रतिवेदन पर बहस का दूसरा दिन है । सभापति महोदय, वास्तव में अगर सोच-विचार के बाद यह बिल पेश किया जाता है तो मैं समझता हूँ कि राजस्थान के एक बहुत बड़े हिस्से, जिसकी जनता १ करोड़ २८ लाख के करीबन है, को फायदा हो सकता है । सभापति महोदय, वास्तव में एक निहायत महत्वपूर्ण मुद्दा हमारे सामने है । जब पंचायत राज्य का नारा पहले पहल सुना तो महात्मा गांधी के मुखारविन्द से बराबर आवाज आई कि देश में असली रूप में आजादी उस दिन आयेगी जब भारत में सच्चा पंचायती राज्य कायम होगा । महात्मा गांधी के पश्चात् पंडित जवाहरलाल नेहरू की आवाज सुनी कि देश में आजादी आने के बाद जिस दिन पंचायती राज्य होगा, उस दिन देश सच्चे मायने में आजाद होगा । कई वर्षों के बाद वह दिन आया, पंचायतें बनीं, आज उनके हाथ में ठीक रूप में सत्ता आये, इस निमित्त सदन के सामने बिल आया हुआ है । सभापति महोदय, सलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट में मैंने एक नोट ऑफ डिसेन्ट दिया है, बहुत से माननीय सदस्यों द्वारा असहमति पत्रों में अपनी भावना प्रस्तुत की गई है, मैंने भी एक असहमति पत्र इसमें अपना दिया है जो थोड़े शब्दों में अंकित है । मैं समझता हूं कि इसमें एक डिफेक्ट बहुत बड़ा है जिसको दूर किया जाना चाहिये । इसके अन्दर एक चीज रखी गई है कि पंचायत समिति का जो बजट हो, उसकी आय के सीगे के अन्दर पर कैपिटा, प्रति व्यक्ति लैंड रेवेन्यू के २५ पैसे प्रति रुपया छोड़े जायं, यह पंचायत समिति में रखे जायं । मेरी राय में यह बहुत कम है, इसकी बनिस्बत जो लैंड रेवेन्यू राजस्थान में वसूल होता है, उसका २५ परसेन्ट होना चाहिए । सुबह से मैं इस चीज को सुन रहा हूं और प्रतिवेदन में मैंने पढ़ा भी है, मैं समझा नहीं कि यदि २५ पैसे पर कैपिटा छोड़े जायं तो १ करोड़ २८ लाख जनता के साथ ठगी करना होगा । मैं जानता हूँ कि ठगी शब्द आब्जेक्शनेबल है, कोई सदस्य कह सकते हैं कि यह पार्लियामेन्ट्री शब्द नहीं है....

श्री सभापति : आप खुद कह रहे हैं कि पार्लियामेन्ट्री नहीं है...

श्री मोहरसिंह : हां, हां, मैं स्पष्टीकरण कर दूँ । यह सही बात है । वास्तव में किसी के पैसे को, किसी की चीज को छीना जाता है, तो उसके तीन तरीके हो सकते हैं, डाका, चोरी और ठगी । इसे मैं डाका कह नहीं सकता, क्योंकि हमारी आंख के सामने कोई हथियार के बल पर पैसा ले जाय, वह डाका है, जो हमारी आंख के सामने नहीं छीना जाता है, वह चोरी है और जो आंख के सामने ले लिया जाता है, उसको ठगी की केटेगरी में लेते हैं । मैं समझता हूँ कि इसमें एक चीज रखी गई है, यह ठगी की चीज है । इसे मैं ठगी में शुमार कर सकता हूं । किस तरह ? मैं आपको बताऊं कि सुबह से सुना है कि २५ पैसे पर कैपिटा रखने से ज्यादा बन जायगा, यह ठीक नहीं है क्योंकि लैंड रेवेन्यू एक तहसील में ज्यादा वसूल किया जाता है

(श्री मोहरसिंह)

और एक तहसील में कम वसूल किया जाता है। मैं पूछना चाहता हूँ कि लैंड रेवेन्यू राजस्थान में कितना वसूल किया जाता है, कि उसमें २५ नये पैसे छोड़े जायं तो कितने पैसे रह जायेंगे पंचायत के पास व्यवस्था को ठीक ढंग से बनाने के लिए....

लेकिन इस चीज को अलग करके कहा जाता है कि २५ पैसे पर केपिटा रखा जाय। इस तरह से तो बहुत कम पैसा होगा। आम जनता से किसानों से सम्बन्धित यह बिल हैं, पंचायतों के एरिया में रहने वाले जो लोग हैं उन लोगों पर पंचायत के सारे एरियाज पर यह लागू होगा, वहां रहने वालों की संख्या १ करोड़ ३० लाख है और चार आना पर केपिटा के हिसाब से कुल साढ़े बत्तीस लाख रुपया बनता है। पर एक करोड़ ३० लाख जनता से टेक्स वसूल होता है, ८ करोड़ रुपया लैंड रेवेन्यू वसूल किया जाय और उस लैण्ड रेवेन्यू का २५ प्रतिशत उनके लिये छोड़ा जाय तो इस तरह पंचायत समितियों का काम अच्छी तरह चल सकता है। ४ आना पर केपिटा और लैंड रेवेन्यू का २५ प्रतिशत इन दोनों का हिसाब लगाया जाय तो बड़ा भारी फर्क पड़ता है। ४ आना पर केपिटा के हिसाब से ३२ करोड रुपया होता है। वहां लैंड रेवेन्यू के २५ प्रतिशत हिस्से को छोड़ देने से करीब दो करोड़ रुपया होता है। कहा जाता है कि लैंड रेवेन्यू अलग अलग जगह भिन्न है, कई जगह लैंड रेवेन्यू बहुत ज्यादा वसूल की जाती है, मैंने उन सब जगहों पर जाकर देखा है जिन इलाकों में सात सात, आठ आठ रुपया प्रति बीघा लैंड रेवेन्यू वसूल की जाती है उन इलाकों को भी मैंने देखा है। तो २५ प्रतिशत रखने के बाद हिसाब लगाया जाय तो दो करोड़ रुपया पंचायत समितियों के पास रहेगा और २५ पैसा पर केपिटा के हिसाब से केवल ३२ लाख ही होता है, तो इस तरह कितना फर्क पड़ता है। तो जो यह २५ पैसा पर केपिटा का रखा है उसे देखकर मुझे यह कहने में हिचक नहीं होती है कि पंचायत समिति और जिला परिषद् बिल पर सलेक्ट कमेटी ने प्रतिवेदन किया है वह सरमायेदारी की सी चीज बनती जा रही है। चार आना पर केपिटा छोड़ना और फिर खर्चा पूरा न चलने की हालत में धमकी, पट्टी लगाकर उन्हें कहा जाय कि अपना खर्चा पूरा करने के लिये टेक्सेज लगाओ, यह न्यायोचित नहीं। जो गरीब जनता गांवों में बसती है उस पर पहले से ही काफी टेक्सेज लगे हुए हैं, फिर कहा जाय पंचायत समितियों को कि इन पर टैक्स लगाओ यह उचित नहीं। गरीबों पर आज तक जो टैक्स लगे हुए हैं उनके अलावा और टैक्स लगाये जायं और उनसे गुलछर्रे उड़ायें अमीर लोग, इसलिये मैं इसका विरोध करता हूँ और यह चाहता हूं कि २५ प्रतिशत लैंड रेवेन्यू उनके पास छोड़ देने का इसमें रख देना चाहिये जिससे कि सही ढंग का पंचायत समिति जिला परिषदों का बिल बने और एक करोड़ ३० लाख जनता सही माने में आजादी का उपभोग कर सके और सही माने में हम समाजवादी समाज की ओर बढ़ सकें नहीं तो सरमायेदारी नजूम जो केपिटेलिस्ट नीति का द्योतक है वह इसमें भी चलता जायेगा। इसमें चार आना पर केपिटा का रखा। उधर चवन्नी छोड़ने के लिये कहा जा रहा है, किस प्रकार से यह चीज किसानों के खिलाफ चली जा रही है।

(श्री मोहरसिंह)

इसमें फिर आगे रखा गया है प्राइमरी एज्यूकेशन टेक्स । इधर शहरों में पूरी तरह फ्री प्राइमरी एज्यूकेशन करने जा रहे हैं और उधर रूरल एरिया के किसान हैं, गरीब लोग हैं उन्हें कहा जाय कि प्राइमरी एज्यूकेशन का भी खर्चा दे दो। गरीब किसान आगे ही टेक्सेज के बोझे से बहुत दबा हुआ है, उस पर और इस प्रकार के टेक्स लगाये जायं यह कहां तक बर्दाश्त कर सकेगा, वह तो आगे ही दग हुआ है। सारे देश का हिसाब लगाया जाय तो ३८ करोड़ ८८ लाख जनता है, उस पर २२ अरब रुपया कर्जा है, हिसाब लगाया जाय तो राजस्थान के किसानों पर भी एक अरब रुपया कर्जा है, उस पर फिर टेक्स का लगाया जाना और इसलिये लगाया जाना कि पंचायत समितियों की आय पूरी नहीं होगी, खर्चा पूरी तरह नहीं चलेगा और काम नहीं कर सकेंगी, यह किसानों के लिए घातक है।

मैंने अपने नोट ओफ डिसेंट में भी लिखा है, और मैं यहां फिर निवेदन करना चाहता हूं कि पंचायत समिति बिल में २५ प्रतिशत लैंड रेवेन्यू छोड़ने की बात को जोड़ दिया जाय तो इससे हमारी पंचायत समितियां अच्छी तरह काम कर सकेंगी, गरीब किसानों पर टेक्स का और अधिक भार नहीं बढ़ेगा, यह बिल भी सही माने में अच्छा बिल बन सकेगा और समाजवादी समाज लाने का जो हमारा इसके पीछे मकसद है वह समाजवादी समाज भी हम सही माने में ला सकेंगे। नहीं तो राजस्थान की जनता जो पहले से ही दबी हुई है और दब जायगी।

माफ करना आज अखबार में पढ़ा ३००० बैग भेजे गये बाड़मेर में चीनी के। पर चीनी किसानों को नहीं मिल रही है। केपीटेलिस्ट्स किसानों का शोषण करते रहें और किसान छटपटते रहें यह कैसे बर्दाश्त किया जा सकता है ? ४ आना पर केपिटा रखा तो यही हाल किसानों का होगा।

चूंकि समय थोड़ा है, ज्यादा समय लेना मैं उचित नहीं समझता इसलिए विस्तार से न कह कर स्पष्टीकरण करने के लिये थोड़े से शब्दों में मैं यही कहना चाहूंगा कि चार आना लैंड रेवेन्यू का छोड़ा जाय जिससे कि पंचायत समितियों की आमदनी बढ़ जाय। पर केपिटा ४ आने वाली चीज सही नहीं है वह सरमायेदारी का बाहरी हिस्सा है, उसको इसमें प्रतिबिम्बित नहीं किया जाय ताकि डीसेन्ट्रेलाइजेशन ऑफ पावर का हमारा मकसद है वह पूर्ण हो। इन्हीं शब्दों के साथ जिस चीज पर कि मेरा नोट आफ डिसेंट है, २५ प्रतिशत लैंड रेवेन्यू छोड़ने की बात रख कर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ।

(अनेक माननीय सदस्यों के बोलने हेतु खड़े होने पर)

श्री सभापति : डॉ० बहादुरसिंह।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : माननीय सभापति महोदय, सत्ता के विकेन्द्रीकरण के बारे में सलेक्ट कमेटी के प्रतिवेदन के साथ यह बिल सदन के समक्ष प्रस्तुत है, उस पर हम विचार करने जा रहे हैं। इस पर विचार करने से पहले इस बात पर विचार करना होगा कि सत्ता का केन्द्रीकरण था वह किस प्रकार विकेन्द्रित होने जा रहा

(डॉ० बहादुरसिंह)

है। आज हम बिल्कुल ग्राम स्तर पर पहुंच गये हैं। जनता को अधिकार दिये गये थे उनमें इस बिल द्वारा वृद्धि कर दी जायगी। ग्राम पंचायतों को अधिकार होगा कि वे अपने यहां विकास का कार्य करें। ग्राम पंचायतों को अधिकार दिया था कि वे अपने यहां व्यवस्था करें, ग्राम राज्य उन्हें दिया गया था, अब इसमें यह अधिकार उन्हें दिया गया है कि वे अब विकास क कार्य भी कर सकेंगी।

कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि यह विकेन्द्रीकरण नहीं, काम का बंटवारा है। मै निवेदन करूंगा कि हमें देश का निर्माण करना है उस वक्त आवश्यकता है कि इस प्रकार के यूनिट, ग्राम राज्य कायम किये जायं। मैं उन माननीय सदस्यों से जिन्होंने जिला परिषदों के बारे में कहा था कि जिला परिषदों की आवश्यकता नहीं है, उनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि यदि जिला परिषदों का निर्माण नहीं किया गया तो हमारी सत्ता के विकेन्द्रीकरण की श्रृंखला है, उसमें से एक कड़ी निकाल दी जाय तो उस जंजीर की सारी श्रृंखला को ही नष्ट कर देती है।

अब मैं इस बिल के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। इसमें जो व्यवस्था पंचायत समिति के गठन की को गई है उसके बारे में, ग्राम पंचायतों के सरपंच इन समितियों के सदस्य होंगे, यह व्यवस्था की गई है कि जो ठीक है। जो विधन सभा के सदस्य हैं उनको इनमें रखने की व्यवस्था नहीं होने के कारण एक लिंक अभाव दिखता है, इसलिये मैं यह विचार रखना चाहता हूँ कि जितने विधान सभा के सदस्य हैं, उन पंचायत समितियों के क्षेत्र के उनको भी इन समितियों का सदस्य रखा जाय।

एक सवाल आता है प्रधान और उप-प्रधान चुने हुए हों, इस सम्बन्ध में मेरा मतभेद है। पंचायत समिति के प्रधान और उपप्रधान हैं, उनको निर्वाचित तौर पर नहीं रखा जाय, बल्कि यह रखा जाय कि जब भी समिति अपनी बैठक करें, तभी उस समिति के सदस्यों में से एक व्यक्ति को अध्यक्ष बना लिया करें। विकास अधिकारी को ऑफिस का काम, पैसे लेने का काम, कार्यालय की व्यवस्था का काम दिया गया है। हमें अपनी सर्विसेज पर इतना अविश्वास नहीं करना चाहिये कि वे ठीक तरह से कार्य नहीं कर सकेंगी। तो मैं निवेदन करूं कि यह निर्वाचित एक अध्यक्ष की व्यवस्था ठीक नहीं रहेगी। उसकी जगह पर हम उसी समय मीटिंग में ही उसी समय पर किसी भी सदस्य को चैयर-मैन निर्वाचित कर लें। इसी प्रकार से जो जिला परिषद् है उसमें भी हम उसी प्रणाली को अपनाए और जो जिला परिषद् के अध्यक्ष हों, जो प्रधान होंगे वह भी इलेक्टेड ही होंगे और उसका भी मीटिंग के समय ही इलेक्शन किया जावे। जो व्यवस्था हम पंचायत समिति में रखें वही व्यवस्था जिला परिषदों में भी रखें ताकि रोटेशन का कार्य नहीं होकर एक प्रकार से समिति होगी उसी वक्त निर्णय ले लिया जावेगा और उन्हीं माननीय सदस्यों में से एक माननीय सदस्यों को अध्यक्ष बनावें और इसके बाद यह दिक्कत आकर पड़ सकती है कि जो पंचायत समिति का अध्यक्ष होगा वह इसमें आ कर अध्यक्ष हो सकता है। इससे विवाद भी समाप्त हो

(डॉ० बहादुरसिंह)

जाता है। और जो विवाद होने की सम्भावना है वह समस्या भी हल हो जाती है।

दूसरी बात तहसील पंचायतों के सरपंच पंचायत समिति के सदस्य होंगे उसके संबंध में है। यह बात तो बड़ी विचित्र सी है कि वही व्यक्ति चुना गया तो पंचाय को ग्राम पंचायत की अपील के लिए अधिकार है। हम ग्राम पंचायत समिति बनाने जा रहे हैं। ग्राम सुधार के लिए जुडिशियल बोडी नहीं। इसलिये वहाँ पर तहसील पंच की आवश्यकता नहीं है। मैं यह कहूंगा कि जिन लोगों को हमने न्याय के कार्य दिये हैं जिनको हमने न्यायाधीश बना रखा है, जो जज हैं उनको यदि इस प्रकार के निर्माण कार्यों में फंसा कर रखेंगे तो मैं यह कहूंगा कि यह उपयुक्त नहीं हो सकता। इसलिये मैं यह उचित समझता हूं कि तहसील पंचायत के सरपंच को इसमें नहीं रखा जावे और जब तक तहसील पंचायत है और उनके पंच हैं उनको भी जिला परिषद् के सदस्य बना दिया जावे तो उचित होगा क्योंकि वहां पर वे एडवाइज़र के तौर पर विकास के कार्यों पर अपनी राय दे सकेंगे। इसलिए तहसील पंच हैं उनको हम जिला परिषद् में रख सकते हैं।

इसके बाद हमें पंचायत बिल है उसमें न्याय पंचायत की और व्यवस्था करनी चाहिये थी जो हमने नहीं की है। इससे यह समझना चाहिये कि एक न्याय पंचयत हो। जो न्याय पंचायत होगी वह कैसी होगी, मैं समझता हूं कि उसमें हम निर्वाचित व्यक्ति को रखेंगे तो उससे वास्तविक न्याय होगा। इसलिए ऐसा व्यक्ति हो जो जुडिशियल माइन्डेड हो और पंचों द्वारा ही निर्वाचित हो जो ग्रामीण न्याय के बारे में समझ सके। इसलिए न्याय पंचायत अलग होनी चाहिए। मैं समझता हूं कि इसका चेप्टर इसमें रह गया है। इसको अलग बनाना चाहिये।

इन शब्दों के साथ मैं जो टैक्सों के बारे में प्रगति चल रही है उस सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हर स्टेज पर टैक्सेज अलग अलग हैं इस बात को कह कर की टैक्सेज नहीं होने चाहिये चीप पॉपुलेरिटी गेन की जा सकती है और विधान सभा में हम यह कहते हैं कि टैक्सेज नहीं लगने चाहिये। लेकिन जब हम निर्माण का कार्य करने जा रहे है तो निर्माण के कार्य के लिये हमें रुपयों की जरूरत है। इस कार्य के लिये पैसे की अत्यन्त आवश्यकता है। इसलिये जो प्रश्न आया था कि २५ नये पैसे के हिसाब से १।४ लैन्ड रेवेन्यू को दे, मैं उपयुक्त नहीं समझता। मैं यह उचित समझता हूँ कि जिस प्रकार सरकार म्यूनिसिपेलिटी को ८ आना पर हैड एड देती है उसी तरह से इसको भी दे। १।४ है वह एडमिनिस्ट्रेशन की दृष्टि से उपयुक्त है। मगर हमें आगे निर्माण कार्य करना है। इसलिये उसके लिये अलग एड की जरूरत है। जो लोग टैक्सेशन का विरोध करते हैं उसको मैं वाजिबनहीं समझता। हम जब काम अच्छा करना चाहते हैं तो उनको आमदनी के जरिये भी देने चाहिए और टैक्सेशन के अधिकार उनको देने चाहिए।

दूसरी बात पंचायत समिति के और जिला परिषद् के धन्धों के बारे में है। हमने उद्योग धन्धों के बारे में कहीं भी ध्यान नहीं दिया। सीलिंग लगावें तो जो लोग

Page No.93

(डॉ० बहादुरसिंह)

हैं उनको भूमि दिलावेंगे लेकिन जो लोग फिर भी बेकार होंगे उनको धन्धों में लगाना होगा। जब तक हम जिला परिषद् और पंचायत समिति का ध्यान उद्योग धन्धों की तरफ आकर्षित नहीं करेंगे और उनसे एडवाइजर के तौर पर, परामश लेने के तौर पर इस बिल में व्यवस्था नहीं करेंगे तब तक उन्नति नहीं कर पावेंगे। इसलिये इसकी इस बिल में व्यवस्था करनी चाहिये कि जो जो गृह उद्योग धन्धे हैं, इन्डस्ट्री चला सकते हैं उसके बारे में वे राय दें और इन्डस्ट्री प्रारम्भ करें चाहे वह स्टेट के स्तर पर हो या प्राइवेट। तो मैं समझता हूँ कि इससे काफी बेकारी की समस्या को हल किया जा सकता है।

दूसरी समस्या पंचायत समिति के बारे मे है वह है लॉ एण्ड ऑर्डर की जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। होता क्या है कि पंचायतों में छोटे २ झगड़े छोटी छोटी बातों पर गांवों में हो जाते हैं और वहां से पुलिस स्टेशन बहुत दूर होता है। इसलिये इसके लिये या तो हम उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार राष्ट्रीय दल है उसी प्रकार का पी. आर. डी. रखें। इस प्रकार पुलिस के साथ साथ छोटी सी सहायक पुलिस का और निर्माण करना चाहिए और उसकी सारी व्यवस्थ उन पंचायतों के अन्तर्गत दे दें या उनको अन्तर्गत न दें तो इस प्रकार से समन्वय कर दें कि पंचायत के पंच या सरपंच का पत्र पहुंचते ही किसी प्रकार की अव्यवस्था हो उसके लिये पुलिस फौरन इन्तजाम करे। किसी को पुलिस द्वारा हेरेसमेंट होता है उसके बारे में भी इन्तजाम करना चाहिए और पंचायतें सक्रिय रूप से लॉ एण्ड ऑर्डर की व्यवस्था बना सकें। ऐसा अनुभव हम देखते हैं कि जिस समय पंचायतों में आपस में चुनाव होते हैं उस समय उनके पीछे दलबन्दी होती है और लोग दलबन्दी के तौर पर काम करते हैं। इसलिये वहाँ पर पी. आर. डी. की व्यवस्था रखें और उसके अधिकारी इस प्रकार के रखें कि जो निर्वाचन के झगड़ों में न पड़े और निष्पक्ष रहें। इस प्रकार की व्यवस्था हो कि अगर कहीं चोरी हो गई तो उसकी फौरन जांच हो। इसलिये पंचायतों में इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। जहाँ तक पंचायतों में न्याय का प्रश्न आता है, न्याय के बारे में मैं अपने पृथक् विचार रखता हूं। न्याय पंचायतें अलग हों। न्याय पंचायतों को पनिशमेंट के पॉवर्स दिये जावें और जो उनको पॉवर्स दिये गये हैं उसके लिये मैं यह कहूंगा कि जो जुडिशियल पॉवर्स दे रखे हैं उनको कम कर देते तो कोई बात नहीं थी। हम यह मान कर चलते हैं कि शासन और व्यवस्था को अलग करना है। लेकिन हमने पंचायतों में दोनों को एक कर दिया है। इस बिल में जहां तक उनको अधिकार दिये गये हैं वह न्याय के बारे में मैं समझता हूं कि उन अधिकारों की कम जरूरत थी। आज बातें नहीं मानते, मगर मैं समझता हूं कि यह बात मैंने जो रखी है उसको उस वक्त सोचेंगे जब उसकी जरूरत आपके सामने आवेगी। अभी नहीं सोच रहे हैं।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर) : सभापति महोदय, कल सायंकाल और आज भी प्रारम्भ ही में माननीय सदस्य ने एतराज किया था कि इसमें डिस्क्रिपेन्सीज हैं। सारे विधेयक को पढने के बाद मैं इस नतीजे कर पहुंचा हू कि इससे ऐसा लगता है कि जिस

Page No.94

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

तरह से लिखने में जल्दबाजी की गई और जिस कारण से कुछ बातें सिलेक्ट कमेटी में आ गई थीं वे छूट गई तो उसी तरह से इस विधेयक के बनाने में जल्दबाजी की जा रही है। जब इस विधेयक को लागू करेंगे तो आगे आने वाले समय में आपको बार बार इसमें अमेन्डमेन्ट्स करने पड़ेंगे और बिल लाने पड़ेंगे। यह क्यों हुआ ? पिछले समय इसी सदन में राज्यपाल महोदय ने घोषणा करदी थी कि दो अक्टूबर को सरकार डेमोक्रेटिक डिसेन्ट्रेलाइजेशन की योजना रखने वाली है। चूंकि दो अक्टूबर की तिथि आने वाली है इसीलिए हड़बड़ाट में काम होता है, जब हड़बड़ाट में काम होता है तो काम बिगड़ता है। सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट में गड़बड़ी हुई और जब विधेयक पर क्लाज बाई क्लाज विचार करेंगे तो मैं समझता हूं कि कई खामियां और दिखाई देंगी। यदि दो अक्टूबर की बात सरकार के सामने नहीं होती तो आसानी से विधेयक बनता। हम कहते हैं कि हमने यह एक नया आदर्श रखा है। लेकिन यह आज नहीं रखा है। बलवन्तराय मेहता कमेटी ने समाज के सामने आदर्श रखा है ऐसी बात भी नहीं है। पंचायतों का गठन आज का नहीं। भारतवर्ष की पंचायतें एक बहुत पुरानी पद्धति है। और उसी पर उनको लागू किया गया। वह पुरानी पद्धति तो उसमें अच्छाइयाँ भी थीं। उनको न लेकर नये नये आविष्कार, बातें सीखी है, उनके अनुसार इनका गठन करना शुरू किया। मेरा निवेदन है कि इसमें जल्दबाजी न करें। सरकार इसको पीछे लाती। हो सकता है कि प्रधान मन्त्री को निमन्त्रण दे दिया। वे नागोर में दो ओक्टोबर को इसका उद्घाटन करेंगे। नागोर में इसका उद्घाटन होगा, उसके लिये बड़ी बड़ी तैयारियां हो रही है, लाखों रुपये खर्च हो रहे है। एरोड्राम बन रहा है प्रधान मन्त्री के उतरने के लिए। लाखों रुपया खर्च हो रहा है। लाखों रुपया रेस्ट हाऊस में लगेगा। हो सकता है कि वे फिर किसी काम में आवेंगे। जल्दबाजी के कारण ही वहां लाखों रुपया खर्च होगा। इस जल्दबाजी में यह विधेयक गलत भी बन जावेगा। इसलिए मेरा यह निवेदन है कि इतनी जल्दबाजी न करें किन्तु इस पर गम्भीरता से विचार करें।

जब नगरपालिकाओं पर विचार कर रहे थे, हालांकि नगरपालिकायें इतनी नहीं हैं जितनी कि पंचायतें हैं, जितनी जनता नगरपालिकाओं के क्षेत्र में आती है उससे कहीं अधिक पंचायतों के क्षेत्र में आती हैं, तो सदन के अन्दर और सदन के बाहर बैठ कर उसपर विचार करते थे, प्रत्येक अमेन्डमेन्ट्स आते थे, किस तरह से करना चाहिए और किस तरह से नहीं इस पर भी विचार किया जाता था। हाऊस के सदस्यों की कमेटी विचार करती थी उसने सारे प्रश्नों पर बहुत ही गम्भीरता पूर्वक विचार किया। तब फिर क्या उस विधेयक से इस विधेयक की महत्ता कम है ? किसी प्रकार भी नहीं। इस विधेयक के द्वारा तो जनता पर और अधिक प्रभाव पड़ने वाला है और जनता पर अधिक प्रभाव डालने वाले विधेयक को लागू कर रहे हैं। भविष्य में क्या होगा यह तो भगवान जाने।

जिला परिषद् पंचायत समिति के गठन पर विचार करें तो मैं सबसे पहले कहना चाहता हूँ कि हमने इसका 'डेमोक्रेटिक डिसेन्ट्रेलाइजेशन' नाम दिया है। प्रजातन्त्र का युग है और प्रजातन्त्र का सबसे पहला

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

सिद्धान्त यह है कि विरोधी दल की बात को सुनें, उसके लिए अवसर प्रदान करें। वह कैसे होगा ? जहां तक पंचायत समितियां गठन करने का प्रश्न है, वहां हमने सरपंच को लिया है या विभिन्न समितियों के सरपंच हैं। पंचायत समितियों में सरपंच ले लें तो कोई बात नहीं है। वहां अधिकतर एक्जीक्युटिव फन्क्शन का कार्य होगा। वे लोग जावेंगे, निर्णय किए जावेंगे। किसी पंचायत से कुआ बनाना है, वहां का सरपंच जावेगा, वैसे उसके लिए आज भी तय कर रखा है एक्जीक्युटिव वर्क पंचायतों में पंचायतों के थ्रू हों। सरपंच को पंचायत समिति में लेते हैं लेकिन जिला परिषद् के गठन को देखते हैं तो पता चलता है कि पंचायत समितियों और जिला परिषदों, दोनों का काम भिन्न भिन्न है। जिला परिषद् कामों की देखरेख करेगी। पंचायत समितियों ने काम कर दिया है, गलत कर दिया है या सही इसको जिला परिषदें देखेंगी। इसलिए जिला परिषदें ऐसी होनी चाहिए कि जिसमें सब तरह के लोग हों। अपोजिशन और पार्टी इन पावर। उत्तर प्रदेश का विधेयक अभी तैयार नहीं हुआ है, अखबारों में आया है। वे जिला समिति का चुनाव डाइरेक्ट कराने वाले हैं। मतदाताओं से कराने वाले हैं। एम. एल. एज. कोओपट किए गए हैं। जहां तक जिला परिषद् के सदस्यों का सम्बन्ध है उत्तर प्रदेश में डाइरेक्ट इलेक्शन करके जिला समिति का निर्वाचन करने वाले हैं। हमारे प्रान्त में ऐसा नहीं कर रहे हैं। दूसरे साधन हो सकते हैं। जितनी पंचायतें हैं उनके सदस्य, जितनी पंचायतें हैं उनके इलेक्टोरल कॉलेज बनायें और उस कॉलेज के द्वारा प्रपोर्शन रिप्रेजेन्टेशन रखें या अलग अलग कान्सिटुएन्सीज रखें। जिला परिषदें निर्णय लेंगी। इसमें पंचायत समितियों के प्रधान इसमें आवें ही यह कोई जरूरी नहीं है। उनके बजट को देखा जायगा। सारे जिले के बारे में योजना होगी, एक्जीक्युशन उनका वह करने वाली नहीं है। इसमें डेमोक्रेटिक तरीके से सब लोग आ सकते हैं। इस प्रकार का प्रयास है। यह भी नहीं कह सकते कि इलेक्शन में गड़बड़ी हो जावेगी, पंच हैं, उनके अन्दर हैं। यदि वे इनके अन्दर नहीं होते तो ऐसे उनको अधिकार कैसे देते कि वे सजा दे सकते हैं। वे भी किसी न किसी प्रकार का स्टेटस लेकर आये हैं, अधिकार लेकर आए हैं। उनके हाथ में पावर देते हैं। तहसील पंचायतें आज हमारी हैं। इसमें चुनाव होंगे। पंच आकर चुनाव करते हैं। इतनी ही बातें नहीं हैं। जितने वर्तमान हमारे जिला बोर्ड हैं उनके सदस्य हैं उनका चुनाव भी पंचायतों के सदस्य ही करते हैं। इसी परम्परा को चालू करते आ रहे हैं। लेकन अब इस प्रकार की पद्धति को समाप्त करने जा रहे हैं। जो पंचायत के अध्यक्ष हैं, पंचायत समिति में आये पंचायत से हट जावेंगे जिले के अध्यक्ष बन गए, उससे आगे हट जावेंगे। इस प्रकार का सिस्टम न रख कर उनको इलेक्टेड बोड़ी बनावें।

कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है। इसमें नॉनऑफिशियल लेने का प्रयत्न किया है जो इसके अन्दर आकर कुछ न कुछ गड़बड़ी पैदा करेंगे। डेमोक्रेसी की आवाज वास्तव में इससे लागू नहीं हो सकती है। म्युसिपेलिटी बिल में केवल एक ही नोमिनेशन रखा है केवल महिला का। यदि म्युनिसिपेलिटी में कोई महिला निर्वाचित नहीं हुई है, अथवा एक हुई है तो एक नोमिनेशन रखा है। यहां

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

कोऑप्शन जरूरी रखा है लेकिन इसमें इस प्रकार के लोग आ जायेंगे जो इलेक्टेड नहीं होंगे। डैमोक्रेसी का मूल सिद्धांत है उसके यह विपरीत है। विधान सभा में कोऑप्शन नहीं होता है, लोक सभा में भी नहीं होता है लेकिन राज्य सभा में जाकर विशेष इन्ट्रेस्ट के लोगों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। पंचायत समितियों में आप महिलाओं और हरिजन शिड्युल ट्राइब्स के लिए कृषि निपुण, भगवान जाने कृषि निपुण कैसे आवेंगे। वह तो मैं आगे बताऊंगा, ये उनमें आवेंगे इन सब के अतिरिक्त दो ऐसे सदस्य, किसी प्रकार पंचायत क्षेत्र में रहने वाले हों या नहीं रहने वाले हों....

कोई भी जिले का भी किसी क्षेत्र का रहने वाला हो उन लोगों को लाकर के पंचायत समिति में कोऑप्ट किया जा सकता है। इसका अर्थ यह है कि जितने भी पंच हैं उन पर आप विश्वास नहीं करते। कोऑप्शन से होगा क्या कि जिन लोगों को आप बेक डोर से भेजना चाहेंगे उनको आप ला सकते हैं। आपको चाहिए कि उनके लिए भी आप खुला मैदान छोड़ दीजिए और उनको भी इलेक्शन द्वारा आना चाहिए। चुनाव से अगर वे आयेंगे तो उनकी कुछ स्टेन्डिंग होगी। चुने हुए लोगों के प्रति एक प्रकार से दूसरी भावना होती है और कोऑप्टेड मेम्बर के प्रति एक दूसरी भावना होती है। प्रजातंत्र में कोऑप्शन और नोमीनीशन की जो परिपाटी चली आ रही है उनको हमें समाप्त करना चाहिए।

४ म० प०

अब अवधि का सवाल आता है। इसमें तीन साल की अवधि रखी है और प्रारम्भ का समय जो रखा है ३१ जनवरी १६६१ का रखा है। इसके पूर्व की जो पंचायतें हैं वे इस चुनाव में भाग लेंगी। पिछली बार इसी सदन में हमने एक विधेयक पारित किया था और उसके अनुसार जिसकी आबादी पांच हजार से ऊपर होगी उनकी जिला समितियां बनेंगी, उनका विघटन न किया जाय वे इसमें चुनाव में भाग लेंगी। और इस विधेयक के अन्दर हम यह रख रहे हैं कि जितनी भी पंचायतें होंगी जिनकी लाइफ आज भी खत्म होने वाली है या कल होने वाली उन सब का टाइम लिमिट हमने सन् ६१ तक कर दिया। इस सम्बन्ध में भी हमें डेफीनेट कार्यक्रम बनाना चाहिए। आज हम देखते हैं कि एक पंचायत की चुनाव की तारीख तय होती है वह एक बार नहीं दो बार नहीं दस बार तारीख तय हो जाने के बाद भी चुनाव रोक दिये जाते हैं। इससे होता क्या है कि जहाँ प्रजातंत्र की साख बननी चाहिए वह नहीं होती और उसकी नजीर पंचायतें हमारे सामने हैं। हमें पंचायतों के सम्बन्ध में भी एक निश्चित नीति बनानी पड़ेगी। अभी-अभी हमने देखा कि बिहार के अन्दर एक कलम से सारी पंचायतों को समाप्त कर दिया गया है और पंजाब में भी इस प्रकार से समाप्त कर दिया है। हम देखते हैं कि हमारे यहाँ पंचायतों की अवधि दो-दो और चार-चार वर्ष बढ़ायी गई है। जो पंच अपनी तीन साल की अवधि समाप्त कर चुका अब उनको क्या अधिकार है कि आगे आने वाले दो वर्ष तक भी वह पंचायत समिति में भाग लें। इसके लिए राजस्थान सरकार को टाइम लिमिट फिक्स करनी चाहिए। सारी पंचायतों को ६ महिने में तोड़ दें और सारी पंचायतों को तोड़कर उनका पुनर्गठन करें। पांच हजार की आबादी वाली को तोड़ना है और १

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

हजार की आबादी वाली पंचायत को बड़ा करना है तो उसको तय करके पंचायतों का एक ढांचा बना दिया जाय। और सारे राज्य भर में चुनाव हो जाय उसके बाद पंचायत समितियाँ और जिला, परिषदों का निर्माण होना चाहिए।

विधान सभा का भी टाइम लिमिट है। जिस प्रकार उसके अन्दर दखलन्दाजी नहीं नहीं कर सकते। किसी प्रान्त में विशेष प्रकार की गड़बड़ हो तो हमने विधान में यह अधिकार दिया है कि वे अपने अधिकार से उसमें हस्तक्षेप कर सकते हैं। पंचायतों में गड़बड़ी नहीं होगी यह बात नहीं है। पंचायतों का जो आज का ढांचा है उसमें हस्तक्षेप के बारे में कानून में रख देना चाहिये। राज्य सरकार की मर्जी पर इसे नहीं छोड़ना चाहिए। मेरा तो यहाँ तक निवेदन है कि हम पंचायतों के लिए संविधान में इस प्रकार का प्रोविजन रख दें ताकि उसके आधार पर वह काम करे। इससे हम प्रजातंत्र को अधिक सुरक्षित रख सकेंगे। इसके अन्दर जो राज्य सरकार ने ३१ जनवरी ६१, का जो टाइम लिमिट रखा है वह गलत बात है। सभी स्थानों पर जहाँ मर्जी आयगी वहाँ चलायेंगे, नहीं चलायेंगे इसके लिए डेफीनेट चीज नहीं है। हमें चाहिए तो यह कि सारी पंचायतों को एक बार तोड़कर उनका पुनर्गठन करना है और सारी पंचायतों के पुनर्गठन का एक स्टेंडर्ड बनाकर के करना चाहिए और फिर इनके चुनाव करायेंगे तो बहुत अच्छी बात होगी और सही ढंग से सही लोगों को रिप्रेजेन्टेशन मिल सकेगा।

अब मैं पंचायतों के अधिकार सम्बन्धी बातचीत करना चाहता हूँ। जब हम अधिकार को देखते हैं तो सब से पहले हमें फाइनेन्सेज के सम्बन्ध में बातचीत करनी पड़ेगी। इसमें हमने देखा है कि फाइनेन्सेज के मामले में राज्य सरकार पर आधारित कर दिया हैं। राज्य सरकार ने यह कहा है कि जितने भी डिपार्टमेन्ट्स उनको दे रहे हैं उसमें उसका हिस्सा होगा। इसके आगे राज्य सरकार ने अनुदान देने के लिए भी व्यवस्था की है। किस पंचायत को कितना अनुदान दिया जाय और कितना दिया जाय पॉपुलेशन बेसिस पर होगा या नहीं यह बात नहीं है। आगे जाकर हम इस बिल में कहते हैं कि जो लेन्ड रेवेन्यू होगी उस हिसाब से २५ नया पैसा प्रति हैड देगी। अनुदान आप किसको कितना देंगे किस मात्रा में देंगे यह राज्य सरकार द्वारा निश्चित नहीं है। वार्षिक अनुदान के लिए जो राज्य सरकार पर रख दिया है उसकी मर्जी पर रख दिया है, इस प्रकार का नहीं रखना चाहिए। जिस प्रकार का प्रावधान रखना चाहिए कि इस प्रकार म्युनिसिपैलिटीज को राज्य सरकार पर हैड ८ आना देती है उसी प्रकार पंचायतों को २५ नया पैसा किस हिसाब से दिया गया यह हमें मालूम नहीं है। चूंकि म्यूनिसिपैलिटीज बहुत सारे टेक्स लगाती है इसलिए आप उसको ८ आना प्रति हैड सहायता देते हैं लेकिन जो ओक्ट्रोय आदि टेक्स लगाये जाते हैं उसका भागीदार ग्रामवासियों को भी बनना पड़ता है क्योंकि ग्रामवासी कई चीजों के लिए और ज्यादातर चीजों के लिए शहरों पर निर्भर रहते हैं। इसलिए जो भी चीज वे शहर से लाते हैं उनको ओक्ट्रोय देनी पड़ती है, किसी भी ग्रामवासी का एग्जेम्पशन नहीं होता। गांव वालों को एक टेक्स विशेषकर ओक्ट्रोय में तो ग्रामवासियों का हिस्सा रहता ही है। इनडाइरेक्ट टेक्सेज गांव वाले बेचारे पहले ही

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

पे कर देते हैं। इस विधेयक द्वारा हमने जो टेक्स प्रोपोज किये हैं उसमें एग्रीकल्चर टेक्स भी लगाया गया है, जो आदमी खुद काश्त करता है या दूसरे से काश्त करवाता है उससे भी ये टेक्स लिये जायेंगे। इस प्रकार राज्य सरकार ने इसमें टेक्स का प्रावधान किया है। इसके अलावा इसमें शिक्षा पर भी एक टेक्स लगाया है। गाँवों के अन्दर जहां आज शिक्षा की बहुत कमी है वहां इस प्रकार का टेक्स का भार और लगा दिया गया तो किस प्रकार उनकी उन्नति होगी? म्युनिसिपैलिटी को अधिकार नहीं दिया है कि वे शिक्षा में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करें लेकिन ग्राम पंचायतों को अधिकार दिया है कि उनके नीचे प्राथमिक पाठशालायें होंगी इसलिये आपको टेक्स देना होगा। पंचायतों के पंचों की यह मांग नहीं थी। उनकी मांग न होने के बाद भी आपको गांव वालों पर शिक्षा के नाम पर सेस लगाना था तो यह केवल गांव वालों पर ही नहीं सारे प्रान्त के लोगों के लिये लागू करते तो उचित था। जब गांव वाले इस टेक्स को देखेंगे तो वे एतराज उठायेंगे और शहर वालों पर लगाने के लिये बाध्य करेंगे तो होगा क्या कि आप म्युनिसिपल विधेयक में भी इस प्रकार का प्रावधान रख देंगे कि जब गांव वाले इस प्रकार का टेक्स देते हैं तो शहर वाले भी दें। मैं समझता हूं यही सोच-समझ कर माननीय मंत्री महोदय ने प्रावधान रखा है। माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने इस बिल के संबन्ध में सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट को प्रस्तुत करते हुए कहा था कि इसमें जो टेक्सेज हैं वे कम्पलसरी टेक्सेज के रूप में नहीं है। यह तो पंचायत समिति की मरजी पर है कि वे चाहें तो उनको लगायें या न लगायें। पैसा वे दान दक्षिणा द्वारा भी प्राप्त कर सकते हैं। जिला समिति के लिये इस प्रकार का प्रावधान रखा है कि उनको टेक्स लगाने का प्रावधान नहीं है। वह चाहे जहां से पैसा ला सकती है इसके अन्दर तय नहीं किया है कि जिला समिति को पंचायत समिति कितना टेक्स देगी। और वैसी हालत में जिला समिति के पास पैसा कहाँ से आयेगा। या तो जिला समिति अपने अधिकारों का दुरुपयोग करे, किसी के साथ सख्ती करे तो वह पैसा कमा सकती है नहीं तो उसको दान के रूप में कौन देगा? राज्य सरकार ही दे सकती है। जो जनता राज्य सरकार को टेक्स देने में घबराती है वहां सरकार को दान देने के लिए कौन आयगा। हमारी सरकार इस विधेयक में ऐसी बात रखे कि सरकार दान दे सकती है। इस प्रकार से कई प्रावधान गलत हैं। इस सम्बन्ध में पुनर्विचार करना चाहिये।

इसके अलावा अब सबसे महत्वपूर्ण बात आती है नियन्त्रण की। राज्य सरकार नियन्त्रण के मामले में सबसे आगे बढ़ी है। नियन्त्रण के लिये कई प्रकार के प्रावधान रखे हैं लेकिन हम देखें कि उन बातों पर नियन्त्रण नहीं जिन बातों से वे पकड़ में आयें और जिन चीजों के लिये विरोध करते हैं उस पर राज्य सरकार का आपने नियन्त्रण रखा है। नियन्त्रण खास तौर से करना चाहिये वह है फाइनेन्सेज पर। उसके बारे में कोई प्रावधान नहीं है। आज रुपयों के दुरुपयोग के बारे में काफी सोच-विचार करते हैं। आखिर हमें देखना है कि ऐसी कौन सी मशीनरी है जिस पर हम विश्वास कर सकते हैं।

हमारे केन्द्र के अन्दर कम्पट्रोलर एण्ड ऑडीटर जनरल की नियुक्ति कर रखी है उसकी ब्रांच हमारे यहां राजस्थान के अन्दर भी है। यहां विधेयक के अन्दर प्रावधान

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

रखा है 'ही मे एज़ ए टेस्ट केस एग्ज़ामिन दी अकाउन्ट्स ऑफ दी पंचायत समिति-अगर इसको नहीं रखते तो कोई बात नहीं थी। लेकिन केवल इस बात के लिए कि हमारे राजस्थान का जो अकाउन्टेन्ट जनरल है उसको इस प्रकार का अधिकार दिया है कि 'ही में एग्जामिन एज़ ए टेस्ट केस। यहां पर अपना जो लोकल आडिट फण्ड है उसको लागू कर दिया। यह जो मशीनरी है और जैसा कल माननीय मुख्य मंत्री जी ने बताया था कि ६ करोड़ रुपये का बजट प्रतिवर्ष पंचायत समिति में लागू होने वाला है। अगर इसका लोकल ऑडिट फण्ड होगा तो हमारे जो हाउस की फाइनेन्शियल कमेटीज़ हैं उनको भी पूरा अधिकार नहीं है कि इन संस्थाओं का अकाउन्ट चैक करें। फिर ऐसी बात भी नहीं है कि इन जिला परिषदों और पंचायत समितियों को राज्य सरकार की ओर से पैसा नहीं दिया जायेगा! आज माननीय सभापति महोदय, हमारे प्रान्त के अन्दर इस प्रकार की संस्थायें हैं जिनको राज्य सरकार अनुदान देती है, राज्य सरकार जिनको ऋण देती है, राज्य सरकार जिनको सबसिडी देती है लेकिन होता क्या है कि जब हम उनको अकाउन्ट्स के बारे में बातें करते हैं तो हमें यह उत्तर मिलता है कि उनके अकाउन्ट्स के प्रति हम जिम्मेवार नहीं हैं। यह कई प्रकार की संस्थायें हैं। भारत सेवक समाज, खादी बोर्ड जिनको सरकार रुपया देती है अगर हम उनको अपने एक्सचैकर से रुपया देते हैं तो हमें उनके अकाउन्ट्स को चैक करने का अधिकार होना चाहिए लेकिन राज्य सरकार कहती है कि इन संस्थाओं का अकाउन्ट्स चैक करने का अधिकार हमारे ए० जी० को भी नहीं है, इसलिए उन संस्थाओं के अकाउन्ट्स की जांच नहीं कर सकते। यहां पर जितनी भी भ्रष्टाचार की बातें आती हैं इस प्रकार की जितनी भी प्राइवेट एजेन्सीज़ हैं उनमें न जाने कितने घोटाले होते हैं। तो राज्य सरकार इन पंचायत समितियों को जितना भी पैसा सरकार देगी उसके जांच का सवाल है, उसको, हमें राजस्थान के ए० जी० के सामने रखना चाहिए। इसके लिए जो आप लोकल ऑडिट फण्ड रख रहे हैं उसको बिल्कुल हटा देना चाहिए। इसकी बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। क्योंकि ऐसी बात नहीं है कि जिला परिषदों और पंचायत समितियों को ऑडिट के लिए फीस न देनी पड़े। यह फीस तो हर एक को देनी होगी। अगर ऐसा नहीं होगा तो हम उसके बारे में सदन में क्वेश्चन नहीं कर सकते और हमारी सदन की अकाउन्ट्स कमेटी भी कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती और उनकी मर्जी आयेगा जैसा करेंगी और सदन में उसके बारे में कोई विवाद नहीं किया जा सकेगा। तो इस सम्बन्ध में जहां राज्य सरकार का नियन्त्रण होना चाहिये वहां तो नियन्त्रण नही है और जहां नियन्त्रण नहीं होना चाहिये वहां नियन्त्रण सरकार करती है। जहां पैसा खर्च हो जाने के बाद में उसको जांचने की बात है इसके बारे में मेरा यही निवेदन है कि जो लोकल आडिट फण्ड है उसको हटाकर राज्य सरकार यह कर दे कि अकाउन्ट्स का आडिट राजस्थान का अकाउन्टेन्ट जनरल करे।

इसके बाद में सुपरसेशन का सवाल है। राज्य सरकार यह क्लाज प्रत्येक बिल में रखती है। जितनी भी लोकल संस्थायें खादी बोर्ड या भारत सेवक समाज हैं जिन को सरकार पैसा देती है और जो हमारे विधेयक

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

के अन्दर नहीं आती हैं इसलिए ही सरकार उनको सुपरसीड नहीं कर सकती, उनमें चाहे जितनी भी गड़बड़ियां हों। लेकिन आज इस विधेयक के द्वारा बनाई गई संस्थायें है उनको अगर सरकार देखे कि उनमें गड़बड़ियां हैं या उनके मेम्बर सरकार की दी हुई हिदायतों का पालन नहीं कर रहे हैं तो सरकार उनको सुपरसिड कर सकती है। तो मैंने एक बात प्रारम्भ में कही थी कि जिला समितियों के अन्दर इलेक्टोरल कालेज बनाकर रखा जाये और उसकी पुष्टि अब बाद में होती है। राज्य सरकार ने मान लीजिये कि फोर दी टाइम बीइंग सुपरसीड किया, उसका अकाउन्ट्स ठीक नही है या मेम्बर राज्य सरकार की बात नहीं मानते हैं और उस पंचायत समिति का री–कान्स्टिट्यूशन होता है तो उसके अन्दर फिर से कौन सदस्य आयेंगे। उसमें से आप एम० एल० ए० को नहीं हटा सकते। इसका मतलब यह हुआ कि वह सारे के सारे एम० एल० एज० जिनको कि सुपरसेशन के समय के पहले रखा था वह वापिस ज्यों के त्यों आ जायेंगे, पंचायत समिति के अध्यक्ष वही के वही वापिस आ जायेंगे, इसके बाद में जो कोआपरेटिव बैंक का अध्यक्ष है वे भी ज्यों के त्यों आ जायेंगे। इसके बाद में अगर यह सब के सब एक मत हुए तो वही सदस्यों को फिर को–आप्ट कर लेंगे। हां, ज्यादा से ज्यादा जो होगा वह केवल इतना सा होगा कि राज्य सरकार उन पंचायत समितियों को ६ महीने काम नहीं करने देगी, १ साल काम नहीं करने देगी, दो साल काम नहीं करने देगी। आखिर जो उसमें एम० एल० ए० होंगे वह तो पांच साल तक बदलने के नहीं तो आप ही बतायें फिर कि कौन सा अन्तर पड़ने वाला है ?...

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री) : आन ए पाइण्ट आफ इन्फॉरमेशन सर, पंचायत समितियों के प्रधान नहीं आयेंगे। अगर किसी पंचायत का सरपंच पंचायत समिति में आ गया तो वह वहां की पोस्ट छोड़ देगा।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : फिर वह इलेक्ट होकर आ जायेंगे, उनकी मैजोरिटी है वह उसके आधार पर आये हैं। सुपरसेशन की आवश्यकता यहां पर क्यों रखी गई है ? इसलिए मैंने कहा था कि जिला समितियों का चुनाव ऐसा करायें कि यदि आप देखें कि वास्तव में यहां गड़बड़ियां होती हैं तो उसके बाद में एक अवसर आप उन लोगों को फिर दें उन लोगों को कि जिन लोगों ने चुनकर भेजा था। जो मतदाता हैं उनको फिर अवसर मिलेगा। अगर राज्य सरकार ने गलत सुपरसेशन किया है तो मतदाता का निर्णय होगा। तब पता यह चलेगा कि राज्य सरकार की इसमें गड़बड़ी है और यदि राज्य सरकार ने अनुचित हस्तक्षेप नहीं किया है तो यह पता लग जायेगा कि वह उनको नहीं चुनेगी, दूसरों को भेज देगी तो इस विधेयक के द्वारा जो राज्य सरकार ने पॉवर्स ली हैं वे इस तरह से नहीं लेनी चाहिए। इससे राज्य सरकार को कोई फायदा नहीं होगा और इस विधेयक के ऊपर इसका विशेष असर नहीं पड़ने वाला है। पंचायत समितियों में भी पंचायतों के सरपंच आने वाले हैं। जैसा कि माननीय रेवेन्यू मिनिस्टर साहब ने कहा कि एक बार पंचायत का सरपंच पंचायत समिति में आ गया तो वह यहां की पोस्ट

Page No.101

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

छोड़ देगा और यहां की पोस्ट होल्ड करेगा। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि हम जल्दबाजी से कोई बातें तय नहीं कर सकते। हमारी राज्य सरकार के ऊपर जो २ अक्टूबर का भूत छाया हुआ है यह जब तक नहीं हटता है। हो सकता है नेहरूजी को आपने निमंत्रण दिया। आपने देखा कि इसके अन्दर कितनी कमजोरियां हमारे सामने आईं और इनको नेहरूजी को कहें। और यातायात मंत्री जी जो १॥ लाख रुपये की लागत का हवाई अड्डा बनवा रहे हैं अच्छा है नागोर में वह खुद भी उतर सकते हैं, रेस्ट हाउस बन रहा है उसको भी बन जाने दीजिए, काम आयेगा। मैं कहता हूँ कि अगर इस तारीख को और आगे बढ़ा दी जाये तो कोई आपत्ति नहीं होगी। यह हम राजस्थान की ४ करोड़ जनता के भाग्य का निर्णय करने वाले हैं। आप देखेंगे कि हमारा म्युनीसिपैलिटी एक्ट था उसके ऊपर कितने समय तक विचार हुआ। प्रथम सत्र में, दूसरे सत्र में और तीसरे सत्र में जाकर वह पारित हुआ और अभी तक राज्य सरकार ने उसको लागू भी नहीं किया है और उसको लागू क्यों नहीं किया है इसलिए कि उसमें कई प्रकार के नये टैक्सेस लगाने हैं उनको लागू करने में राज्य सरकार को डर लगता है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि जो बातें उसमें हैं वे ही बातें इसमें भी आयेंगी। हां, हम नेहरूजी को दिखाने के लिए कह दें कि हमने कहा था कि हमारा नागोर के अन्दर हवाई अड्डा है उसी प्रकार से कह देंगे कि हमारे बिल पर राष्ट्रपति की स्वीकृति आ गई है। सभापति महोदय, मैं इसकी एक धारा को आपको पढ़कर सुनाऊं... इसकी जो आखरी धारा है ७७ वह इस प्रकार से हैं:—

"For the purpose of constituting first Panchayat Samitis and Zila Parishads under this Act, the State Government may by order published in the official Gazette:

(a) direct that this Act shall have effect subject to such adaptations, alterations and modifications as may be specified in the order, and

(b) make such other temporary provisions as may be so specified''.

आखिर में अगर ७७ क्लॉज को पढ़ते हैं तो इसके अन्दर राज्य सरकार ने इतने अधिकार ले लिये हैं कि उन अधिकारों के द्वारा वह सारे विधेयक को ताक में रख सकती है। सारे विधेयक को अगर लागू नहीं करना चाहें तो उसको ताक में रखकर राज्य सरकार मर्जी चाहे जिस ढंग से जैसा भी प्रावधान बनाकर मर्जी चाहे वैसे कर सकती है। जैसा कि इसमें है कि Special provisions for constitution of first Panchapat Samitis and zila Parishads. आखिर में वह राज्य विधान सभा से स्पेसिफाई न करवा कर खुद स्पेसिफाई करेंगे। आज इस विधेयक को प्रस्तुत किया है उसमें यह है कि वे स्पेसिफाई करेंगे। तो ऐसी परिस्थितियां हो सकती हैं कि वे स्पेसिफाई कर सकते हैं कि सारी की सारी जिला परिषदों में एम. एल. ए. नहीं हो सकते हैं। पंचायत समितियों के सदस्य भी राज्य सरकार जो लिस्ट बनाकर देगी वह सारी की सारी लागू होगी। आखिर कौन सा

(श्री जगदीश प्रसाद माथुर)

कानून है जो इस बात को रोक सकेगा ? धारा ७७ में इस प्रकार है। धारा ७५ में पावर टू रिमूव डिफिकल्टीज। धारा ७७ में स्पेशल प्रोविजन्स फार कॉन्स्टीट्यूशन आफ फर्स्ट पंचायत समिति एन्ड जिला परिषद् देते हैं तो राज्य सरकार ही अपना एकछत्र शासन रखेगी। नाम किया डेमोक्रेटिक डिसेन्ट्रेलाइजेशन का और अधिकार सारे ले लिये कि कोई चुनाव नहीं होगा।

मैं, माननीय सभापति महोदय, निवेदन करना चाहता हूं कि जल्दबाजी से कुछ नहीं होगा। मर्जी आये उसको कह दिया कि यह यह सदस्य होंगे और कानून इनके हाथ में रहेगा। चोरी छुपे से आखरी धारा में यह रख दिया है जिससे माननीय सदस्य भूल से अमेंडमेंड पेश नहीं कर सकें। इस प्रकार से आखिरी धारा में प्रोविजन कर दिया है कि जिस जरिये से सर्वाधिकार-सम्पन्न सत्ता राज्य सरकार ने ले ली है। तो आखिर इस विधेयक का क्या अर्थ रहा ? इसलिए मेरा यह कहना है कि केवल इस धारा को पास कर दें। हम राज्य सरकार को वोट दे देंगे। केवल धारा ७७ को पास कर दें कि मर्जी आये जैसे गठन करें। बाकी के विधेयक को पास करने के लिए समय देना चाहिए। आपकी जैसी मर्जी हो वैसे करें इसके लिए धारा ७७ को पास कर देते हैं। यदि आपकी यही मन्शा है कि मर्जी आये जैसे लागू कर दें तो इसको पास कर देते हैं। बाकी का जो विधेयक है उसके ऊपर सदन को गम्भीरता से विचार करने दें। आप २ अक्टूबर का मोह छोड़ दें। इसलिए मेरा यही निवेदन है कि इस विधेयक को गम्भीरता से विचार करने के लिए जल्दबाजी नहीं करें। एक कहावत है कि "जल्दी का काम शैतान का" यह कहावत इस विधेयक के बारे में चरितार्थ न हो जाय।

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर) : माननीय चेयरमैन महोदय, आजादी प्राप्त करने के बाद हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या यह थी कि ५ लाख गांवों के रहने वाले किसान हैं, गरीब लोग हैं उनका जो जीवन स्तर है उसको किस तरह से ऊंचा किया जाय। और उनके अन्दर जो अशिक्षा दरिद्रता और मलिनता है उसको किस तरह से समाप्त किया जाय। एक तरफ हमारा देश आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत ही पिछड़ा हुआ है, दूसरी ओर काफी बड़ी आबादी है। इन सब दृष्टिकोणों से देखते हुये यह उचित समझा गया कि इस विशाल जन संख्या को इस कार्य में लगाया जाय। इसी दृष्टिकोण से देखते हुए जो नेशनल एक्सटेन्शन ब्लाक्स वगैरह खुले उनके ७ वर्षों के वर्किंग के बाद नतीजा देखते हैं तो यह स्पष्ट नजर आता है जिसको कि नेशनल एडवाजरी कौन्सिल और बलवन्तराय मेहता कमेटी ने मन्जूर किया है। उनका भी यह स्पष्ट निर्णय है कि जिस दृष्टिकोण से और जिस कार्यपद्धति से ब्लाक्स के अन्दर कार्य कर रहे हैं वह भारत में असफल रहा है। और इसी दृष्टिकोण को लेकर बलवन्तराय मेहता कमेटी ने अपनी रिपोर्ट के पेज २३ पर कहा है—

"Development can not progress without responsibility and power. Community development can be real only when the Community understands

(श्री मोहनलाल भटनागर)

its problems, realises, its responsibilities, exercises the necessary powers through its chosen representatives and maintains a constant and intelligent vigilance on local administration. With this objective we recommend an early establishment of statutory elective local bodies and devolution to them of the necesasary resources, power and authority."

तो, माननीय सभापति महोदय, इसी दृष्टि-को लेकर हमारे देश में डेमोक्रैटिक डिसेन्टलाइजेसन की बात की जा रही है, और इसी दृष्टिकोण को लेकर हमारी इस विधान सभा में यह बिल आया हुआ है।

माननीय सभापति महोदय, मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि डेमोक्रेटिक डिसेन्ट्रेलाइलेशन के बिल को लेकर और इस चीज को लेकर हमारे राजस्थान के अन्दर जो प्रचार और प्रकाशन किया गया है, और उसको देखते हैं कि लोगों के अन्दर जो उत्साह की भावना पैदा की गई है उससे गलतफहमी भी उत्पन्न हो गई है। उसका भी निराकरण होना बड़ा आवश्यक है। डेमोक्रेटिक डिसेन्ट्रेलाइजेशन को लेकर जैसा कि स्पष्ट था कि विकास योजनाओं में डेमोक्रेटिक डिसेन्ट्रेलाइजेशन करना है, दूसरे जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के अन्दर, लॉ एण्ड आर्डर के अन्दर और दूसरी बातों के अन्दर डेमोक्रेटिक डिसेन्ट्रेलाइजेशन नहीं नहीं होने वाला है। लेकिन जो कुछ प्रचार और प्रकाशन किया गया है उससे लोगों के अन्दर एक ऐसी धारणा उत्पन्न हो गई है कि सारे के सारे प्रशासन का विकेन्द्रीकरण होने जा रहा है। माननीय सभापति महोदय, यह बिल्कुल सत्य है कि आजादी के इतने वर्ष गुजर जाने के बाद भी आम लोगों की जो स्थिति है, हमारे सरकारी कर्मचारियों के कार्य करने की जो प्रणाली है, जो भृष्टाचार है, उसको देखते हुए, आज यहां के लोग तबाह हो चुके है। (विपक्ष की ओर से करतल ध्वनि) तो एक ऐसे रास्ते की आवश्यकता है जिससे यह तबाही मिट सके। इसी रास्ते को सोचने के लिए यह बिल लाया गया है।

माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आज सोशलिस्टिक पेटर्न आफ सोसाइटी के बारे में हम बातें करते हैं, और हमारे देश ने इस आर्थिक व्यस्था को अपना लिया है। सोशलिस्टिक पेटर्न आफ सोसाइटी के अन्दर सबसे बड़ी बात यह है कि केन्द्रीकरण की ओर जनता जा रही हैं, जिसको कि हमारे राष्ट्रपति महोदय ने अपने १५ अगस्त के भाषण में इंगित किया था कि आज जनता सरकार की ओर ज्यादा जा रही है, और केन्द्रीकरण की ज्यादा भावना उत्पन्न हो रही है। पुराने जमाने के अन्दर हम देखते है कि प्रत्येक गांव के अन्दर करीब २ एक तालाब बना हुआ है। कहीं पर चौराहे बने हुए हैं। कहीं पर मन्दिर बना हुआ है, और अपनी देशीय भावना को लेकर सरकार ने किसी को मदद नहीं दी। व्यक्तिगत तौर तौर पर गांव वालों ने मिलकर यह कार्य किया है। आज हम देखते है कि वह कॉम्युनिटी की भावना समाप्त हो रही है। आज हम हर काम के लिए सरकार की ओर मुंह देख रहे हैं। जो कुछ काम्यूनिटी डेवलमेंट के अन्दर वर्क किया गया है उसमें हम सभी देखते है कि पाठशालायें बनी है। कुएँ भी बनाये जाते

(श्री सोहनलाल भटनागर)

हैं जिसको कि हम सोशल वेलफेयर का कार्य कह सकते हैं उसके अन्दर जरूर जनता का उत्साह दिखाई देता है।

आज हमारे देश की मुख्य समस्या प्रोडक्शन को बढ़ाने के बारे में है। उसके बारे में जनता की ओर से कोई उत्साह नहीं है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि एक बात और हम देखते हैं और कई माननीय सदस्यों ने एक बात कही है, जैसा कि मैंने पहले निवेदन किया है कि लोगों में एक भ्रान्त धारणा है कि दूसरे क्षेत्रों में विकेन्द्रीकरण क्यों नहीं किया गया? पाली से आने वाले माननीय सदस्य ने यह भी कहा कि भूमि के ऊपर ८०, ९० फी सदी आदमी है। भूमि सुधारों को लेकर उनको कार्यान्वित करने के लिए, लेण्ड पालिसी को एडमिनिस्टर करने के लिए, पंचायतों में उसका विकेन्द्रीकरण क्यों नहीं किया गया? माननीय सभापति महोदय, जैसा कि मैंने पहले निवेदन किया कि इसके अन्दर, विकेन्द्रीकरण के अन्दर केवल एक ही बात छिपी हुई है कि जो विकास के कार्य हैं उनके बारे में विकेन्द्रीकरण है। दूसरे स्फीअर के अन्दर जहाँ जहाँ मौका है सरकार ने आज भी ऐसे नियम बनाये हैं कि जिससे लोगों को पंचायत के चुने हुए नुमायन्दने का उसके अन्दर सहयोग लिया जाता है, जैसा कि लेण्ड एलाटमेंट के सिस्टम को लें ले। लेण्ड एलाटमेंट के मामले में तहसील पंचायत और एम. एल. एज. का समावेश किया गया है। इसी तरह से दूसरे जो म्युटेशन के केसेज़ हैं उनके अन्दर भी पंचायतों को कार्य दिया गया है। इसलिए धीरे धीरे हम देखते है कि दूसरे क्षेत्रों के अन्दर भी यह कार्य किया जा रहा है।

यहां यह बात भी समझनी है कि जैसा कि कई लोगों की धारणा है कि अनडेवलप्ड कन्ट्रीज के अन्दर कोई भी वकेन्द्रीकरण इतनी शीघ्रता से नहीं कर देना चाहिए जिससे कि चलते हुए ढाँचे में खराबी आ जाय। एक बात स्पष्ट है कि विकेन्द्रीकरण के बाद और ज्यादा, हो सकता है कि शिथिलता आ सकती है, गड़बड़ हो सकती है। इस दृष्टिकोण से बलवन्तराय मेहता कमेटी ने भी कहा है कि दूसरे क्षेत्रों में जैसे कि जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के मामले हैं तथा दूसरी बातें हैं उनके अन्दर भी धीरे धीरे जैसे जैसे हम इसके अन्दर अनुभव प्राप्त करें, दूसरे क्षेत्रों का भी विकेन्द्रीकरण होना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, अब मैं इस बिल की बातें लेता हूं। सबसे पहले इसमें आता है कम्पोजीशन आफ दी पंचायत समिति। इसको हम देखते हैं तो कुछ बलवन्तराय मेहता कमेटी ने अपने निर्देश दिये थे, जो कुछ सुझाव दिये थे उनमें और हमारे इस बिल में क्या अन्तर देखते हैं? बलवन्तराय मेहता कमेटी ने सबसे पहले वह बात बताई थी कि जो इलेक्टोरेज पंचायत होंगी उनमें से एक एक आदमी चुना जायेगा और वह मेम्बर होगा। इसके विपरीत सरकार ने यह प्रावधान रखा है कि पंचायत का सरपंच इसका सदस्य होगा। कई माननीय सदस्यों ने इस पर आपत्ति की है लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो कुछ प्रावधान इसमें है वह ठीक है क्योंकि हम देखते हैं कि पंचायतों में ज्यादातर जो एडमिनिस्ट्रेशन का कार्य है, या जो विकास के कार्य हैं उनमें ज्यादा तव्वजेह या ज्यादा इन्ट्रेस्ट सरपंच लेते हैं और अपने क्षेत्र के सारे गांवों

(श्री सोहनलाल भटनागर)

की हालत वे ठीक तरह से जानते हैं। इस तरह के एग्जीक्यूटिव हैड को लिया जाता है तो यह ठीक है। यदि चुनाव किया जायेगा या इन्डाइरेक्ट इलेक्शन होगा तो आपसी राइवलरीज उभरेंगी और राजनैतिक भेदभाव ज्यादा उभरेंगे। इस दृष्टिकोण से जो संशोधन किया गया है वह बिल्कुल ठीक है।

सभापति महोदय, मैं दूसरी बात यह निवेदन करना चाहता हूं कि ओरिजिनल बिल में कृषि पंडित को लेने की बात रखी थी कि उसको भी मेम्बर बनाया जायगा। इसके बदले में कृषि निपुण कर दिया है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं निवेदन करूंगा कि यदि बलवन्तराय मेहता कमेटी की रिपोर्ट को देखें तो उसमें साफ लिखा है कि जो मेम्बर्स हैं उनके अलावा और किसी को मेम्बर नहीं रखा जायगा। तो जब अधिकांश आदमी चुन लिये जाते हैं तो फिर कृषि निपुण की कोई आवश्यकता नहीं रहती है। आज यह प्रजातन्त्र के युग में टाइटल्स को को खत्म करना चाहते हैं लेकिन उसके बदले में नये नये टाइटल्स पैदा करना अच्छा नहीं होगा। कृषि निपुण का इस बिल में जो प्रावधान है उसके लिये क्या काइटेरिया रहेगा और कौन कृषि निपुण होगा यह निश्चय करना पड़ेगा। बलवन्तराय मेहता कमेटी ने भी कहा है कि इसकी आवश्यकता नहीं है। एक बात यह भी है कि ग्राम पंचायतों में जो लोग हैं वे भी अधिकांश कृषक समाज में से ही आते हैं और वे कृषि को ठीक तरह से समझते हैं। उसके बाद में कृषि निपुण की कोई आवश्यकता नहीं रहती है।

(श्री मुरलीधर व्यास सभापति, पदासीन)

दूसरी बात जो दिक्कत की आने वाली है सभापति महोदय, वह है दो औरतें पंचायत की सदस्या होंगी। मैं विधान सभा की महिला सदस्याओं से माफी चाहूंगा....

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर): इस समय उनमें से कोई नहीं है। आप बेधड़क बोलिये।

श्री सोहनलाल भटनागर : मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इसमें अवश्य दिक्कत आयेगी। जब छोटी छोटी म्युनिसिपैलिटीज में स्त्री सदस्याओं को नियुक्त करने का प्रश्न आता है तो कभी कभी इसमें दिक्कत आती है और कम से कम पिछड़े क्षेत्र में तो ज्यादा दिक्कत आती है। यदि आप औरतों को खाली नाम के लिए ही रखना चाहते हैं तो ऐतराज नहीं है। लेकिन कार्य कर सकें ऐसों को रखना कठिन होगा....

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री): एक महिला होनी चाहिये या दो ?

श्री सोहनलाल भटनागर : एक ही होनी चाहिए लेकिन वह भी मिलेगी नहीं और आप दिक्कत महसूस करेंगे। इसमें जैसा कि पहले ओरिजिनल बिल में मैंने देखा था और बलवन्तराय मेहता कमेटी ने भी खुलासा दिया है कि जो छोटी म्युनिसिपेलिटीज हैं उनका एक प्रतिनिधि भी रखा जाय लेकिन इस बिल में यह चीज हम नहीं देखते हैं। सरकार यह कह सकती है कि क्योंकि ८ हजार से नीचे की आबाद वाली जो म्युनिसि-पेलिटीज हैं उनको समाप्त करके उनके स्थान पर पंचायत रखेंगे लेकिन मैं निवेदन करूंगा कि ८ हजार से ऊपर की म्युनिसिपेलिटीज में भी रूरल करेक्टर होता है उसको देखते हुए

(श्री सोहनलाल भटनागर)

और जब कि मेहता कमेटी ने भी सिफारिश की है तो रूरल म्युनिसिपेलिटीज का भी प्रतिनिधि रहना चाहिये। ऐसा सुधार इसमें होना आवश्यक है।

एक काफी कंट्रोवरशियल बात है एम. एल. एज. के बारे में। कई माननीय सदस्यों की राय है कि विधान सभा के सदस्य इनके मेम्बर होने चाहिए और कइयों की राय है कि नहीं होने चाहिए। मेरी यह निश्चित धारणा है कि विकेन्द्रीकरण की बात जब हम करते हैं तो पदों का विकेन्द्रीकरण करना भी बहुत आवश्यक है। इस दृष्टिकोण से एम. एल. एज. को फुलफ्लेज्ड मेम्बर भले ही नहीं रखे लेकिन जब ऐसा प्रावधान रखा है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल के ओफिसर्स जाकर मीटिंग में भाग ले सकते हैं। इसी तरह से एम. एल. एज. जो अपने क्षेत्र के विकास कार्यों से भली तरह से परिचित हैं, इस दृष्टिकोण को लेकर यदि वे वहां जाना चाहें और भाग लेना चाहें तो ले सकते हैं यदि यह व्यवस्था करते हैं तो कोई गड़बड़ नहीं होने वाली है। पंचायत समितियों का नया निर्माण होने वाला है और उनको ऐसी नौकरशाही से जिनकी सत्ता जाने वाली है उनसे प्रत्यक्ष नहीं तो परोक्षरूप से टक्कर लेनी पड़ेगी। ऐसी अवस्था में उनको फ्रेन्ड, फिलोसफर और गाइड की आवश्यकता पड़ेगी और वह उन्हें एम. एल. एज. के रूप में मिल सकते हैं।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : Atleast you are one of them.

(हँसी)

श्री सोहनलाल भटनागर : मैं आपको भी समझता हूं।

(हँसी)

अब प्रश्न आता है कोओपशन के बारे में मीटिंग काल की जाय उसका अध्यक्ष कौन रहे। इस बारे में डिटेल में तो जब क्लाज बाई क्लाज डिसकशन चलेगा उस समय निवेदन करूंगा लेकिन हमने व्यवस्था की है कि उच्च केलिबर या केडर के कलेक्टर या एडीशनल कलेक्टर हों वह प्रिसाइड करे। लेकिन मैं निवेदन करूंगा कि पंचायत समितियां काफी संख्या में बनाई जायेंगी। म्युनिसिपैलिटीज के चेयरमेन का चुनाव होता है उस समय भी एस. डी. एम. या मुंसिफ को रिटर्निंग ओफिसर बनाते हैं तो यदि कलेक्टर या एडीशनल कलेक्टर वहां नहीं पहुंच सके तो मुंसिफ या एस. डी. एम. के केडर के ओफिसर को कोओप्शन की मीटिंग को प्रिसाइड करने का लिये रखा जाय तो यह कोई गलत बात नहीं होगी। एक बात कोओपशन के बारे में मुझे यह निवेदन करनी है कि दो आदमियों का कोओपशन करना है लेकिन बिल में यह प्रोविजन रख दिया गया है :

"It shall not be necessary that the persons mentioned in clause (vi) reside in the block, but they must be residing in the district in which the block is situated".

इसके बारे में भी मैं निवेदन करना चाहूँगा कि यह जो दो कोओप्टेड मेम्बर्स की बात है उनके बारे में व्यवस्था है कि ब्लोक एरिया का ही रहनेवाला होना जरूरी नहीं है उसका केवल डिस्ट्रिक्ट में रहना ही काफी है। इसके लिये बलवन्तराय मेहता कमेटी ने कहा है कि ब्लोक एरिया में रहना जरूरी है। यदि हम चाहते है कि गांववालों का कार्य ठीक तरह से करे और यदि हम चाहते हैं कि शहरवाले जिनका गांवों से तालुक नहीं रहता

(श्री सोहनलाल भटनागर)

वे गांव वालों पर रौब नहीं जमावें या उनको दबावें नहीं तो यह प्रोविजन ठीक नहीं है। डिस्ट्रिक्ट में रहनेवाले वे लोग आयेंगे जो म्युनिसिपल एरिया में रहते है। इसलिये मैं निवेदन करूँगा कि ब्लॉक एरिया में रहनेवालों का ही कोऑप्शन होना चाहिये। डिस्ट्रिक्ट में रहनेवालों के लिये जो प्रोविज़ो एड किया गया है वह गलत है।

सभापति महोदय, क्लॉज १६ के अंतर्गत जो पंचायत समितियों का वर्किंग है वह कमेटीज के मार्फत होनेवाला है उसकी तीन कमेटीज होंगी (१) प्रोडक्शन सब-कमेटी (२) सोशियल सर्विस और (३) फाइनेन्स। यह व्यवस्था है वह ठीक है।

अब सबसे बड़ा प्रश्न जो उत्पन्न होता है वह है क्लॉज १६ का। फाइनेन्स की आपकी जो सब-कमेटी है उसको देखते है और शिड्यूल में उसके पॉवर्स को देखते है तो उसमें ६५ आइटम्स है। इन आइटम्स को देखें तो इनमें ज्यादा तर आइटम्स वे ही हैं जिनमें लोगों से श्रमदान लेना है। इसको नौकरशाही ने बड़ी चालाकी से रखा है क्योंकि वे देखना चाहते है कि ब्लॉक्स का जो कार्य अनसक्सेजफुल रहा है उसको किस तरह से चुने हुए लोग सक-सेजफुल कर सकते हैं। तो मैं निवेदन करूँगा कि दूसरे अधिकारों की बात सरकारी कर्मचारियों के लिये रखी और श्रमदान कराने और टैक्स लगाने का कार्य केवल पंचायत समितियों के लिये रखा तो उसमें सफलता मिलनेवाली नहीं है। यह एक सद्भावना हो सकती है कि जनता के चुनिन्दे लोग श्रमदान अच्छी तरह से ले सकते है और सरकारी कर्मचारी ठीक तरह से नहीं ले सकते तो उन लोगों का श्रमदान लेने जाना और सहयोग लेना कठिन होगा क्योंकि एक बार जो सरपंच या प्रधान चुन लिया जायगा इसके बाद लोगों का दृष्टिकोण इसके प्रति बदले जाने वाला है इसलिये उसको भी दिक्कत होगी। इसलिये मेरा निवेदन है कि उनसे केवल श्रमदान और जनहित का काम ही नहीं लिया जाय बल्कि और भी काम उससे लिया जाय।

माननीय सभापति महोदय, एक बात यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो पॉवर्स ऑफ प्रधान के पॉवर्स हैं, पावर्स ऑफ विकास अधिकारी हैं, के पॉवर्स जो बिल हमारे सामने सलेक्ट कमेटी से आया है, उसमें इसे काफी इलेबोरेटली स्पष्टीकरण कर दिया गया है। मैं समझता हूँ यह ठीक है। प्रधान के साथ ही साथ हमारी पंचायत समिति के नीचे एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के लिए विकास अधिकारी रहने वाला है, जब कि ओरिजिनल बिल में यह भ्रांतिपूर्ण और एम्बीगुअस था, उसको सलेक्ट कमेटी ने ठीक किया है।

एक बात स्टाफ के बारे में है। सभापति महोदय, विकेन्द्रीकरण में दूसरी कोई बड़ी चीज है तो वह यह है कि स्टाफ की नियुक्ति, ट्रान्सफर का जो कार्य है, वह किसके हाथ में रहने वाला है। इसके लिए दो विचारधारायें हो सकती हैं, एक तो यह हो सकती है कि चुने हुये व्यक्तियों के हाथ में रहे, दूसरी यह हो सकती है कि सारा स्टाफ अगर चुने हुये आदमियों के हाथ में दे दिया जायगा तो निश्चित बात है कि पार्टी पोलिटिक्स इसमें घुसेगी, सरकारी कर्मचारी चुने हुए व्यक्तियों की तरफ अपने लाभ के लिए

(श्री सोहनलाल भटनागर)

देखेंगे। इसलिये यह व्यवस्था की गई है कि राजस्थान पंचायत समिति सबोर्डिनेट सर्विस कायम की जाय। यह एक नई चीज है और जो गड़बड़ियां हो सकती हैं अपॉइन्टमेंट, ट्रान्सफर आदि में, वे नहीं होंगी। यह सुन्दर व्यवस्था रखी है।

इसके बाद दूसरी व्यवस्था रखी है कि जो अपॉइन्टमेन्ट वगैरह होंगे, उसके लिए एक सलेक्शन कमेटी होगी, उसमें प्रधान होगा, दो सदस्य होंगे, जो नॉन-ऑफिशियल्स होंगे। इन सारे दृष्टिकोणों को देखते हुए स्टाफ की बात ठीक है, वर्ना मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि पंचायत समिति का काम फेल होने वाला है यदि थोड़ा बहुत रेस्ट्रिक्शन नहीं रखा गया और पंचायत समिति के सदस्यों पर इसको छोड़ दिया गया। जैसे हम डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और दूसरी चुनी हुई संस्थाओं में देखते हैं। तो स्टाफ का जो प्रश्न है, इसके लिए अलग व्यवस्था होनी चाहिये। इसका समावेश किया गया है, यह ठीक किया है।

एक बात रहती है फाइनेन्स के बारे में। माननीय सभापति महोदय, यह निश्चित बात है कि हमारे देश के अन्दर ये जो संस्थायें अगर फेल हुई हैं, अगर कार्य नहीं कर सकी हैं तो उसका मुख्य कारण यह है कि जो फाइनेन्स की हालत है, वह खराब रही है और इसलिए बहुत जरूरी है कि फाइनेन्स की हालत को ठीक किया जाय और फाइनेन्स के लिए इसमें एक तो टैक्सेशन लगाने की पॉवर्स दी हैं, दूसरे माइनिंग का फायदा दिया है, तीसरे लैंड रेवेन्यू का शेयर दिया है। इसके बारे में कहा गया है कि ४० परसेन्ट देना चाहिये पंचायत समिति को, जैसा कि बलवन्तराय मेहता कमेटी रिपोर्ट में दिया है। मेरा निवेदन है कि जो व्यवस्था की है, वह बिल्कुल ठीक नहीं है। जैसा कि सीकर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि यदि म्युनिसिपल कमेटी में प्रति व्यक्ति ८ आना देते हैं तो यहां चार आना न देकर ८ आना दे देते तो व्यवस्था ठीक होने वाली है। एक दूसरे टैक्सेशन के जो अधिकार पंचायत समिति को दिये हैं, को कम्पलसरी नहीं कहा जा सकता। यह ठीक है कि अभी तक बिना टैक्सेशन के कई विकास कार्य चल रहे हैं। अब नये टैक्सेज के अधिकार पंचायत समिति को देते हैं तो जनता में भ्रांति फैलने वाली है और चुने हुए आदमी, जिन पर आशा लगाये बैठे हुए हैं कि विकास कार्य में प्रगति करेंगे, वे निश्चित तौर से इसमें असफल होंगे। टैक्सेशन के सिद्धान्त को लेकर सरकार ने सोच कर एक प्रावधान रखा है, उसके लिए एक बात निवेदन कर दूं। यह ठीक है कि एन्टरटेनमेंट टैक्स पंचायत समिति को दे दिया। वैसे देखा जाय तो यह म्युनिसिपैलिटीज को अधिकार दिया हुआ था। जो एन्टरटेनमेंट टैक्स बिल आया था, उसमें यह रखा गया कि इसमें एक रूपता नहीं है, कार्य प्रणाली ठीक नहीं है, इसलिए सरकार को उसका मीडियम बनाया जाय और वह टैक्स सरकार द्वारा वसूल किया जाकर लोकल इन्स्टिट्यूशन्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाय। इसमें देखते हैं कि क्योंकि एक अधिकार और ज्यादा मिल जाय, एक अधिकार ज्यादा नजर आने लगे। इस लिए एनटरटेनमेंट टैक्स का प्रावधान बढ़ा दिया गया। इससे फायदा नहीं होने वाला है क्योंकि एनटरटेनमेंट टैक्स का पंचायतों में काम पड़ता नहीं है। दूसरे

Page No.109

(श्री सोहनलाल भटनागर)

म्युनिसिपेलिटीज के लिए सरकार वसूल करेगी और पंचायत समिति के लिए पंचायत समिति खुद वसूल करेगी। इसलिए दोनों दृष्टिकोणों में एक रूपता लानी चाहिए। अगर सरकार म्युनिसिपेलिटीज के लिए वसूल करती है वैसे ही पंचायतों के लिए करें और बाद में ट्रान्सफर हो जाता है तो गड़बड़ी नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, जिला परिषद् को लेकर काफी बातें कही गई हैं। कई माननीय सदस्यों की राय है कि जिला परिषद् सुपरफ्लुअस बॉडी है। हम इसके फंक्शन्स को देखें तो विदित होगा कि जिला परिषद् पंचायत समिति का बजट पास करेगी, कॉर्डिनेट और कन्सोलिडेट करेगी प्लान के कार्यों को सुपरवाइज करेगी पंचायत समिति के कार्यों को। तीनों दृष्टिकोणों से देखें तो अगर पंचायत समिति के बजट को जिला परिषद् को न भेजें तो क्या नतीजा होने वाला है? क्या सरकार, जो उनकी समस्याओं को नहीं समझती है, के पास बजट जाय और जिला परिषद् के पास न जाय। मैं समझता हूं कि बजट पास करने की बात है, वह ठीक है, उसके लिए जो प्रावधान रखा गया है, सो भी ठीक है। दूसरे जो एडहोक ग्रान्ट मिलती है, उसको डिस्ट्रिक्ट डवेलपमेंट कमेटी में देखते हैं कि कुंए, तालाब आदि की तरक्की के लिए यह जिस मिकदार में मिलता है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन इक्वीटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है इस तरह डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। इस लिए जो जिला परिषद् का यह फंक्शन है, यह ठीक रहेगा। तीसरे मेचिंग ग्रान्ट देने वाले हैं, उसके डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जिला परिषद् को अधिकार देना ठीक रहेगा। चौथे जो प्रोविजन नीचे रखा है, जहाँ योजनायें आदि नहीं है, वहां के लिए योजनाओं का निर्माण करना है, तो इस दृष्टिकोण को रख कर जिला परिषद् का योजनाओं को कन्सोलिडेट करना है, तो यह जरूरी है कि जिले के लेवल पर एक संस्था का निर्माण हो, जो सारे जिले के विकास कार्यों को ठीक तरह से देख सके, इस लिए जो कुछ इसके बारे में व्यवस्था रखी गयी है, वह ठीक है (घंटी) इसके अलावा जो दूसरे वर्क आदि के लिए रखा है, वे ठीक हैं।

माननीय सभापति महोदय, एक और प्रश्न रहता है और वह यह है कि इसमें कई चैक्स और बेलेन्सेज रख दिये गये हैं, उसके सम्बन्ध में फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि प्रजातन्त्र पर नौकरशाही हावी हो जायगी। मैंने सारे बिल को देखा तो दो तीन प्रावधान है, जिसमें हो सकता है कि सरकार और दूसरे कर्मचारी बीच में आवें लेकिन सभापति महोदय, यह निश्चित है कि डेमोक्रेसी में खाली अधिकार की बात करना ठीक नहीं है, हर एक अधिकार के साथ कर्तव्य लगा रहता है। यह ठीक है कि पंचायत समिति और जिला परिषद् अपना कार्य सुचारु रूप से नहीं करती है और हम देखते हैं कि उसकी कार्य प्रणाली में गड़बड़ी है तो निश्चित तौर से सरकार को बीच में आना चाहिए वरना तो वे ही सदस्य कहेंगे कि पंचायत समिति में कांग्रेसी सदस्य हैं, इस दृष्टिकोण से वहां इतनी गड़बड़ी हो रही है लेकिन सरकार बीच में नहीं आ रही है। जब तक सुपरसैशन का और रिमूवल का प्रावधान नहीं रहेगा तब तक अंकुश नहीं रहता है। हमने म्युनिसिपेलिटीज बिल में देखा है, पंचायत एक्ट में देखा है, ऐसे प्रावधान मौजूद है। यह बात निश्चित है कि ऐसे प्रावधान बहुत कम काम में लिये जाते हैं

(श्री सोहनलाल भटनागर)

केवल इमर्जेन्सी के टाइम में काममें लिये जाते हैं ताकि ठीक वर्किंग होसके। गांवों में लॉ एण्ड ऑर्डर की समस्या पैदा हो सकती है, आज जो परिस्थिति है, उसके अन्दर हम देखते हैं कि पंचायतों में गड़बड़ी होती है, एम्बेजलमेंट होते हैं, तो इस दृष्टिकोण से सरकार का बीच में होना ठीक है। जब हम सोशल पेटर्न सोसाइटी का निर्माण करने जा रहे हैं और सरकार में सत्ता रख रहे हैं तो इस दृष्टिकोण से सुपरसैशन की बात, नियन्त्रण कीबात रखी जाती है तो उसका गलत उपयोग होने वाला नहीं है....एक बात, माननीय चेयरमैन, मैं और निवेदन करना चाहूँगा, जैसा कि बलवन्तराय मेहता कमेटी ने कहा था कि जिला परिषदों के अध्यक्ष कलेक्टर रहेंगे, इसको तरमीम कर के नॉन ऑफिशियल्स को अध्यक्ष रखने का कर दिया है। इसमें संतोष मान सकते हैं कि नॉन ऑफिशियल्स को इतना ऊँचा दर्जा और अधिकार दे रहे हैं। दूसरे प्रावधानों को देखें तो कलेक्टर और डिस्ट्रिक्ट डवेलपमेंट ऑफिसर के अलग अलग फंक्शन्स इनमें डिस्क्राइब किये हैं, जब कि दोनों काम करने वाला एक कलेक्टर ही है, इन दोनों को एक ही में रखते तो कोई एतराज नहीं होता। इन ऑफिसर्स के इन फंक्शन्स को देखें तो सुपरवाइजरी कंट्रोल के फंक्शन्स हैं। यदि इन्हें इनका अध्यक्ष रखा जाता तो ये लोग अध्यक्ष ही रहते, पर इसमें सुपरवीजन के तौर पर ऊँचे दर्जे के ऑफिसर को कार्य सौंपा हुआ देखते हैं तो इससे शक होता है कि नौकर-शाही यह बात चाहती थी कि कलेक्टर रहेंगी तो अध्यक्ष ही रहेंगे, सेक्रेटरी नहीं रहेंगी, तो सरकार ने कलेक्टरों की बात को मान कर ऊँचा दर्जा सरकार ने कलेक्टरों को दिया है।

एक बात और निवेदन करना चाहता हूँ।

(समय सूचक घंटी)

थोड़ा और निवेदन करना चाहता हूँ सभापति महोदय,.......

श्री सभापति : समय का भी विकेन्द्रीकरण करना है।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : मिस्टर चेयरमैन...

श्री सभापति : अभी तो वे बोल रहे हैं।

श्री श्रीभानसिंह : अब तो वे बैठ गये साहब।

श्री सभापति : समाप्त कर दिया ? श्री श्रीभानसिंह।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : मिस्टर चेयरमैन, जो प्रस्ताव माननीय सदस्य फुलेरा से आये हैं उन्होंने रखा है कि इस बिल को री-रेफर किया जाय सलेक्ट कमेटी में, मैं इसके सपोर्ट में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। और इसलिए सपोर्ट में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ कि इस बिल ने हमारी असेम्बली में नई परम्परा डाली है, वह नई परम्परा यह है कि सलेक्ट कमेटी की मंशा कुछ है और बिल में उसका कन्ट्राडिक्टरी कुछ और रखा जाय, सेलेक्ट कमेटी में अमेंडमेंट

(श्री श्रीभानसिंह)

कुछ और पास हो और बिल में कुछ और ही रख दिया जाय, सलेक्ट कमेटी जिस चीज को डिलीट करना चाहती है तो वह बिल में मौजूद है...

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : इसलिए कि सलेक्ट कमेटी के पॉवर भी डी-सेन्ट्रलाइज हो जायं।

(हँसी)

श्री श्रीभानसिंह : जहां बिल में इस तरह की डिस्क्रिपेन्सीज हैं तो यह इस चीज के लिए सबसे बड़ा आर्ग्युमेंट है कि इस बिल को सलेक्ट कमेटी को रीरेफर किया जाय। डीसेंट्रेलाइजेशन के सिद्धान्त को हाउस ने मान लिया है पर चूंकि इस प्रकार की डिस्क्रिपेन्सीज रह गई हैं इसलिए यह इस रूप में हाउस में पेश नहीं हो सकता।

दूसरे में इसको सरकार का प्रगतिशील कदम जरूर मानता हूँ पर सरकार के सामने प्रोब्लम है, जिसको कहा जाय टू बी और नॉट टू बी। एक तरफ सरकार विकेन्द्रीकरण का प्रगतिशील कदम उठाना चाहती है और दूसरी तरफ कुछ डरती भी है। क्यों डरती है, किन कन्डिशन्स से डरती है, किन तबकों से डरती है यह मैं नहीं कह सकता पर इस डर की वजह से जनता में कन्फ्यूजन फैल गया, उसका नतीजा यह हुआ कि हाउस में भी कन्फ्यूज़िव वर्स कन्फाउन्डेड हो गया।

एक बात यह है कि मेहता कमेटी की रिपोर्ट को बाइबिल मानते हैं मैं इसे बाइबिल नहीं मानता, मैं उन व्यक्तियों में से हूँ जो सत्ता के विकेन्द्रीकरण की बाइबिल मेहता कमेटी की रिपोर्ट को नहीं मानते। हर एक इन्स्टिट्यूशन में बीमारी होती है, इकोनोमिकल बीमारियां होती हैं जो हर इन्स्टिट्यूशन में फैलती हैं। हमारी इकोनोमी में बीमारी है उसके लिए सजेशन मेहता कमेटी ने दिया पर उसको विकेन्द्रीकरण की बाइबिल मानें, जिसका रेफरेंस सदन में बार बार दिया जाता है कि मेहता कमेटी की रिपोर्ट में यह है, तो मैं इस राय का हूं कि जो बीमारी है उस बीमारी के लिए मेहता कमेटी ने कुछ नहीं कहा।

थ्री टायर सिस्टम मेहता कमेटी ने सजेस्ट किया है, पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद् यह थ्री टायर सिस्टम सजेस्ट किया है यह हायर्की इन्स्टिट्यूशन्स है। आप डीसेन्ट्रेलाइजेशन का कहते हैं और जनता पर इतने इन्स्टिट्यूशन्स थोपते हैं, जनता पर जितने ज्यादा इन्स्टिट्यूशन्स थोप दिये और इस तरह विकेन्द्रीकरण कर लिया तो इससे पैसा ज्यादा खर्च होगा और कन्फ्यूजन पैदा होगा। ग्राम पंचायत, तहसील पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद्, जिला परिषद् के होने के बाद न्याय पंचायत, मौजूदा तहसील पंचायत क्या काम करेंगी, गवर्नमेंट को एक ढांचा सोचना चाहिए। इस ढांचे से इकोनोमिक डवेलपमेंट के लिए ग्राम पंचायतें रखीं, गवर्नमेंट नहीं बता सकती कि वे ग्राम पंचायतें केसेज भी ट्राई करेंगी, तो फिर आखिर उनका मकसद क्या है।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री) : आप जैसा ख्याल कर रहे हैं, न्याय पंचायतों का तो इसमें प्रोविजन नहीं है।

श्री श्रीभानसिंह : यह तो अफसोस की बात है कि जब हम डीसेन्ट्रेलाइजेशन का बिल ला रहे थे तो कम्प्रेहेन्सिव बिल लाना चाहिए

(श्री श्रीमानसिंह)

था, जिसको कि जनता के सामने क्लीयर पिक्चर होती कि हम इस तरह की पंचायतें चाहते हैं। वह नहीं करके हमने आवश्यक अमेंडमेंट कर दिये और पुराने इन्स्टिट्यूशन्स को रखा और इधर नई इन्स्टिट्यूशन्स क्रियेट कर दी। पंचायत सर्कल जिनसे आपकी पंचायतें बनी हैं, कहा यह जाता है कि ग्राम पंचायतें छोटी की जायेंगी पर यह निश्चय से नहीं कहा जा सकता, फिर पूरे निश्चय से क्या कह सकते हैं? शिड्यूल में पंचायतों को पॉवर्स दी हैं उसका कह सकते हैं? तहसील पंचायतों के सपोर्ट में कह सकते हैं कि जनता उनसे हेबिच्युएटेड हो गई हैं पर तहसील पंचायतों के न्याय से हेबिच्युएट नहीं हुई हैं, उनके दबाव से हेबिच्युएट हो गई हैं।

तो हमें यह निश्चय करना पड़ेगा कि इलेक्टेड आदमियों के हाथ में क्या आप जुडिशियरी को एन्ट्रेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि इलेक्टेड आदमी वेस्टेड इन्ट्रेस्ट्स के सपोर्ट से आये हैं तो इलेक्ट होने के बाद नेचुरली जिन लोगों ने उनको वोट दिया है, चुना है उनको सपोर्ट करेंगे। एक तरफ न्याय पंचायतें रहेंगी, विकास पंचायतें रहेंगी तो एक आदमी को वोट देने से पहले सोचना पड़ेगा कि प्रेस्टिज किसकी ज्यादा है, वोटर्स पनिश्मेंट के पॉवर्स जिसके पास ज्यादा हैं उसकी तरफ जायेंगे। होना यह चाहिए था कि कम्प्रेहेन्सिव बिल लाते। पंचायतों में ही जुडिशियल पावर रखते, सर्कल रखते और पेनल बनाई जाती...

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : इट इज फाइव सर।

श्री सभापति : कल श्री श्रीमानसिंह अपना भाषण प्रारम्भ रखेंगे। सदन की कार्यवाही कल प्रातः ११ बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही ५ बजे २१-८-५६ के प्रातः ११ तक के लिए स्थगित की गई।)

———

संक्षिप्त-विवरण

(गुरुवार, २० अगस्त, ५६)

स्कम्भ स्कम्भ

तारांकित प्रश्नोत्तर

मंगलूणा ग्राम पंचायत सीकर ।

ग्राम सांभरिया, तहसील बसी (जयपुर) में सहकारी समिति के व्यवस्थापक के विरुद्ध बकाया रकम ।

डीग पॉवर हाउस के सहायक अभियन्ता द्वारा सरकारी क्वार्टर का उपभोग ।

नगरपालिका भीलवाड़ा द्वारा कॉलोनीज़ का बसाया जाना ।

राजस्थान केनाल क्षेत्र में टैक्स मालिकाना का लगाया जाना ।

दी जेठाना जमींदारान कोऑपरेटिव स्टोर्स लिमिटेड, जेठाना अजमेर के अध्यक्ष द्वारा १४०००) रु० गबन ।

सांचोर तहसील की पंचायतों के चुनाव ।

ग्राम रेल (कोटा) के पूर्व में अंधे बांध का जीर्णोद्धार ।

धोबियों की ढाणी की समिति (तहसील डीडवाना) की जांच ।

बी. सी. जी. युनिट की गाड़ी का अजमेर से जयपुर तक सन १६५८ में दौरा ।

बीज उत्पादन केन्द्र बोरखेड़ा (कोटा) में कृषि के आधुनिक तरीकों के बावजूद कम पैदावार ।

दलित वर्ग एवं हरिजनों के लिए नियम ।

तहसील कोटपुतली में सिंचाई विभाग का कार्य ।

कृषि बीज उत्पादन फॉर्म, झालावाड़ ।

अरबन इम्प्रूवमेंट बोर्ड द्वारा आदर्श नगर जयपुर में प्लॉट देना ।

रबी फसल के समय सरकार द्वारा अनाज की खरीद ।

नाथद्वारा मन्दिर के प्रबन्धकों का पॉवर हाउस पर स्वामित्व ।

बीकानेर वन विभाग की ओर से कजोड बीड़ नामक स्थान पर नया वन ।

हसनपुरा (जयपुर) में हरिजन बस्ती बसाने की योजना ।

Page No.114

स्कम्भ

पाली तहसील के खांड़ी बांध पर काम।

खरीफ अभियान के सम्बन्ध में व्यय।

बहादुरपुर (अलवर) की सब-डिस्पेन्सरी का डिस्पेन्सरी में परिवर्तन।

पार्वती बांध का ताजपुर नाला।

कुशलगढ़ से उदयगढ़ व कुशलगढ़ से बांसवाड़ा की सड़कों का निर्माण।

नागोर जिले की तहसील जायल के वार्ड।

राजस्थान नहर द्वारा जैसलमेर ज़िले को भूमि की सिंचाई।

तहसील रायपुर में कुशालपुरा से पिपलिया तक सड़क निर्माण की योजना।

धौलपुर का सदर हॉस्पिटल, केसर महारानी हॉस्पिटल व आयुर्वेदिक औषधालय।

बनेड़ा तहसील में सिंचाई की दर।

सड़कों के कार्य में प्रगति।

रायपुर जिला पाली के श्री गणेश आयुर्वेदिक औषधालय को सरकारी सहायता।

स्कम्भ

सिंचाई विभाग के कर्मचारियों को अतिरिक्त कार्य का भत्ता।

मोटर गेरेज।

कालिन्द्री डिस्पेन्सरी में कम्पाउन्डर तथा मिडवाइफ का अभाव।

विधायी कार्य

राजस्थान पंचायत समिति व जिला परिषद् विधेयक, १६५६

प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित उपरोक्त विधेयक को विचारार्थ लिये जाने के प्रस्ताव पर आज भी वाद-विवाद जारी रहा जिसमें निम्नांकित सदस्यों ने भाग लिया:—

१. श्री रामप्रसाद लड्ढा।
२. रावराजा श्री सरदारसिंह।
३. श्री मुरलीधर व्यास।
४. श्री रघुवीरसिंह।
५. राव श्री नारायणसिंह।
६. श्री मोहरसिंह।
७. डॉ० बहादुरसिंह।
८. श्री जगदीशप्रसाद माथुर।
६. श्री सोहनलाल भटनागर।

शुक्रवार, दिनांक २१ अगस्त, ५६ की कार्यसूची

१ राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद् विधेयक, १६५६।

परिशिष्ट १

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या २३० का उत्तर देखिये)

नगरपालिका, भीलवाड़ा तालुक माणिक्य नगर में प्लॉट लेने बाबत दर्ख्वास्तें पेश हुई उनकी सूची

क्र०सं०	दर्ख्वास्त पेश होने की ता०	प्रार्थी का नाम	रकम जो जमा कराई	ता० जमा रकम	वापसी की तारीख	वापसी की रकम
१	२	३	४	५	६	७
१.	३०–१२–५७	श्री मोहनलाल गदीया	८०)	३०–१२–५७		
२.	,,	,, बसन्तीलाल हुमड़	८०)	,,	४–१०–५८	८०)
३.	,,	,, नाथूलाल पुरोहित	८०)	,,	१५–७–५६	८०)
४.	,,	,, मनोहरलाल जैन	८०)	,,	२५–६–५८	८०)
५.	,,	,, बंकटलाल मालान	८०)	,,		
६.	,,	,, मोहनलाल सेठिया	८०)	,,		
७.	,,	,, घीसूलाल कोठारी	८०)	,,		
८.	,,	,, भंवरलाल मुंदड़ा	८०)	,,		
९.	,,	,, भगवतीप्रसाद ओझा	८०)	,,		
१०.	,,	,, देवीलाल ओझा	८०)	,,		
११.	,,	,, रामेश्वरलाल अग्रवाल	८०)	,,	२७–६–५६	८०)
१२.	,,	,, मुरलीधर शर्मा	८०)	,,		
१३.	,,	,, मोहनलाल त्रिपाठी	८०)	,,		
१४.	,,	,, रामचन्द्र	८०)	,,		
१५.	,,	,, विश्वनाथ शर्मा	८०)	,,		
१६.	,,	,, नंदलाल धनराज पटवा	८०)	,,		

१	२	३	४	५	६	७
१७.	३०-१२-५७	श्री नारायणलाल शर्मा	८०)	,,		
१८.	,,	,, कन्हैयालाल हींगड़	८०)	,,		
१९.	,,	,, रामचन्द्र घीसूलाल मिस्त्री	८०)	,,		
२०.	,,	,, मूलचन्द धर्मा	८०)	,,		
२१.	,,	,, सोहनलाल पोरवाल	८०)	,,		
२२.	,,	,, बंशीलाल रामबिलासहींगड़	८०)	,,		
२३.	,,	,, लक्ष्मीनारायण सोमानी	८०)	,,		
२४.	,,	,, हरिवल्लभ हींगड़	८०)	,,		
२५.	,,	,, रामदयाल	८०)	,,		
२६.	,,	,, घासीलाल हींगड़	८०)	,,		
२७.	,,	,, मनोहरलाल लमेसरा	८०)	,,		
२८.	,,	,, बद्रीलाल कम्पाउण्डर	८०)	,,	२५-६-५९	८०)
२९.	,,	,, मांगीलाल	८०)	,,		
३०.	,,	,, मोहनलाल पोरवाल	८०)	,,		
३१.	,,	,, मांगीलाल दर्जी	८०)	,,		
३२.	,,	,, जानकीलाल तोतला	८०)	,,	१५-७-५९	८०)
३३.	,,	,, लादूलाल जागेटिया	८०)	,,	,,	८०)
३४.	,,	,, मोहनलाल लड्ढा	८०)	,,	१०-६-५९	८०)
३५.	,,	,, बंशीलाल	८०)	,,		
३६.	,,	,, कन्हैयालाल बच्छु	८०)	,,	१३-६-५९	८०)
३७.	,,	,, जिनेश्वरदास	८०)	,,		

१	२	३	४	५	६	७
३८.	३०-१२-५७	श्री कल्याणमल तम्बोली	८०)	,,		
३९.	,,	,, गुलाबचन्द जैन	८०)	,,		
४०.	,,	,, नंदलाल पाटक	८०)	,,		
४१.	,,	,, रामस्वरूप काबरा	८०)	,,		
४२.	,,	,, बदरीलाल वल्द रामनारायण	८०)	,,		
४३.	,,	,, रामेश्वरलाल	८०)	,,		
४४.	,,	,, हीरालाल चौधरी	८०)	,,		
४५.	,,	,, मदनलाल डालेड़िया	८०)	,,		
४६.	,,	,, कल्याणमल डालेड़	८०)	,,		
४७.	,,	,, कन्हैयालाल चौधरी	८०)	,,		
४८.	,,	,, नंदलाल ओझा	८०)	,,		
४९.	,,	,, कमलादत्त जोशी	८०)	,,		
५०.	,,	,, कंवरलाल असावा	८०)	,,		
५१.	,,	,, रमजास टेलर	८०)	,,		
५२.	,,	,, हीरालाल सोनी	८०)	,,		
५३.	,,	,, रमजान अलाबेली	८०)	,,		
५४.	,,	,, लछमनदास श्यामुमल	८०)	,,	३-७-५९ ८०)	
५५.	,,	,, चन्द्रसिंह कोठारी	८०)	,,		
५६.	,,	,, शंकरलाल बनानी	८०)	,,	६-६-५९ ८०)	
५७.	,,	,, शंकरलाल राठी	८०)	,,		
५८.	,,	,, गोरधनलाल व्यास	८०)	,,		

१	२	३	४	५	६	७
५६.	३०-१२-५७	श्री तुलसीराम	८०)	,,		
६०.	,,	,, सुरेशचन्द्र कोठारी	८०)	,,		
६१.	,,	,, परसराम बाहेती	८०)	,,	७-१-५८	८०)
६२.	,,	,, बंशीलाल राठी	८०)	,,	,,	८०)
६३.	,,	,, भंवरलाल सोनी	८०)	,,	१४-१-५८	८०)
६४.	,,	,, शांतिकुमार चौधरी	८०)	,,	२०-२-५८	८०)
६५.	,,	,, भंवरलाल कोठारी	८०)	,,	२६-३-५८	८०)
६६.	,,	,, भंवरलाल वल्द रामजस	८०)	,,	६-४-५८	८०)
६७.	,,	,, सोभाग्यसिंह मांडावत	८०)	,,	,,	८०)
६८.	,,	,, भंवरलाल कोठारी	८०)	,,	१०-४-५८	८०)
६९.	,,	,, सुखलाल सेठिया	८०)	,,	,,	८०)
७०.	,,	,, नरेन्द्रकुमार वैद्य	८०)	,,	२६-४-५८	८०)
७१.	,,	,, रामचन्द्र धनसीराम जोशी	८०)	,,	१-५-५८	८०)
७२.	,,	,, रामेश्वरलाल चेपानी	८०)	,,	२-५-५८	८०)
७३.	,,	,, सुगनचन्द कोठारी	८०)	,,	१२-५-५८	८०)
७४.	,,	,, बालूलाल शर्मा	८०)	,,	२२-८-५८	८०)
७५.	,,	,, बंशीलाल पटवा	८०)	,,	१८-६-५८	८०)
७६.	,,	,, आजाद गोयल	८०)	,,	१६-६-५८	८०)
७७.	,,	,, रामप्रसाद सोमानी	८०)	,,	२२-७-५८	८०)
७८.	,,	,, राजनारायन ओझा	८०)	,,	१०-९-५८	८०)
७९.	,,	,, मांगीलाल सुनार	८०)	,,	११-९-५८	८०)

१	२	३	४	५	६	७
८०.	३०-१०-५७	श्री मिलापचन्द नेमीचन्द	८०)	,,	२३-७-५८	८०)
८१.	,,	,, चांदमल	८०)	,,	२६-१०-५८	८०)
८२.	,,	,, ज्ञानमल पाटोदिया	८०)	,,	,,	८०)
८३.	,,	,, किशनलाल कंवरलाल गंगवाल	८०)	,,	२४-१०-५८	८०)
८४.	,,	,, रतनलाल कालिया	८०)	,,	३-११-५८	८०)
८५.	,,	,, कन्हैयालाल तोसनीवाल	८०)	,,	२२-४-५६	८०)
८६.	,,	,, रामचन्द्र तोसनीवाल	८०)	,,	,,	८०)
८७.	,,	,, नेमीचन्द वैद्य	८०)	,,	२३-४-५६	८०)
८८.	,,	,, ज्ञानचन्द माणकचन्द बड़जात्या	८०)	,,	,,	८०)
८६.	,,	,, रामनारायण अग्रवाल	८०)	,,	२४-४-५६	८०)
९०.	,,	,, जीवनसिंह डाबरिया	८०)	३१-१२-५७		
९१.	,,	,, ज्ञानमल लुहाड़िया	८०)	,,		
९२.	,,	,, नंदलाल वल्द भूरामल सामदानी	८०)	,,		
९३.	,,	,, कन्हैयालाल	८०)	,,		
९४.	,,	,, गंगुमल मंगताराम	८०)	,,		
९५.	,,	,, बदरीलाल कायतवाल	८०)	,,		
९६.	,,	,, हीरालाल	८०)	,,		
९७.	,,	,, लादू हरिजन	८०)	,,	६-८-५८	८०)
९८.	,,	,, नंदलाल जोशी	८०)	,,	,,	८०)

१	२	३	४	५	६	७
९९.	३०-१२-५७	श्री थाँवरदास केवलराम	८०)	,,		
१००.	,,	,, ब्रजमोहनलाल ओझा	८०)	,,		
१०१.	२-१-५८	,, हाबुलाल काबरा	८०)	२-१-५८		
१०२.	,,	,, बच्चीराम कल	८०)	,,		
१०३.	,,	,, नाथूराम नुवाल	८०)	,,		
१०४.	,,	,, शुभकरन पंसारी	८०)	,,		
१०५.	,,	,, सोकरन	८०)	,,		
१०६.	,,	,, पं० जगन्नाथ वैद्य	८०)	,,		
१०७.	,,	,, गोकल माली	८०)	,,		
१०८.	,,	,, छोगा वल्द रूपा माली	८०)	,,		
१०९.	,,	,, अब्दुल वल्द नूरमोहम्मद	८०)	,,		
११०.	,,	,, अब्दुलरहमान वल्द रहीमबक्स	८०)	,,		
१११.	,,	,, मोतीलाल वासुमल	८०)	,,		
११२.	,,	,, किशन वल्द उदा जाट	८०)	,,	६-५-५९ ८०)	
११३.	,,	,, मोतीमल मूलचन्द	८०)	,,		
११४.	,,	,, मानबाई नानालाल	८०)	,,		
११५.	,,	,, महबूब वल्द नूरमोहम्मद	८०)	,,		
११६.	,,	,, कादरबक्स वल्द कालु	८०)	,,		
११७.	,,	,, नंदराम वल्द रुगनाथ	८०)	,,		
११८.	,,	,, मिश्रीलाल पहाड़िया	८०)	,,	२-५-५९ ८०)	
११९.	,,	,, लालुराम माली	८०)	,,		
१२०.	,,	,, कालू वल्द अलादीन	८०)	,,		

१	२	३	४	५	६	७
१२१.	२-१-५८	श्री मोहन वल्द कलान माली	८०)	,,		
१२२.	,,	,, प्यारा वल्द श्रीकिशन माली	८०)	,,		
१२३.	,,	,, हजारीलाल तिवाड़ी	८०)	,,	१५-७-५६ ८०)	
१२४.	,,	,, रामनाथ रामसुख माली	८०)	,,		
१२५.	,,	,, गफूरन बेवा अब्दुलरहमान	८०)	,,		
१२६.	,,	,, भूरी बेवा कादरबक्स	८०)	,,		
१२७.	,,	,, कल्याणमल जोशी	८०)	,,		
१२८.	,,	,, रजाक वल्द ईमामबक्स	८०)	,,		
१२९.	,,	,, अमीरदन वल्द हसनखां	८०)	,,		
१३०.	,,	,, भंवरलाल टाँक	८०)	,,	६-६-५६ ८०)	
१३१.	,,	,, अब्दुल वल्द इब्राहीम	८०)	,,		
१३२.	,,	,, प्रेमचन्द वल्द भीमसिंह	८०)	,,		
१३३.	,,	,, नाथुमल असरमल	८०)	,,		
१३४.	,,	,, इन्द्रमल कन्हैयालाल	८०)	,,		
१३५.	,,	,, भैरुँ माली	८०)	,,		
१३६.	,,	,, रोशनअली	८०)	,,		
१३७.	,,	,, नानालाल ओझा	८०)	,,		
१३८.	,,	,, रमजानी वल्द इलाहीबक्स	८०)	,,		
१३९.	,,	,, मिश्रीलाल रामदयाल दर्जी	८०)	,,		
१४०	,,	,, कालीलाल वल्द रामकरण दर्जी	८०)	,,		
१४१.	,,	,, सोहनलाल सुनार	८०)	,,		
१४२.	,,	,, करीमबक्स वल्द अकबरअली	८०)	,,		

१	२	३	४	५	६	७
१४३.	२-१-५८	श्री मोहनलाल वल्द रामचन्द्र तम्बोली	८०)	,,		
१४४.	,,	,, कल्याणमल चतरभुज राठी	८०)	,,		
१४५.	,,	,, अजीज वल्द हुसेन ठठेरा	८०)	,,		
१४६.	,,	,, लालूराम वल्द रामसुख गटानी	८०)	,,		
१४७.	,,	,, विजयसिंह बोहरा	८०)	,,		
१४८.	,,	,, हेरममोहन वशिष्ट	८०)	,,		
१४९.	,,	,, ज्ञानेन्द्रदेव कम्पाउण्डर	८०)	,,		
१५०.	,,	,, रतुमल मूलचन्द	८०)	,,		
१५१.	,,	,, गोविन्द शर्मा	८०)	,,	६-६-५९ ८०)	
१५२.	,,	,, छोगा वल्द रुघनाथ माली	८०)	३-१-५८		
१५३.	१९-३-५८	,, भगवानदास नानुमल	८०)	,,	१९-३-५९ ८०)	
१५४.	,,	,, शोभाराम दयालदास	८०)	,,	१९-३-५८ ८०)	
१५५.	,,	,, भूरा काजुजी नीलगर	८०)	२-१-५८	२५-३-५८ ८०)	
१५६.	,,	,, भंवरलाल सोनी	८०)	,,	२७-३-५८ ८०)	
१५७.	,,	,, हरलाल वल्द बखतावर	८०)	,,	६-४-५८ ८०)	
१५८.	,,	,, हीरा वल्द लछमन माली	८०)	,,	१६-४-५८ ८०)	
१५९.	,,	,, सफीमोहम्मद वल्द इमामबक्स	८०)	,,	२३-४-५८ ८०)	
१६०.	,,	कासम वल्द हुसेनजी	८०)	४-१-५८	३०-४-५८ ८०)	
१६१.	,,	,, बहादुरसिंह वल्द रामसिंह	८०)	२-१-५८	२-५-५८ ८०)	
१६२.	,,	,, समसुदीन नूरमोहम्मद	८०)	,,	२५-६-५८ ८०)	
१६३.	,,	,, मोहनलाल मूलचन्द	८०)	,,	१८-७-५८ ८०)	

१	२	३	४	५	६	७
१६४.	१९-३-५८	श्री रामनिवास नानूराम तोसनीवाल	८०)	,,	१४-८-५८	८०)
१६५.	,,	,, नजीर वल्द खाजू	८०)	,,	१९-८-५८	८०)
१६६.	,,	,, नेमीचन्द आचार्य	८०)	,,	१९-६-५८	८०)
१६७.	,,	,, श्रीचन्द बोहरा	८०)	,,	१३ ९-५८	८०)
१६८.	,,	,, अब्दुल रहमान वल्द दीदार	८०)	,,	३०-१०-५८	८०)
१६९.	,,	,, मोहनलाल पाटनी	८०)	,,	७-११-५८	८०)
१७०.	,,	,, कन्हैयालाल	८०)	,,	१२-१२-५८	८०)
१७१.	,,	,, रामचन्द्र कुवास	८०)	,,	५-१-५९	८०)
१७२.	,,	,, शांतिलाल तम्बोली	८०)	,,	१२-१-५९	८०)
१७३.	,,	,, युसुफअली वल्द याकुबअली	८०)	,,	१९-३-५९	८०)
१७४.	,,	,, जमनालाल वल्द प्रताप	८०)	,,	१३-४-५९	८०)
१७५.	३-१-५८	,, मोतीसिंह	८०)	३-१-५८		
१७६.	,,	,, मिरचुमल बेन्सीमल	८०)	,,	१५-७-५९	८०)
१७७.	,,	,, देवीलाल गटानी	८०)	,,		
१७८.	,,	,, शांतिकुमार अजमेरा	८०)	,,		
१७९.	,,	,, हरिवल्लभ तिवाड़ी	८०)	,,	३-६-५९	८०)
१८०.	,,	,, शंकरलाल वल्द हीरालाल	८०)	,,		
१८१.	,,	,, लच्छुमल मूलचन्द	८०)	,,		
१८२.	,,	,, रतनलाल वल्द घासीलाल	८०)	,,		
१८३.	,,	,, भूरेखाँ वल्द मोहमदबक्स	८०)	,,		
१८४.	,,	,, बालूराम वल्द लछमा दरोगा	८०)	,,	१७-६-५९	८०)

१	२	३	४	५	६	७
१८५.	३-१-५८	श्री भंवरलाल अटल	८०)	,,	२४-१०-५८	८०)
१८६.	,,	,, प्रीतमकुमार राम चन्दानी	८०)	,,		
१८७.	,,	,, सोहनलाल पुरोहित	७०)	४-१-५८	२५-५-५६	८०)
१८८.	,,	,, रामनिवास चौहान	८०)	२-१रु५४	६-४-५८	८०)
१८९.	,,	,, रहीमबक्स सुभान	८०)	,,	१०-४-५८	८०)
१९०.	,,	,, नारायणदास झमटमल	८०)	,,	२६-८-५८	८०)
१९१.	,,	,, मूला वल्द धुला माली	८०)	,,	२५-६-५८	८०)
१९२.	,,	,, सोमाकुमार	८०)	,,	१-१०-५८	८०)
१९३.	,,	,, अलीमुद्दीन वल्द अब्दुल	८०)	,,	३१-१०-५८	८०)
१९४.	,,	,, रामचन्द्र धोबी	८०)	,,	१-११-५८	८०)
१९५.	४-१-५८	,, प्रहलादराय भंवरलाल उटण	८०)	४-१-५६		
१९६.	,,	,, वासुदेव मलराम चन्दानी	८०)	,,		
१९७.	,,	,, मोतीलाल समनदास	८०)	,,		
१९८.	,,	,, जगन्नाथ ओझा	८०)	,,		
१९९.	,,	,, मोतीलाल शर्मा	८०)	,,		
२००.	,,	,, आलूमल वल्द बसरमल	८०)	,,		
२०१.	,,	,, नजीर मोहम्मद वल्द जानमोहम्मद	८०)	६-१-५८		
२०२.	,,	,, पन्नालाल जोशी	८०)	४-२-५८	१३-५-५८	८०)
२०३.	,,	,, इस्माइल वल्द सुलेमान	८०)	,,	१७-७-५८	८०)
२०४.	,,	,, अलारख वल्द वजीर	८०)	,,	१६-७-५८	८०)
२०५.	६-१-५८	,, बालूराम सुमदानी	८०)	६-१-५८		

१	२	३	४	५	६	७
२०६.	६-१-५८	श्री मूलचन्द उडेरनामल	८०)	,,		
२०७.	,,	,, श्रीधर शर्मा	८०)	,,		
२०८.	,,	,, गोपीचन्द कसारा	८०)	,,		
२०९.	,,	,, किशनचन्द घुघरवाल	८०)	,,		१०-६-५९ ८०)
२१०.	,,	,, नंदपुरी गोस्वामी	८०)	,,		९-५-५९ २०)
२११.	,,	,, दीपचन्द व्यास	८०)	,,		९-६-५९ ८०)
२१२.	,,	,, हरिवल्लभ शर्मा	८०)	,,		
२१३.	,,	,, नन्दाप्रताप गूजर	८०)	,,		
२१४.	,,	,, चतरलाल लुहाड़िया	८०)	,,		२४-२-५८ ८०)
२१५.	,,	,, रूपचन्द बसरमल	८०)	,,		१५-४-५८ ८०)
२१६.	,,	,, गिरधीलाल लड्ढा	८०)	,,		१०-६-५८ ८०)
२१७.	,,	,, सीताराम दयालदास	८०)	,,		२५-६-५८ ८०)
२१८.	,,	,, मोहनलाल कचोलिया	८०)	,,		११-९-५८ ८०)
२१९.	,,	,, ठाकुरदास सेवाचन्द	८०)	,,		२-२-५९ ८०)
२२०.	७-१-५८	,, सेउमल वल्द कृपालदास	८०)	७-१-५८		
२२१.	,,	,, भंवरलाल चौधरी	८०)	,,		६-६-५९ ८७)
२२२.	,,	,, बुद्धमल गोपालदास	८०)	,,		१७-६-५९ ८०,
२२३.	,,	,, हीरानन्द मंगुमल	८०)	,,		१०-६-५९ ८०)
२२४.	,,	,, पन्नालाल मूलचन्द	८०)	,,		
२२५.	,,	,, कन्हैयालाल ऊकालाल तिवाड़ी	८०)	,,		७-१०-५८ ८०)
२२६.	८-१-५८	,, रामलाल खाती	८०)	८-१-५८		
२२७.	,,	,, इस्माइल मोमीन	८०)	,,		
२२८.	,,	,, मनोहरसिंह सराना	८०)	,,		
२२९.	,,	,, कनकमल लोगटा	८०)	,,		
२३०.	,,	,, चिमनलाल अग्रवाल	८०)	,,		१६-१२-५८ ८०)

१	२	३	४	५	६	७
२३१.	६-१-५८	श्री केशाराम संतुमल	८०)	६-१-५८	२५-५-५६	८०)
२३२.	,,	,, रीझमल संतुमल	८०)	,,	,,	८०)
२३३.	,,	,, बालूराम डाकोत	८०)	,,		
२३४.	,,	,, मेठूमल पोउमल	८०)	,,		
२३५.	,,	,, हीराचन्द बसरमल सिंधी	८०)	,,	१-५-५८	८०)
२३६.	,,	,, जगदीशचन्द्र चांदमल	८०)	,,	२-३-५६	८०)
२३७.	१०-१-५८	,, लरकुमल आसनदास	८०)	१८-१-५८	३-७-५६	८०)
२३८.	,,	,, दीपचन्द सेवकराम	८०)	,,		
२३९.	,,	,, बसरमल सीतलदास	८०)	,,		
२४०.	,,	,, बाबूमल चेलाराम	८०)	,,		
२४१.	,,	,, रेलुमल चीतनमल	८०)	,,		
२४२.	,,	,, मांगीलाल माणकचन्द	८०)	,,	२०-२-५८	८०)
२४३.	,,	,, दुर्गाप्रसाद शर्मा	८०)	,,	११-६-५८	८०)
२४४.	,,	,, भैरवलाल वर्मा	८०)	,,	१६-१-५६	८०)
			१६,५२०) रु०			६,५६०)रु०

शेष जमा रहे १०,६६०)रु०

परिशिष्ट २

[कृपया तारांकित प्रश्न संख्या २२३ का उत्तर देखिए]

(१) सांचोर तहसील, जिला जालोर की वे पंचायतें जिनके त्रिवर्षीय निर्वाचन सम्पन्न हो चुके हैं:—

१. पंचायत गुढा हेमा
२. पंचायत भाव
३. ,, गुन्दाऊ
४. ,, सांकड़
५. ,, पांचला
६. ,, बीरोल
७. ,, गोलासन
८. ,, बोछावड़ी
९. ,, कारोला
१०. ,, सांचोर
११. ,, जाखल
१२. ,, केरिया
१३. ,, डूठवा
१४. ,, सरवाना
१५. ,, डूंगरी
१६. ,, सुराचन्द
१७. ,, भवातड़ा
१८. ,, बीजरोल कुछ वार्ड शेष हैं।
१९. ,, चितलवाना ,,

(२) उन पंचायतों को सूची जिनके त्रिवर्षीय निर्वाचन नहीं हुए हैं:—

१ ग्राम पंचायत हाडेचा
२ ,, डमाल
३ ,, पुर
४ ,, चितलवाना कुछ वार्डों का।
५ ,, बिजरोल ,,

ग्राम पंचायत हाडेचा, डमाल व पुर पंचायतों की अवधि ३१-१२-५९ तक बढ़ाई गई। अतएव इस अवधि की समाप्ति के पूर्व ही निर्वाचन करवा दिया जायेगा।

(२) पंचायत चितलवाना व बिजरोल के शेष वार्डों का निर्वाचन क्रमशः ३१-८-५९ व २०-९-५९ को करवाया जा रहा है।

परिशिष्ट ३

[कृपया तारांकित प्रश्न संख्या २३५ का उत्तर देखिये]

क्रमांक	मेम्बरों के नाम
१	उमेदन पुत्र हुसेन
२	भोला पुत्र ,,
३	सफी पुत्र गीजा
४	रमजीन पुत्र हुसेन
५	फाता पुत्र हुसेन
६	मजीद पुत्र उमादीन
७	लाला पुत्र उजीम
८	कालू पुत्र मुराद
९	नावां पुत्र रहीम
१०	इदू पुत्र मोहम्मद
११	बीसू पुत्र इदू
१२	गनी पुत्र भूरा
१३	हालुब पुत्र नूरा

परिशिष्ट ४

[कृपया तारांकित प्रश्न संख्या २२६ का उत्तर देखिए]

STATEMENT.

Date of trip.	Purpose for which the Vehicle was used by the S. M. O.	Whether permition conveyed from the Directorate, if so when.
17-1-58	In connection with Nutrition Survey and to hold discussions on important papers e.g. Audit Report, purchase of Liveries etc.	Yes, 16.1.58
24.1.58	To take delivery of Tuberculine from Air Office and to despetch empty bottles of Vaccine.	Not necessary
4.2 58	To attend the meeting of the Administrative Officers of Medical Department regarding Small Saving Scheme on 5.2.58 (Called by the Directorate)	Not necessary
6.2.58	Car was sent to Ajmer on 5.2.58. to leave Dr. M. H. Hakim, D. M. & H. O, Bhilwara and it returned on 6.2.58.	Yes, 5.2.58
19.2.58	To discuss with the D. M. & H. S. in connection with B.C.G. Conference to be held at Aurangabad.	Yes.
20.4.58	To attend the Directorate to discuss with A. D. H. S. regarding Central subsidy.	Yes. 19.4 58
1.5.58	To see the Collector, Jaipnr in connection with advance planning of B. C. G. work in Jaipur District.	Not necessary.
6.5.58	To take delivery of B. C. G. Tubarculine	Not necessay.
15.6.58	To make necessary arrangement in connection with the shifting of the Office and starting work in Jaipur.	Not necsssary.

१	२	३
2.7.58	For despatch of empty bottles and cortons etc.	Not necessary.
11.7.58	To attend the Directorate under orders from the Dy. D. M. & H. S. (Adm.) in connection with office accommodation.	Yes. 16.7.58
19.7.58	For despatch of empty bottles etc.	Not necessary
12.8.58	Due to shifting of Office from Ajmer to Jaipur.	Not necessory.

परिशिष्ट ५

[कृपया तारांकित प्रश्न संख्या २४१ का उत्तर देखिए]

List Of The Allottee Of Fateh Tiba Scheme 'A'

S. F.	Name of allottee	plot Rc.
1.	Shri Roop Narain	J-15
2.	„ M.M. Vashistha	J-16
3.	„ Fateh Lal Gupta	J-22
4.	„ Jagat Narain Saxena	J-31
5.	„ Malik Tara Chand	J-68
6.	„ Kirishan Lal Malhotra	J-69
7.	„ Ganpat Dhobi	J-69 A
8.	„ Vishan Dass	J-70
9.	„ Rochi Ram	J-71
10.	„ Phiyara Lal	J-72
11.	„ Bhagat Ram	J-73
12.	„ Kashi Ram	J-74
13.	„ Ram Lal	J-75
14.	„ Sukh Ram Dass	J-76
15.	„ Hari Ram.	J-77
16.	„ Diwan Chand	J-78
17.	„ Radhey Shyam Bhatia	J-79
18.	„ Roshan Lal	J-80
19.	„ Baldev Dass	J-81
20.	„ Ishar Dass	J-82
21.	„ Shanti Lal	J-83
22.	„ Durga Prasad	J-84
23.	„ Sukh Ram Dass	J-85
24.	„ Bhanwar Lal Vyas	J-86
25.	„ Bal ev Dass	J-87
26.	Smt. Rukhma Devi Gour.	J-88
27.	Shri Gopal Lal Sharma	J-89

1	2	3
28.	Sri Ram Dayal Sharma	J-90
29	,, Nannu Lal Mistri	J-91
30.	,, Noor Mohammad	J-92
31.	,, Rikhab Raj Bhandari	J-93
32.	,, Daddo Bai	J-94
33.	,, Loon Karan Tambi	J 95
34.	,, Vasudev Mangha Ram	J-96
35.	,, Banwari Lal	J-97
36.	,, Prahalad Rai Tambi	J-98
37.	,, Behari Lal Varma	J-99
38.	Smt. Hari Bai	J-100
39.	Shri Jaswant Singh	J-101
40.	,, Sardar Bhawa Singh	J-102
41.	,, Dr. Iqbal Singh	J-103
42.	,, Karan Raj Singh	J-104
43.	,, Kailash Narain Agrawal	J-105
44.	,, Omprakash Kakraja	J-106
45.	Smt. Hema Bai	J-107
46.	Shri Dharampal, M.L.A.	J-108
47.	,, Basu Dev	J-109
48.	,, Topan Dass	J-110
49.	,, Ram Lubhaya	J-111
50.	,, Chandra Singh Gupta	J-112
51.	,, Bhagat Singh Harula	J-113
52.	,, Ram Chandra Sharma	J-114
53.	,, Hari Narain Sharma	J-115
54.	,, Madan Lal Purohit	J-117
55.	,, Trilochan Singh	J-118
56.	,, Gordhan Dass	J-119
57.	,, Amar Singh Rathore	J-120
58.	,, Sukhdeo Narain	J-121

1	2	3
59.	Sri Sriniwas Shastri	J-122
60.	,, Hari Narain Gupta	J-123
61.	,, J.D. Single	J-124
62.	,, Uma Pado Benarji	J-125
63.	,, Govind Narain Mahajan	J-126
64.	,, Laxmi Narain	J-127
65.	,, Gopal Lal	J-128
66.	,, Mohan Singh	J-129
67.	,, Dila Ram	J-130
68.	,, Amar Jeet Kapoor.	J-131
69.	,, Laxmi Narain Steno	J-132
70.	,, Anand Singh	J-133
71.	,, Kashi Prashad Tiwari	J-134
72.	,, Brij Kishor Gupta	J-135
73.	,, Kunj Behari Lal Sharma	J-136
74.	,, Suraj Prasad Sharma	J-137
75.	,, Mool Chand	J-138
76.	,, Prabhati Lal Tailor	J-139
77.	,, Dilbag Rai Bhatia	J-140
78.	,, Bisheshwar Dayal Singh	J-141
79.	,, Prem Narain Bhatnagar	J-142
80.	,, Narsingh Lal	J-143
81.	,, Behari Lal Verma	J-144
82.	,, Kailashnath Bhargava	J-145
83.	,, Kanhiya Lal	J-149
84.	,, Umashankar	J-146
85.	,, Latika Gosh	J-150
86.	,, Banke Behari	J-151
87.	,, Kundan Lal	J-152
88.	,, Mahendra Pal Batta	J-153
89.	,, U. S. Lekhi	J-154
90.	,, Dilbag Rai Jain	J-155

1	2	3
91.	Sri Babu Lal Jain	J-156
92.	,, Panna Lal	J-170
93.	,, Ganesh Lal	J-171
94.	,, Bhori Lal Mistri	J-177
95.	,, Damodar Lohakar	J-178
96.	,, Panch Naikhan	J-179
97.	,, Tek Chand	J-180
98.	,, Kanhiya Lal Misra	J-181
99.	,, Krisna Kumar Gupta	J-182
100.	,, Lekh Raj Khurana	J-183
101.	,, Prakash Chand Godhika	J-184
102.	,, Aladin	J-185
103.	Miss Surendrajeet Kanwar	J-186
104	Sri Chand Behari Lal	J-187
105.	,, Mool Singh Overseer	J-189
106.	,, Prabhu Singh	J-190
107.	,, Abhiman Kumar	J-192
108.	,, A. Braze	J-195
109.	,, Megh Raj Sharma	J-196
110.	,, Narain Singh	J-197
111.	,, Kamluddin	J-198
112.	,, Hanuman Singh	J-199
113.	,, Chandan Mal	J-204
114.	,, Laxmi Chand Jain	J-205
115.	Smt. Sushila Devi	J-207
116.	Sri Raj Kumar Jain	J-208
117.	,, Prabhu Dayal Kaslival	J—210
118.	,, Harbans Singh	J—223
119.	,, S.N. Puri	J—226
120.	,, Sundar Lal	J—227
121.	,, Ishwar Lal	J—228
122.	,, Ram Chandra Khewani	J—229
123.	,, Dalpat Rai Mehta	J—230

1	2	3
124.	Sri Hari Shanker	J—231
125.	" Murari Lal Sharma	J—232
126.	" Behari Lal Agrawal	J—233
127.	" Iqbal Singh	J—234
128.	" Jaswant Singh	J—235
129.	" Pyare Lal Gupta	J-236
130.	" Pratap Narain	J-237
131.	" Prem Narain	J-238
132.	" Raj Kumar Jain	J-239
133.	" Raj Kumar	J-241
134.	" Bishambhar Nath Sharma	J-242
135.	" Har Narain	J-243
136.	" Jai Narain Sharma	J-244
137.	" Guman Chandar Lunia	J-245

परिशिष्ट ६

[कृपया तारांकित प्रश्न संख्या २४२ का उत्तर देखिये]

सूची—खरीद सरकारी अनाज

क्र०सं०	नाम जिला	गेहूँ			जौ			चना		
		मन	से०	छ०	मन	से०	छ०	मन	से०	छ०
१.	गंगानगर									
	खरीद विभागीय	१,३२,८२७	—	—	६२	—	—	६२,२५७	—	—
	सहकारी समितियों द्वारा खरीद	६८,११४	—	—	—	—	—	—	—	—
२.	कोटा	१,४२५	—	—	—	—	—	—	—	—
	भरतपुर	२४७	—	—	—	—	—	८५४	—	—
	बूँदी	२३१	२५	—	१९	१५	—	१६	३५	—
	झालावाड़	८९	३५	१२	—	—	—	—	—	—

परिशिष्ट : ७

[कृपया तारांकित प्रश्न संख्या २२५ का उत्तर देखिए]

List A

Rates chargeable on all irrigation done from (a) all works which have been constructed after the Ist January, 1952 other than from Gang Canal and Bhakra Supplies, and (b) from all works in the area of the former states of Banswara, Durgapur and Pratapgarh. (From Rabi 58-59).

	Name of Crop.	Rate per Acre.
1.	Sugarcane.	Rs. 22.00 per year.
2.	Vegitable Singhara.	Rs. 12.00 per crop.
3.	Garden	Rs. 12.00 per half year.
4.	Lucern, Tobacco & Poppy.	Rs. 10.00 per crop.
5.	Rice	Rs. 8.50 per crop.
6.	All other crops.	Rs. 7.00 per acre per crop.
7.	Palewa not followed by crop.	Rs. 4.00 for all crop.
8.	Wheat.	Rs. 10.00 per crop.

शुद्धि पत्र

(गुरुवार २० अगस्त, ५६)

स्कंम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
१३६६	१५	क्वार्टर	क्वार्टर्स
१३६७	अन्तिम से ६	कगरपालिका	नगरपालिका
१४००	अन्तिम	दारन	दारान
१४०६	अन्तिम से ८	पुरा	पुर
१४१२	अन्तिम से ४	दलिल	दलित
१४१५	प्रथम	श्री बद्रीप्रसद गुप्ता	श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता
१४२०	अन्तिम से ६	टारटेक्ट	टार्गेट
१४२१	अन्तिम से २	genreal	general
१४२२	७	Pawer	Power
१४२२	१३	Nathdwra	Nathdwara
१४२२	अन्तिम से ४	श्री रमकिशोर व्यास	श्री रामकिशोर व्यास
१४२३	अन्तिम से ११	अनोथ्रोथेराईज्ड	अन् ऑथोराइज्ड
१४२४	” ” ३	जोड़	कजोड़
१४२५	” ” ६	दलपतसिंह	श्री दलपतसिंह
१४३२	१६	श्री बद्रीप्रसा गुप्ता	श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता
१४३६	अन्तिम से ८	महोदस	महोदय
१४४२	” ” ३	क्तिनियु	नियुक्ति
१४४५	५	Deparment	Department

१	२	३	४
१४५१	अन्तिम से ७	श्री तेजमल बापना	२५५ श्री तेजमल बापना
१४५१	” ” ६	श्री मगरूपराम	श्री मनरूपराम
१४५३	७	pricss	Prices
१४५४	अन्तिम से १०	The	This
१४५५	८	श्र उपाध्यक्ष	श्री उपाध्यक्ष
१४५७	२०	तरह से	तरह के
१४५८	३	(बकानेर सिटी)	बीकानेर सिटी
१४६४	अन्तिम से १२	thinge	things
१४६६	१२	Pcsition	Position
१४६६	१३	Suggetiions	Suggestions
”	१६	precced	proceed
”	अन्तिम	Legl	Legal
१४६७	७	alwayse	always
१४६८	२१	Dy. Sepaker	Dy. speaker
१४७१	७	dsy	day
”	१५	dv	by
”	अन्तिम से १२	be ill	we will
१४७३	” ” से ११	मिटेक्स	मिस्टेक

१	२	३	४
१४७५	८	afarid	afraid
१४७७	अन्तिम से १२	intto	into
१४७६	३	offcourse	ofcourse
१४८०	अन्तिम से ४	फी	थी
१४८१	४	तरमीमात	तरमीमात
१४८१	११	नियुक्तियां	नियुक्तियों
१४८२	२	अर्था	अर्थात
१४८२	६	सूचि	रूचि
१४८४	३	पाटीसिपेट	पार्टीसिपेट
"	११	डिस्ट्रक्ट	डिस्ट्रिक्ट
१४८४	अन्तिम से ६	is given	has given
"	अन्तिम	finisheds	finished
१४८५	६	the	they
१४८६	७	duch	such
१४८६	७	विधे	विधेयक
१४६१	१७	यर	पर
१४६३	अन्तिम से ५	ह वबात	वह बात
१५०३	अन्तिम से ६	तीसर	तीसरा
१५०४	" " से १३	करमार	कर भार
१५१४	अन्तिमसे १०	taked	taken

१	२	३	४
१५१६	अन्तिम से १०	fhat	that
१५१७	५	shauld	should
१५१७	१७	sarpauch	sarpanch
१५१७	२७	Alg	If
१५१८	१८	ar	at
,,	२२	surpanch	sarpanch
१५१८	अन्तिम से ७	surpanch	sarpanch
१५२१	५	these amendment shonld	these amendments should
,,	६	yesrerday	yesterday
१५२१	अन्तिम से १०	becuse	because
१५२२	अन्तिम से १७	whatso ever	whatsoever
१५२२	अन्तिम से ४	ammended	amended
१५२६	,, ,, से ५	coraigendum	corrigendum
१५३०	११	consis teot	consistent
१५३२	६	Scmebody	somebody
१५४६	२१	Democraoy	Democracy
१५४७	१३	बलवंतराम	बलवंतराय
१५४६	६	बनाता	बनाना
१५६०	२०	उसमें इसमें	उसको इसमें
१५६०	अन्तिम से ७	की को गई है	की की गई है
,,	,, ,, ४	विधन	विधान

१	२	३	४
१५६०	अन्तिम	अभाव	का अभाव
१५७२	७	पंचाय	पंचायत
,,	अन्तिम से ५	पंचयत	पंचायत
,,	,, ,, ४	होरीं	होगी
,,	,, ,, ३	निर्वाचत	निर्वाचित
१५७३	अन्तिम	लोग	लोग भूमिहीन
१५७४	२३	त्वा	रत्वा
,,	अन्तिम से ३	है रेसमेंट	हैरेसमेंट
१५७५	७	रलें	रखें
१५७६	प्रथम	कान्सिटुएन्तीज	कॉन्स्टिट्युन्सीज
१५८३	अन्तिम से ६	को जी	को
१५८८	६	सुपरसिड	सुपरसीड
१५६१	अन्तिम से ११	Panchapat	Panchayat
१५६७	३	वकेन्द्रीकरण	विकेन्द्रीकरण
१५६७	१४	शेत्रों	क्षेत्रों
,,	१८	तंचायत	पंचायत
१५६७	२४	इलेक्टोरेज	इलेक्टोरेट
१५६८	१२	क्नाया	बनाया
१६०१	१६	का लिये	के लिए

१	२	३	४
१६०२	अन्तिम से ८	सकमेजफुल कर	सकसेजफुल हो
१६०३	१०	माननी यसभापति	माननीय सभापति
१६०८	८	सोशल पेटर्न	सोशललेस्टिक पेटर्न ऑफ
१६०८	अन्तिम	रहेंगी	रहेगा
१६०९	प्रथम	रहेंगी	रहेगा
१६१०	अन्तिम से ११	काया	का या
१६१२	१४	हैहिच्युएट	हैबिच्युएट